राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का पांचवा दिवस [संख्या ३

मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, शिक्षा, समाज कल्याण, पुरातत्व, नियुक्ति, शिक्षा, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण एवं खनिज-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ग्राम सुरसुरा में भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि को चारागाह में शामिल किया जाना

११७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जुलाई १९५९ में ३६१ बीघा भूमि वाले ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़ अलॉटमेन्ट कमेटी ने लगभग ३० भूमिहीन किसानों को अलॉट की थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इस अलॉटमेंट को बाद में सरकार ने रद्द करने की आज्ञा जारी की ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त था ? इस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या यह सही है कि इस भूमि को सरकार ने, चारागाह में शामिल करने की, आज्ञा ग्राम पंचायत सुरसुरा को भेजी है ?

(घ) जिस समय इस भूमि को चारागाह में शामिल किये जाने की आज्ञा जारी की, उस समय उक्त ग्राम में कितने मवेशी थे और कितनी चारागाह की भूमि थी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसीलदार ने भूमि आरजी तौर पर दी थी।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ख) सरकार द्वारा यह आवंटन मंसूख नहीं किया गया था । अतिरिक्त जिलाधीश को अपील प्रस्तुत होने पर उपरोक्त आवंटन नियम विरुद्ध होने के आधार पर मंसूख किया गया था ।

(ग) भूमि चारागाह में नियमानुसार तहसील द्वारा छोड़ी गई थी ।

(घ) मवेशी की संख्या ३४५० थी । इसके अलावा ११९० बकरी तथा २६०० भेड़ थीं । सेटलमेन्ट खतौनी के अनुसार चारागाह की भूमि १०१७॥। ३ बीघा थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है अलॉटमेन्ट रूल्स के अनुसार जमीन का अलॉटमेन्ट तहसीलदार करता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, in consultation with the Advisory Committee.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस वर्तमान मामले में अलॉटमेंट कमेटी के बाकी मेम्बरान की राय थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अलॉटमेन्ट की दरख्वास्तें आती हैं उनमें यह भी है कि एक चारागाह की जमीन काबिल न हो तो बंटवारा किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री मूलचन्द डागा : किस अधिकारी ने गलत रिपोर्ट की है और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है कि गलत रिपोर्ट उसने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बाद में अलॉटमेन्ट हुआ है चारागाह का ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनधिकृत कार्यवाही की गई, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अपील होने पर उस आदेश को मंसूख कर दिया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अपील किसने की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जगन्नाथ प्रसाद वल्द कालूराम, सुरसुरा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तहसीलदार ने अलॉटमेंट किया उसके अनुसार एडीशनल कमिश्नर के पास अपील हुई और उसने मंसूख किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कैसे कहा कि तहसीलदार ने आरजी तौर पर जारी किया था और अलॉटमेन्ट रूल्स के अनुसार नहीं किया था ? अपील तो उसकी होती है जो अलॉटमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत हो ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई ऑथोरिटी रूल्स को फोलो करने में असमर्थ रहती है तो उसकी अपील एडीशनल कमिश्नर को होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को होती है और गवर्नमेंट को होती है ।

Page No.3

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि अलॉटमेन्ट किया गया उसको रिमाइन्ड किया गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास: जो अलॉटमेंट किया गया वह मंसूख किया गया, यह किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

रेग्युलर ट्युटोरियल क्लास सिस्टम

११८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के किन किन कॉलेजेज़ में रेग्युलर ट्युटोरियल क्लास सिस्टम चालू है और इस पद्धति से क्या लाभ है? यदि इस पद्धति से लाभ है, तो यह पद्धति सभी कॉलेजों में लागू क्यों नहीं की जाती है?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : १५ कॉलेजों में ट्युटोरियल क्लासेज़ का सिस्टम चालू है। इन कॉलेजों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस पद्धति से अध्यापक व छात्रों के अन्दर निकट सम्बन्ध हो जाता है जिससे अध्यापक द्वारा छात्रों की शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयां समय समय पर दूर होती रहती हैं। अभी केवल अंग्रेजी भाषा में यह पद्धति लागू की गई है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण सभी विषयों में तथा सभी कॉलेजों में यह पद्धति लागू नहीं की जा रही है।

(परिशिष्ट १ देखिए)

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : यह अंग्रेजी भाषा में क्यों की गई है, हिन्दी भाषा में क्यों नहीं की गई है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने जवाब निवेदन कर दिया था, माननीय सदस्य उसको गौर से सुनते।

श्री किशनाराम : गौर से तो क्या सुनते, विस्तार से तो बताया नहीं कि अंग्रेजी में ही क्लासेज़ को इसलिए शुरू किया, प्राथमिकता दी जाती है अंग्रेजी को और हिन्दी को नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस विषय में लड़कों की कमजोरी ज्यादा होती है। इन्जीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर के अलावा शुरू की हैं?

श्री किशनाराम : किन किन विषयों में लड़कों की कमजोरी ज्यादा है इसलिए अंग्रेजी में शुरू की गई हैं।

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : उधर के माननीय सदस्य इस विषय में ज्यादा सन्देह हैं इसलिए निवेदन कर दूं कि आम तौर से अंग्रेजी में लड़के फैल हुए हैं। विदेशी भाषा है। इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए ट्युटोरियल क्लासेज़ शुरू की हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इनको क्या अधिक से अधिक बढ़ाया जायगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आर्थिक सुविधानुसार।

श्री किशनाराम : अंग्रेजी भाषा पर ही जोर दिया गया है, हिन्दी भाषा पर क्यों नहीं?

Page No.4

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हिन्दी भाषा पर भी जोर दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में आम तौर पर ज्यादा लड़के फैल हुए हैं, इसलिए शुरू की हैं । यह कैसे समझाऊं, यह मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ।

श्री किशनाराम : आपके लिए क्यों मुश्किल है ? हिन्दी भाषा में तो समझा नहीं सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर द्वारा सिलाई की मशीनों की खरीद

११६. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : Will the Social Welfare Minister be pleased to state :—

1. Is it a fact that no tenders were invited by the Social Welfare Officer, Ajmer for the purchase of sewing machines and the order was placed with a firm named M/S Uttam Sewing Machine ?

2. Is it also a fact that same quality of sewing machines were purchased by the Assistant Director of Social Welfare at the rates different from these at which they were purchased by the Social Welfare Officer, Ajmer ?

3. Is it also a fact that inferior quality of covers and stands were supplied with sewing machines, purchased by the Social Welfare Officer, Ajmer, as compared with the original samples shown by the firm ?

4. Is it a fact that by purchasing the machines at different rates heavy loss was caused to the Government ?

5. How much amount was spent by the Department for the purchase of sewing machines ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री खिवचन्द धारीवाल) : (1) No, it is not a fact that no tenders were invited by the Social Welfare Officer, Ajmer for the purchase of sewing machines. The order was placed with M/S. Small Industries Co-operative Societies Ltd., Jaipur for the purchase of Uttam Sewing Machines.

(2) Yes, the same quality of sewing machines were purchased by the Assistant Director, Social Welfare, Ajmer but not at different rates.

(3) Supply of covers was accepted according to the original sample and no stands were purchased by the Social Welfare Officer, Ajmer.

(4) Machines were purchased at the same rate, both by the Assiatant Director and Social Welfare Officer, Ajmer, therefore, the question of loss does not arise.

(5) Rs. 12,875/-were spent in all, for purchasing the Uttam Sewing machines in the offices of Social

Page No.5

(श्री रिखबचन्द धारिवाल)

Welfare Officer and Assistant Director, Ajmer.

डॉ० बहादुरसिंह : किस रेट में सोशियल वैलफेयर ऑफिसर, अजमेर और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ने खरीदीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दो तरह की मशीनें हैं। एक हाथ से चलने वाला—उसकी रेट है १७५) रु० और पांव से चलने वाली टेलर मॉडल, वे है वह २२०) रु० या २२५) रु०।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सच है कि अजमेर सोशियल वैलफेयर ऑफिसर ने १७३॥) रु० में खरीदीं और अधिक की रसीद ली ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विडोज़ के लिए चाहिये थीं इसलिये ५,४७५) रु० की खरीदीं, उसमें ७५) रु० कन्सेशन दिया इसलिए फर्क आया। Because it was for widows. and therefore, the Society gave Rs. 75/- in all as a concession, and, hence, the rate has gone down to that, otherwise, the rates were equal.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि सोशिल वैलफेअर ऑफिसर, अजमेर ने अजमेर में डिलीवरी ली और असिस्टेन्ट डायरेक्टर ने जयपुर में ली ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कहीं पर भी ले सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : उससे ट्रान्सपोर्ट आदि के चार्जेज़ में फर्क पड़ता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : तो फिर डिप्टी डाइरेक्टर ने सर्कुलर किस आधार पर निकाला था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिये जनरल सर्कुलर है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को प्रिफरेन्स दिया जाना चाहिये और यह सर्कुलर इसी के तहत निकाला था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और भी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ थीं, केवल इसी को ऑर्डर क्यों दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : टेन्टर्स इन्वाइट किये गये थे उसमें जो रेट्स कोट किये गये थे उनमें जिनके लोएस्ट रेट थी, लोएस्ट टेन्डर था उससे खरीद लिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस मशीन का स्टेन्डर्डाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की स्टेंडर्ड निर्धारित करने वाली जो संस्था है उसके अनुसार क्या यह स्टेंडर्ड प्रोडक्ट है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो मुझे जानकारी नहीं है कि यह स्टेंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं या नहीं; लेकिन यह सर्कुलर है कि कोऑपरेटिव को तरजीह दी जाय।

Page No.6

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा तो सवाल यह है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की जो स्टेंडर्ड निर्धारित करने वाली संस्था है उसके द्वारा उत्तम सिलाई मशीन स्टेंडर्ड मानी गई है ; इस खरीद में उस संस्था की सलाह ली गई या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो मेरी जानकारी में नहीं है कि इसका स्टेंडर्डाइजेशन हुआ था या नहीं। वैसे उत्तम सिलाई मशीन काफी अच्छी मशीन है, मार्केट में काफी चल रही है, जनता भी इसको काफी ले रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बारे में कौन तय करता है ? what is the criteria with the Government and what is the basis of forming this opinion ? इस मशीन की अच्छी सेल है उसके लिये सेन्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिये गवर्नमेन्ट का एक सर्कुलर है ; उसके अन्दर यह लिखा हुआ है कि जहां तक हो सके अगर क्वालिटी अच्छी हो तो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ से ही खरीद की जाय। उसमें जहां लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उसके बनिस्बत स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में १५ प्रतिशत प्राइजस डिफरेन्स भी दिया जाता है। This is an All India policy and according to this policy encouragement to the small scale industries in Rajasthan be given. The quality has been found quite good and, therefore, the purchases were made.

डॉ० बहादुरसिंह : इन्डियन स्टेंडर्ड इन्स्टिट्यूट की तरफ से जब तक स्टेंडर्डाइजेशन का प्रमाण पत्र नहीं है तब तक उसको स्टेंडर्ड न माना जाय, इस प्रकार का सर्कुलर डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ की तरफ से निकला हुआ है और उसके आधार पर यह मशीन स्टेंडर्ड नहीं मानी गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उत्तम सिलाई मशीन के बारे में किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और उसी के आधार पर यह ली गई है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के सर्कुलर F10S/43/DD/13/59/...25 २ दिसम्बर, १९५९ के अनुसार १३० रुपये में नगद और १४० रुपये किश्तों में इस मशीन की कीमत तय की गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बारे में तो जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ कि इस प्रकार का सर्कुलर निकला था या नहीं। इसके लिए ओपन टेन्डर्स इन्वाइट किये थे जिसके अनुसार कोई भी आदमी टेन्डर दे सकता था।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह भी सही है कि टेन्डर न लेने की सूचना, पत्र संख्या १२६६ दिनांक १२–२–६० के अनुसार कैन्सिल कर दी गई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : तो फिर पत्र संख्या १२६६ दिनांक १२–२–६० को जो इश्यू हुआ है उसमें क्या है ?

श्री अध्यक्ष : इन सारे नोटिफिकेशन्स और पत्रों की सूचना आपको पहले देनी चाहिये, ताकि मंत्री महोदय बता सकें। इस समय वे कैसे बता सकते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि पहले टेन्डर इन्वाइट किये गये थे उसके बाद यहां से पत्र गया उसके अनुसार टेन्डर को कैन्सिल करने का आदेश दिया गया। उसके अलावा गवर्नमेन्ट का एक सर्कुलर है उसके अनुसार उत्तम सिलाई की मशीन की कीमत निर्धारित है जिसके अनुसार कैश में १३० रु० और किश्तों में १४० रुपया निर्धारित है। लेकिन उसी मशीन के १७३ रुपया देकर अजमेर में खरीदा गया और १७५ रुपये में यहां जयपुर में खरीदा गया। उसके अलावा अजमेर में ऑक्ट्रोय भी दी गई जिसकी रसीद अजमेर म्युनिसिपैलिटी में मौजूद है वहां इसकी कीमत ६० रुपये बताई गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ये सब बातें आपको चाहिये कि सवाल के रूप में पूछते। इस वक्त जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उत्तम सिलाई मशीन की कीमत के बारे में जो सर्कुलर निकला हुआ है उसको टेन्डर इन्वाइट किये गये उसके बाद निकाला है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं तो यह कह सकता हूँ कि टेन्डर इन्वाइट करके मशीनों की खरीद की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो सर्कुलर निकला है वह आम सर्कुलर है, उसके लिये आपका क्या कहना है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल : क्या आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसके लिये टैन्डर्स इन्वाइट किये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : टैन्डर्स इन्वाइट किये गये और उसी के अनुसार कार्यवाही की गई।

मचकुन्द तीर्थ, धौलपुर का विकास

१२०. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मंत्री पुरातत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) मचकुन्ड तीर्थ, धौलपुर की विभाग द्वारा संरक्षात्मक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कुंड के अन्दर कमल बेल के अधिक फैलने से स्नान करने वाले व्यक्तियों को कष्ट होता है ? यदि हां, तो उसे हटाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(ग) उक्त तीर्थ पर्यटकों के लिये आकर्षक केन्द्र बनें, उसके लिये क्या क्या प्रयास किये गये हैं ?

Page No.8

(डॉ० बहादुरसिंह)

(घ) इस कुंड के घाटों और दूसरे भागों की मरम्मत के लिये क्या क्या व्यवस्था की गई है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) गत वर्ष सफाई व साधारण मरम्मत कराई गई थी ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) साधारण मरम्मत व सफाई के अलावा इस सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(घ) इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिख दिया गया है और ३,००० रु. की राशि इस कार्य के लिये और स्वीकृत कर दी गई है ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : इस प्रश्न के भाग (२) व (३) के बारे में कहा कि मालूम नहीं, तो यह किस बिना पर कहा गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : भाग ३ के बारे में कहा है, साधारण मरम्मत व सफाई के अलावा इस संबन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

डॉ० बहादुरसिंह : पी० डब्ल्यू० डी० को कब लिखा गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी तारीख याद नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : सफाई की तो पानी में कमल थे वे बह गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सूचना देने वाले ऑफिसर थे और सफाई करने वाले मजदूर, इसलिये मजदूरों को यह मालूम होगा । कमल हैं तो उससे मनोरंजन होना चाहिये ।

थाना गाजी के मुआफीदारान को मुआवजा

१२१. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) थाना गाजी, जिला अलवर में किन किन मुआफीदारान की मुआफी जागीर पुनर्ग्रहण कानून के अन्तर्गत कब कब खालसा की गई तथा किन किन की अभी तक नहीं की गई और क्यों ?

(ख) किन किन मुआफीदारान को मुआवजा दे दिया गया है और किन किन को देना बाकी है तथा कब तक दिया जा सकेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

समस्त माफी जागीर, रेजा माफी के अलावा दिनांक १–११–५८ से खालसा हुई है । रेजा माफियें दिनांक १–३–६० से खालसा की गई । धार्मिक जागीर माफी जिसकी आय एक हजार से ऊपर है वे भी दिनांक १–८–६० को खालसा हुई हैं ।

Page No.9

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ख) सदन की मेज पर रखी सूची में इसका हाल बतलाया गया है। रेंजा माफियों के मुआवजों का भुगतान शीघ्र ही किया जायेगा।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निजी सम्पत्ति का ब्योरा पेश करने सम्बन्धी आदेश

१२२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश जारी किये थे कि तमाम राजपत्रित अधिकारी अपनी निजी सम्पत्ति का ब्योरा सरकार को देंगे ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जी नहीं, किन्तु ऑल इन्डिया सर्विसेज़ कन्डक्ट रूल्स (All India Services Conduct Rules) के नियम १५।३ तथा राजस्थान गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स एन्ड पेन्शनर्स कन्डक्ट रूल्स (Rajasthan Governmant Servants & Pensioners Conduct Rules) के नियम १० के अन्तर्गत मिनिस्टीरियल व क्लास फोर्थ सर्विसेज़ को छोड़ कर सभी अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति का ब्योरा हर साल सरकार को देना पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हर साल ब्योरा देने की पद्धति क्यों रखी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ताकि खरीद फरोक्त कुछ हुई हो तो उसका पता चल सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह केवल अचल सम्पत्ति के बारे में ही ब्योरा क्यों मांगा जाता है, चल सम्पत्ति के बारे में क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इसमें अचल सम्पति का ही ब्योरा देने का कहा है लेकिन चल सम्पत्ति, बैंक बैलेन्सेज़ आदि का स्टेटमेन्ट मांगने की आप जरूरत क्यों नहीं समझते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि प्रश्नोत्तर काल में जानकारी चाही जाती है। इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का प्रश्न अलग सवाल है। यह भी सवाल है कि चल सम्पत्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जावे कि नहीं ?

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : प्रश्न एक में लिखा है, चल–अचल सम्पत्ति में डिफरेंस होता है क्या ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

समस्त राज्य कार्य हिन्दी भाषा में किया जाना

१२३. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने १ अप्रेल, १९६० से समस्त राजकाज राष्ट्रभाषा हिन्दी में करने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो इस आशय का आदेश गजट में कब प्रकाशित किया गया ? क्या निश्चित तारीख के बाद से समस्त राजकीय कार्य हिन्दी में होने लगा है या सरकार ने अपना यह विचार स्थगित कर दिया है ?

(ख) क्या सरकार द्वारा सन् १९५६ में दिये गये आदेश के अनुसार राजस्व विभाग का समस्त कार्य हिन्दी में होना निश्चित हुआ था ? क्या उक्त विभाग का सब कार्य हिंदी में होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) सरकार के जिन कर्मचारियों ने हिन्दी शीघ्रलिपि लेखक एवं मुद्रालेखन (Short hand & typewriting) को परीक्षाएं जन-सेवा आयोग द्वारा पास करली हैं, क्या सरकार ने उन कर्मचारियों की नियुक्ति उक्त स्थान पर कर दी है अथवा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां, यह आदेश अक्टूबर, १३, १९६० को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यथासम्भव हिन्दी में कार्य हो रहा है, किन्तु हिन्दी मुद्रण यन्त्रों की अनुपलब्धि के कारण समस्त कार्य हिन्दी में नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस अवधि को बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी हां। जहां तक सम्भव है कार्य हिन्दी में किया जा रहा है, किन्तु हिन्दी मुद्रण यन्त्रों की अनुपलब्धि के कारण सब कार्य हिन्दी में नहीं हो रहा है।

(ग) राज्य शासन ने इस दृष्टि से कि राजकाज में हिन्दी का प्रयोग सुचारू रूप से हो सके, हिन्दी शीघ्र लेखन एवं हिन्दी मुद्रलेखन का प्रशिक्षण केवल ऐसे कर्मचारियों को दिया है जो कि वर्तमान में अंग्रेजी शीघ्र लेखक एवं अंग्रेजी मुद्र लेखक के पदों पर कार्य कर रहे हैं। अतः उनकी नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : जिस समय हिन्दी में कार्य करने का निश्चय किया गया था तो क्या यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि कितने दिनों में हिन्दी के टाइपराइटर्स मिल जावेंगे और हिन्दी में सब काम होने लग जावेगा ? इससे पहले ही फिर कैसे घोषणा कर दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका अन्दाज लगाया जा रहा है। ठीक तरह तय करने के लिये विचार किया जा रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : जिन कर्मचारियों ने शोर्ट हैण्ड और टाइप राइटिंग की परीक्षाएं पास कर ली थी उनके लिये बताया गया कि जो अंग्रेजी के स्टेनो थे उन्हीं को हिन्दी की ट्रेनिंग दी गई; तो क्या ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसने हिन्दी की शोर्ट हैण्ड और टाइप

Page No.11

(डॉ० चन्द्रकला)

राइटिंग की परीक्षाएं जन-सेवा आयोग से पास कर ली हों और उसकी नियुक्ति अभी तक स्थायी रूप से नहीं की गई हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा उत्तर स्पष्ट है ।

भरतपुर जिले की आइरन फैक्ट्रीज

१२४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भरतपुर जिले में कितनी आइरन फैक्ट्रीज़ हैं ?

(ख) इन फैक्ट्रीज़ को कितने कितने आइरन का अब तक कोटा मिल चुका है ?

(ग) इन फैक्ट्रीज़ को कितना कितना लोन मिला हुआ है ?.

(ज) क्या यह सही है कि इनमें अधिकांश बोगस फैक्ट्रीज़ हैं तथा इन्होंने आइरन के कोटे को काले बाजार में बेचा है तथा जो लोन मिला है उसको फैक्ट्री के कामों में खर्च न करके दूसरे कामों में खर्च किया है ? यदि हां, तो किन किन में ? इन फैक्ट्रीज़ के मालिक कौन कौन हैं और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) तालिका संलग्न है ।

(ख) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(घ) जी हां, कुछ फैक्ट्रियां बोगस थीं और ऐसी शिकायतें आई थीं कि कोटे के माल का उचित प्रयोग नहीं होता । इन फैक्ट्रियों में से जिन्होंने लोन लिया उनमें से लोन को दुरुपयोग करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

जो फैक्ट्रियां बोगस पाई गई, उनके सारे कोटे कैंसिल कर दिये जाने के लिए लिखा जा चुका है आइरन और स्टील कन्ट्रोलर को ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : उनके नाम क्या हैं और उनके प्रोप्राइटर्स कौन कौन हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : संलग्न है सूची ।

श्री भैरोंसिंह : उसमें नहीं है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पढ़ दूं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : सूची नहीं है मेरे पास ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जो तालिकाएं संलग्न होने की या सदन की मेज पर रख देने की बात कही जाती है वे सब सदस्यों को भी वितरित की जानी चाहिये । यह बहस के समय हमें मालूम नहीं होता और इस तरह से हम सवाल करने से

Page No.12

(श्री मूलचन्द डागा)

महरूम रह जाते हैं और विषय को भी नहीं समझ पाते ठीक तौर से । इसके लिए या तो एक दिन पहले रखी जावे सूची सदन की मेज पर या हमें सत्र को दी जावे, नहीं तो कहीं कहीं बड़ी दिक्कत मालूम होती है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जानकारी प्राप्त कर लिया करें ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : इसमें कोई तालिका नहीं मांगी गई है और माननीय मन्त्रीजी ने सभी तालिकाएं एक साथ ही रख दीं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नेम्स पढ़ दूं मैसर्स....

क्र. सं.	आयरन फैक्ट्री का नाम	स्थान
१	२	३
१	मै० चेतन्य आयरन फैक्टरी, भरतपुर	भरतपुर
२.	मै० भरतपुर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स	,,
३.	मै० कृष्णा आयरन फैक्टरी	,,
४.	मै० राजस्थान एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वर्क्स	,,

समय जब से चालू है (प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं)	आयरन का कोटा जो दिया गया टनों में	लोन जो दिया गया	अभियुक्ति
४	५	६	७
१९४६	—	—	
१९४३	१८		
१९४८	६		
१९४६	२५	३,०००	२८-३-५७
	२ वेगन सरप्लस मेटीरियल		

श्री भैरोंसिंह : यह तालिका मिली नहीं है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दे देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : दे दें । उनके नाम जिनका कोटा कैंसिल करने के लिए आपने आइरन और स्टील कन्ट्रोलर को लिखा है और जो आप पढ़ रहे हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप ले लीजियेगा मुझसे ।

श्री भैरोंसिंह : तालिकाएं सभी आनी चाहिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : २२ आदमी हैं । और बोलें ?

Page No.13

श्री भैरोंसिंह ; बाईस हों, पचास हों, जितनी हैं उतनी।

(विराम)

क्या यह सही है कि उन्होंने अपने कोटे के आइरन को काला बाजार में बेचा ? यह मैंने पूछा है और इसके आगे यह पूछा है कि लोन जो मिला उसको उसी काम में लिया गया या नहीं। तीसरा यह पूछा कि ब्लैक मार्केट किया है या नहीं और उनमें बोगस फैक्ट्रीज़ थीं या नहीं, इन तीनों केटेगरीज़ के लिए मैंने पूछा था और इन तीनों कैटेगरीज़ की लिस्ट आप दे दें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दे देंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसमें ज्यादा भरतपुर के ही नाम क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न ही भरतपुर के बारे में है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कुछ आदमी ही ऐसे हैं उनके लिए मैं क्या करूं ?

श्री भैरोंसिंह : आपने इन लोगों के पर्मिट कैंसिल करने एवं भविष्य में कोटा नहीं मिलने की ही कार्यवाही करके सन्तोष क्यों कर लिया और भी कार्यवाही आइरन कन्ट्रोल रूल्स के तहत कर सकते थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनके पर्मिट कैंसिल करने के सिलसिले में आइरन एन्ड स्टील कन्ट्रोलर को लिख दिया गया है और आइरन एण्ड स्टील कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत में जो कार्यवाही आगे हो सकती है वह की जायेगी जब कि यह सूचना मालूम हो जावेगी कि ब्लैक मार्केट किया या क्या किया।

श्री भैरोंसिंह: यह गोल गोल क्यों? ब्लैक मार्केट किया तभी तो आपने स्टील कन्ट्रोलर को पर्मिट कैंसिल करने के लिए लिखा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आगे कार्यवाही करने का तो कहते हैं कि कार्यवाही कर ली जायेगी। तो इससे क्या यह समझा जावे कि अभी तक किसी भी ब्लैक मार्केटियर के खिलाफ कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत कोई एक्शन नहीं लिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो इन्क्वायरी के सिलसिले में प्रश्न आया था कि दर असल में वे फर्में एग्ज़िस्ट करती हैं कि नहीं ? जब उनका एग्ज़िस्टेन्स मालूम नहीं हुआ और यह पता चला कि दर असल में उन लोगों को जो कुछ कोटा दिया गया था उसका माल तैयार नहीं किया तो जांच करा कर आइरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर को लिख दिया गया कि इनका पर्मिट कैंसिल कर दिया जाये। अब आप यह चाहते हैं कि आया उस कन्ट्रोल एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे या नहीं; तो वह कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : वह क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उन पर क्या एक्शन लिया जाये, यह एग्ज़ामिन हो रहा है। फिर जैसे जैसे केसेज़ आयेंगे एक्शन लिया जावेगा।

Page No.14

श्री भैरोंसिंह : जब आप कह रहे हैं कि उनको फैक्ट्री ही एस्टेब्लिश नहीं हैं और आपकी यह ओपीनियन भी है कि ब्लैक मार्केट भी किया है तो इस स्थिति में इस एक्ट के मातहत जो उनका प्रोसीक्युशन इमीजिएटली होना चाहिये था वह क्यों नहीं किया आपने अभी तक ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक्शन लेना आसान बात नहीं होता है। एविडेन्सेज़ लानी पड़ती हैं, उनके बुक्स और अकाउन्ट्स देखने पड़ते हैं। यह सारा मेटीरियल जो एक्शन लेने के लिए ज़रूरी होता है वह इकट्ठा नहीं हो जाता है तब तक एकदम से केस दायर कर दिया जावे, उससे क्या फायदा ? इसलिए यह सारी जानकारी करने के बाद में जो एक्ट के तहत में कार्यवाही करनी आवश्यक होगी, की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन ब्लैक मार्केटियरों को जिनके बारे में आपको मालूम हुआ कि इन्होंने माल को काम में नहीं लिया और उसे ब्लैक में बेच दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They are black listed. आइन्दा उनको कोई कोटा नहीं दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस तरह से यह मामला एग्ज़ामिन किया जा रहा है उसके अन्दर अभी तक कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत कोई भी कार्यवाही किसी भी स्टेज पर नहीं हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह बात नहीं है। सारी बातें असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ कलेक्ट कर रहा है और इसके अन्दर जैसे जैसे केसेज़ आयेंगे और जिनमें सबूत मिल सकता है उसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : टोटल नम्बर ऑफ कम्पनीज़ कितनी हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ने सरकार से केस चलाने की अनुमति मांगी थी और सरकार ने अनुमति नहीं दी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अनुमति मांगी हो और वह नहीं दी गई हो।

श्री पी. के. चौधरी : Out of how many...

(उत्तर नहीं दिया गया)

ग्राम चिरडाणी (बिलाड़ा) में की गई कन्सोलिडेशन की कार्यवाही

१२५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम चिरडाणी, तहसील बिलाड़ा (जोधपुर) में कन्सोलिडेशन की कार्यवाही हुई है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस कार्यवाही के लिए सलाह देने हेतु ग्रामीणों की एक सलाहकार समिति बनाई गई थी ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या यह सही है कि विभाग ने ग्राम विकास मण्डल अथवा इस सलाहकार समिति की राय से कार्य नहीं किया ?

(घ) क्या यह सही है कि विभाग की कार्यवाहियों से ग्रामीणों में पूर्ण असन्तोष है और उन्होंने इसके लिए सरकार अथवा उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिया है ? यदि हां, तो मुख्य रूप से किन किन शिकायतों की सरकार ने जांच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ग्रामीणों में असन्तोष नहीं है । विकास मण्डल, ग्राम चिरडाणी से एकीकरण के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए । एकीकरण के वरिष्ठ अधिकारी भूमि एकीकरण अधिकारी तथा भू-प्रबन्ध अधिकारी (भूमि एकीकरण) ने मौके पर जाकर विकास मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों से मिल कर उनकी शंकाओं का समाधान किया और उन्होंने अब भूमि एकीकरण कार्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्तियों से भी कन्सोलिडेशन फीस वसूल की गई है जो कन्सोलिडेशन की कार्यवाही में किसी प्रकार से शामिल नहीं हुए थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फीस के लिए नियम बने हुए हैं और उनके तहत जिनसे वसूल होनी चाहिये उनसे ही वसूल की गई है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस बात की शिकायत की गई है कि उन नियमों के ही अन्तर्गत फीस वसूल नहीं की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, नियमों के विरुद्ध कोई फीस वसूल नहीं की गई ।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि जिन नियमों के अनुसार नोटीफिकेशन इश्यू किया गया कि अमुक एरिया को कन्सोलिडेशन में लिया जाये, फिर भी उस एरिया से कन्सोलिडेशन फीस ली गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है कि जिस एरिया को कन्सोलिडेशन में लिया गया उनसे कन्सोलिडेशन फीस ली गई है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के आवेदन-पत्र उन लोगों की तरफ से हैं और उन्होंने इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने कन्सोलिडेशन के लिए अपनी शिकायतें पेश की थी। उसके ऊपर डाइरेक्टर ऑफ कन्सोलिडेशन खुद मौके पर गये और उन्होंने बातचीत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करके उनकी शिकायतों को रफा–दफा करके कन्सोलिडेशन में सहयोग देने के लिए रजामन्द कर लिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही कि जो शिकायतें रफा--दफा की गई उन शिकायतों में यह शिकायत भी रफा कर दी गई कि जो एरिया कन्सोलिडेशन में नहीं था उससे भी फीस वसूल नहीं की जायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक जो एरिया नोटीफिकेशन में नहीं है उसकी कन्सोलिडेशन की फीस वसूल करने का सवाल ही नहीं है। जिस एरिया को नोटीफाई करते हैं उसी से फीस वसूल की जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित।

उच्च योग्यता वाले अध्यापकों की उच्च विद्यालयों में नियुक्ति

१२६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि बी० ए० व इन्टर की योग्यता वाले कई अध्यापक पंचायत समितियों के अन्तर्गत शालाओं में आ गये हैं ?

(ख) अगर हां, तो उनको योग्यता का प्राथमिक शालाओं में क्या उपयोग है ?

(ग) यदि उपयोग नहीं है, तो क्या सरकार उच्च योग्यता वाले अध्यापकों को उच्च विद्यालयों व माध्यमिक विद्यालयों में भेजने का विचार रखती है ?

(घ) अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप–मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) उच्च योग्यता वाले अध्यापकों का उपयोग बच्चों को पढ़ाने में अधिक हो सकता है क्योंकि वह बच्चों आदि की पढ़ाई का ध्यान अच्छी प्रकार रख सकता है। इसलिए केवल यह समझ कर कि ये उच्च योग्यता रखते हैं उन्हें प्राथमिक शालाओं में न रखा जाये, उचित नहीं है। परन्तु फिर भी क्योंकि उन्हें वहां मैट्रिक ग्रेड के आगे कोई ग्रेड नहीं मिल सकेगा तथा ये लोग उच्च ग्रेड पाने के इच्छुक होंगे उन्हें उच्च ग्रेडों में प्रमोशन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) ऐसे अध्यापकों को राजकीय शालाओं में पदोन्नति का प्रोसीजर सरकार के विचाराधीन है।

(घ) पदोन्नति का प्रोसीजर तय होते ही इस विषय में कार्यवाही की जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह पदोन्नति का प्रोसीजर कब तक निश्चित हो जायेगा ? क्या अगले सत्र के प्रारम्भ में हो चुकेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जब तक इन अध्यापकों को अधिक अवसर मिलने का है उसमें कमी आती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा महसूस करके ही तो इस मामले को हमने विचाराधीन लिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जिलों, ऐतिहासिक स्थानों तथा किलों का प्रथक प्रथक इतिहास छपाने की योजना

१२७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार राजस्थान के विभिन्न जिलों, विभिन्न ऐतिहासिक महत्व के स्थानों तथा जिलों का पृथक पृथक इतिहास सम्मत परिचय छपाने के विषय में कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उस योजनानुसार यह कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा कब तक सम्पन्न हो सकेगा ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द-बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों में स्थान पाने वाले शिला लेखों व स्मारकों का काल-क्रमानुसार विवरण होगा। इस कार्य को सम्पन्न करने में समय लगेगा; क्योंकि राजस्थान का अभी तहसील व जिलेवार पुरातत्व सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब तक तथ्य पूर्ण विवरण प्रकाशित नहीं होगा, यह कार्य अपूर्ण ही रहेगा। इस कार्य में लगभग ५ साल लग जायेंगे।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि जन-गणना के आंकड़े मांगे गये हैं उसमें एक ऐसा परिच्छेद भी है कि उसमें कितने ऐतिहासिक विवरण के हैं, उनका क्या महत्व है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मुझे मालूम नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जनगणना के साथ साथ शिला-लेखगणना भी हो रही है क्या ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहकारी समितियों के हिस्से खरीदने हेतु आर्थिक सहायता

१२८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमसेन)

क्या यह सही है कि जिला परिषद, बीकानेर ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार से मांग की है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सहकारी समितियों के हिस्से खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दी जावे ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जी हां, किन्तु ऐसी योजना अनुसूचित जाति के लिए समाज कल्याण विभाग में नहीं है, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, ऐसी योजना नहीं है इसलिए ही तो यह प्रस्ताव सरकार के पास विचार के लिए भेजा गया है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई योजना नहीं है । आपने सिर्फ यह पूछा है कि जिला परिषद बीकानेर ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार से मांग की है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सहकारी समितियों के हिस्से खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दी जावे, तो जहां तक सहकारी समितियों को सहायता देने का सवाल है हिस्से खरीदने के लिए हमारे पास ऐसी योजना नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इस पर क्या समाज कल्याण विभाग विचार करेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हां, विचार तो हर बात पर कर लेंगे । आपने सुझाव दिया है, ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

ललित कला अकादमी द्वारा कलाकार छात्रों को प्रशिक्षण सम्बन्धी दी गई स्कॉलरशिप

१२६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५८–५९ व १९५९–६० में ललित कला अकादमी द्वारा राजस्थान के कलाकार छात्रों के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी कितनी कितनी स्कॉलरशिप की रकम निर्धारित की गई थी ?

(ख) इस रकम में से कितनी कितनी रकम किस किस वर्ष में कितने कितने छात्रों को स्कॉलरशिप के रूप में दी गई ? यदि इसमें बचत हुई है, तो क्यों ?

(ग) ललित कला अकादमी ने किस किस वर्ष में किस किस छात्र के नाम की स्कॉलरशिप के लिए सिफारिश की थी और कब कब ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सन् १९५८–५९ में ३६०० रु० तथा सन् १९५९–६० में ३००० रु० ।

(ख) सन् १९५८–५९ में कोई स्कॉलरशिप नहीं दी गई क्योंकि उस समय स्कॉलरशिप वितरण करने के नियम नहीं बने थे । सन् १९५९–६० में केवल एक छात्र को स्कॉलरशिप दी गई ।

Page No.19

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ग) निम्नलिखित छात्रों के स्कॉलरशिप की सिफारिश की गई थी :—

सन् १९५८—५९ में

१. श्री रमानन्द शर्मा, उदयपुर।

२. श्री प्रेमचन्द गोस्वामी, बीकानेर।

३. श्री शशि गुप्ता, बनस्थली।

४. श्री छगनलाल गुप्ता, जयपुर।

५. श्री रामप्रकाश वाजपेई, जयपुर।

६. श्री रणजीतसिंह, जयपुर।

७. श्री मान गऊ, गांव मऊ।

८. श्री सुरेन्द्रसिंह, अजमेर।

९. श्री बाबूलाल शर्मा, पिलानी।

सन् १९५९—६० में

१. श्री पी० मनसाराम।

२. श्री पी० एल० जैन।

३. श्री ओमदत्त उपाध्याय।

४. श्री रमेश शर्मा।

५. श्री सुरेन्द्रसिंह।

६. श्री गोकुलेन्द्र शर्मा।

७. श्री रवीन्द्र शर्मा।

८. श्री भंवरसिंह राठोड़।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : किन आधारों पर सिफारिशें की जाती हैं कि यह ललित कला में प्रवीण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके नियम बने हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या उन नियमों को गवर्नमेंट ने देख लिया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, देख लिया है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : ये छात्र किस किस में प्रवीण थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप किस छात्र के बारे में पूछ रहे हैं ? हर छात्र अलग अलग चीज में निपुण है।

श्री किशनाराम : जिनके नाम आपने बताये उनके बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या ऐसे छात्र भी हैं कि जिनकी सिफारिश की गई लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका क्या कारण है कि सिफारिश हो जाती है तो कुछ को दी जाती है और कुछ को नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दूसरों को तगड़ी सिफारिश होगी।

Page No.20

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा है कि नियम उस समय राज्य सरकार से स्वीकृत होकर नहीं आये थे। तो पहले १९५९–६० में लिस्ट बनो थी और रूल्स बने हुए थे। रूल्स स्वीकृत होकर आये तो रूल्स के अनुसार दूसरे छात्र एलिजीबल नहीं थे केवल एक ही हो सकता था, इसलिए बकाया को स्कॉलरशिप नहीं दी गई।

श्री मुरलीधर व्यास : पर ऐसा कैसे हो सकता है....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। कृपया आप अपना अगला प्रश्न पूछें।

संस्कृत कॉलेज के लेक्चरार्स का ग्रेड

१३०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि कॉलेज लेक्चरार्स का ग्रेड २५० से ७५० कर दिया गया है ?

(२) संस्कृत कॉलेज के लेक्चरार्स का क्या ग्रेड है तथा क्या वह भी रिवाइज़ किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर्स का क्या ग्रेड है ?

(४) संस्कृत कॉलेज के लेक्चरार्स का ग्रेड सीनियर टीचर्स के ग्रेड से कम है अथवा अधिक ? यदि कम है, तो क्यों ? क्या सरकार इन लेक्चरार्स को सीनियर टीचर्स के समान भी नहीं मानती ?

उप–मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) संस्कृत कॉलेज के लेक्चरार्स का ग्रेड १५०-१०-२२०-ई बी-१०-२५०-१२॥-३०० है। अभी वह रिवाइज़ नहीं किया गया है। इनके रिवीज़न का प्रश्न विचाराधीन है।

(३) शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर्स का ग्रेड २००-१०-२८०-ई बी-१५-४०० है।

(४) कम है। क्योंकि छात्रों की संख्या न्यून होने से कार्य भार उतना नहीं है जितना कि शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर का है। जहां तक समानता का प्रश्न है इन्हें सीनियर टीचर के समान ही माना जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : कार्य–भार तो प्राइमरी टीचर्स के ऊपर भी अधिक होता है तो क्या उनका ग्रेड भी बढ़ाया जा सकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनकी योग्यता कम होती है। वहां मैट्रिक तक ही होते हैं और यहां एम० ए० होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : संस्कृत कॉलेज में जो लेक्चरार्स हैं वे क्वालिफाइड हैं और योग्य हैं, तो उनको उसी प्रकार का वेतन दिया जा सकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक तरफ तो काम ज्यादा तो योग्यता कम है और योग्यता ज्यादा है तो काम कम है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कह रहे हैं कि कार्य-भार उनके ऊपर ज्यादा है इसलिए उनका वेतन ज्यादा है तो भारत प्राइमरी स्कूल

Page No.21

(श्री मुरलीधर व्यास)

के टीचर्स पर भी ज्यादा है फिर उनको अधिक वेतन क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि उनमें योग्यता कम है। वह मैट्रिक पास ही होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप देखिये प्राइमरी स्कूल में एक ही शिक्षक होता है और उसे चार-चार क्लासों को पढ़ाना होता है तो क्या उसको आप विशेष वेतन देना उपयुक्त समझते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप 'भार' से क्या मतलब समझते हैं। आप समझते हैं कि एम. ए क्लासेज़ को पढ़ाने में दिमागी भार नहीं होता है। १६ साल और २० साल तक उन्हें पढ़ना पड़ता है और इतना तजुर्बा रखना होता है और उधर दूसरी तरफ सिर्फ मैट्रिक पढ़े हुए ही होते हैं। भार से यहां कोई हमाली थोड़े ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपका मतलब यह है कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हमाली करते हैं। ऐसी बात नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे कहने का मतलब यह था कि उनमें कम योग्यता वाले भी चल सकते हैं। वहां लड़के, हालांकि, ज्यादा होते हैं, लेकिन उनका इन्टेलेक्चुअल स्तर उतना नहीं होता जितना कि दूसरों का होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की हमाल से तुलना कैसे की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने गलत नतीजा निकालने की कोशिश की है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जो इन कारणों से मतलब निकाला यह अच्छा नहीं है। 'हमाल' शब्द मैंने इस अर्थ में नहीं कहा था।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत के उत्थान के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई थी। मेरा जहां तक ध्यान है, उसने सिफारिश की थी कि संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता बी. ए., एम ए. के बराबर मान कर उनको उतना ही वेतन दिया जाय। उस सिफारिश का क्या हुआ ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की गई है वह अभी सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अभी उसका पालन हो रहा है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 'विचाराधीन' का मतलब यही है कि अभी तक उसका पालन नहीं हुआ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आगे उसका पालन होगा या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 'विचाराधीन' का मतलब आपका भी वही होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : विचाराधीन कब तक रहेगा ?

Page No.22

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

जिला बीकानेर के काश्तकारों के शिष्ट मण्डल द्वारा जिलाधीश को प्रस्तुत की गई समस्याओं का समाधान

१३१. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला बीकानेर के काश्तकारों का एक शिष्ट मण्डल दिनांक २३ जनवरी, १९६० को जिलाधीश, बीकानेर से निम्न तात्कालिक समस्याओं के सम्बन्ध में मिला :

(अ) जागीरदारों के वक्त से कब्जे शुदा खेतों का काश्तकारों से तावान लिया जा रहा है जो कानूनन दुरूस्त नहीं है,

(आ) बीकानेर स्टेट के वक्त तावानी काश्तकार रिवाज के तौर पर काश्तकार की श्रेणी में आते थे लेकिन अब ऐसे काश्तकारों को ट्रेसपासर मान कर ऐसे खेतों का उनसे भारी तावान वसूल किया जा रहा है, ऐसे काश्तकारों को राज्य टिनेन्सी एक्ट के अनुसार उन्हें गैर खातेदार की संज्ञा दी जानी चाहिये ताकि इस इलाके के हजारों किसानों को उपरोक्त समस्या हल हो सके ।

(२) उपरोक्त विषयों पर स्थानीय एस. डी. ओ., कलेक्टर एवं कमिश्नर ने सरकार को क्या कोई रिपोर्ट दी है ? अगर हां, तो प्रत्येक ऑफिसर की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे ।

(३) राज्य सरकार ने उपरोक्त रिपोर्ट पर क्या क्या निर्णय लिये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां ।

(अ) जी हां । यह सही है कि बहुत से जागीर के उन गांवों में जो काश्तकार सं० २०१० में रिकॉर्डेड टिनेन्ट नहीं थे और उनका कब्जा सं० २०१० के बाद किसी साल में दर्ज हुआ है और जागीर सं० २०१० के बाद पुर्नग्रहीत हुई है तो उन काश्तकारों को तावानी काश्तकार शुमार किये जाने का अमल चला आ रहा है ।

(आ) यह एक सुझाव है, जिस पर विचार कर लिया गया है और इस विषय में राज्य-आज्ञा प्रसारित कर दी गई है ।

(२) हां, यह सही है कि सब डिवीज़नल ऑफिसर, नोर्थ बीकानेर ने इस विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी प्रतिलिपि प्रशासनिक दृष्टि से सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती ।

(३) राज्य सरकार द्वारा उक्त विषय में अंतिम आदेश दिनांक २३–११–६० को प्रचलित कर दिये गये हैं कि :

(१) टिनेन्सी एक्ट सन् ५५ में लागू होने से पहिले तावान की वसूली इस सम्बन्ध में प्रचलित किये गये आदेशों के अनुसार होनी चाहिये ।

(२) टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति कोई आपत्ति उठायेगा तो उसको परिस्थिति अनुसार तय कर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दिया जावेगा, परन्तु तय किये हुए मामले दुबारा नहीं खोले जावेंगे ।

(३) जिन व्यक्तियों ने बिना आज्ञा जमीन काश्त की थी और जिनसे तावान या पिनेल्टी वसूल किया गया था वह इस बात का द्योतक है कि वह ट्रेसपासर हैं। जो लगान वसूल किया गया वह तावान के अतिरिक्त था। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट ५५ में टिनेन्सी की परिभाषा में ट्रेसपासर नहीं आते; अतः टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के समय ये व्यक्ति ट्रेसपासर ही थे और उनको राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ की उप धारा(१) के अन्तर्गत खातेदारी हक नहीं दिये गये। यह जरूरी नहीं कि उनको भूमि से वाकई हटा दिया जाय, लेकिन उनको खातेदार टिनेन्ट दर्ज न किया जाय ।

आज्ञा की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर स्टेट में काश्तकार थे उनको तावानी काश्तकार माना गया है। सरकार को उन्हें टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक खातेदार मानने में क्या ऐतराज है जब कि उनका कब्जा २० वर्ष से चला आ रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो जवाब दिया वह साफ है। राज्य की आज्ञा सदन की मेज पर रख दी है।

जयपुर जिले के स्कूल्स में अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्त्ति

१३२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला जयपुर की किन किन स्कूल्स में किस किस विषय के पढ़ाने वाले अध्यापकों के खाली स्थान इस वर्ष (सत्र) किन किन महीनों तक रहे हैं और कितने अब भी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) खाली स्थान रहने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या कुल अध्यापकों की नियुक्ति की गई, मगर उन्होंने कार्य–भार नहीं संभाला ?

उप–मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) निरीक्षणालय जयपुर पूर्व व पश्चिम के अन्तर्गत जो स्थान जिस माह तक रिक्त रहे उनकी सूची संलग्न है। इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है ।

(ख) स्थानों के रिक्त रहने के कारण निम्न हैं :

(१) कुछ अध्यापकों का पदोन्नत होना,

(२) कुछ नवीन उच्चतर माध्यमिक शालाओं का खुलना था ।

(३) विज्ञान, अंग्रेजी व कृषि तथा गणित विषयों के अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण ।

(पूनमचन्द बिश्नोई)

(ग) जी हां। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : आपने जो लिस्ट दी है उसके अन्दर जुलाई ६० से जनवरी, ६१ तक टीचर्स के न होने का समय बताया तब फिर इस समय फरवरी में उनकी पूर्ति कैसे हो गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितनी पोस्ट्स होती हैं उतनी ही में कमी रही हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे साइन्स पढ़ाने वाले टीचर्स न हों, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि कहीं २ का स्थान हो और वहां एक ही रह गया हो या जहां सीनियर टीचर होना चाहिये उससे स्थान पर ग्रेजुएट टीचर ही हो। इससे नुकसान तो होगा लेकिन मैंने परिस्थिति अर्ज कर दी है।

श्री रामकरणसिंह : प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में आपने बताया "विज्ञान, अंग्रेजी व कृषि तथा गणित विषयों के अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण," ये टीचर्स जनवरी ६१ तक उपलब्ध नहीं हो सके और इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है, तो केवल १० दिनों में उपलब्ध कैसे हो गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरी जगह से डेप्यूट किये जा सकते हैं क्योंकि एग्ज़ामिनेशन्स के दिन नजदीक हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि नियुक्ति अभी तक कागजों में ही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हो चुकी है।

गुढा एन्दला व कानलाव में मीणा जाति की बस्ती का विकास

१३३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली के गांव गुढा एन्दला व कानलाव में कितनी मीणा जाति की बस्ती है ? समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनकी आर्थिक व संस्कृतिक उन्नति के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : पाली जिले के गांव गुढा एन्दला में २२५ तथा कानलाव में ८० घरों के करीब मीणा जाति की बस्ती है। आर्थिक सहायता के लिए इन गांवों के मीणा जाति की तरफ से कोई मांग अब तक नहीं आई है।

पावटा ट्रेनिंग स्कूल

१३४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पावटा ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण सहायक संचालक महोदय ने कब कब किया ?

(ख) क्या सहायक संचालक ने कभी ट्रेनिंग स्कूल के भवन के बारे में भी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में लिखा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ?

Page No.25

उप मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) ट्रेनिंग स्कूलों के निरीक्षण का सम्बन्ध सहायक संचालक से नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा थियेटर, बीकानेर

१३५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर स्थित श्री गंगा थियेटर कई दिनों से बंद पड़ा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी इन्फोर्मेशन आई नहीं है। यदि इसे ११ तारीख को जवाब के लिये रख लिया जाय तो ठीक रहेगा।

अवकाश प्राप्त आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

१३६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने कितने अवकाश प्राप्त आई. ए. एस. तथा आर. ए. एस. अधिकारियों को राज्य की सवैतनिक सेवा में पुनः नियुक्त किया है ? उनके नाम, पुराने तथा नये पद व वेतन, आयु, योग्यता तथा निवास-स्थान की सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(ख) एक बार अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त उनको पुनः सक्रिय सेवा में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उस योग्यता के दूसरे व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे ?

(ग) क्या उक्त नियुक्तियां अपवादस्वरूप की गई हैं, अथवा राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति है ?

(घ) क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि इस प्रकार की पुनर्नियुक्ति के प्रलोभन के कारण कतिपय उच्च अधिकारी उतने तटस्थ और निष्पक्ष नहीं रहते जितना कि उनको रहना चाहिये।

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इ पुनर्नियुक्ति की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने का प्रयत्न करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) आई. ए. एस. ४ व आर. ए. एस. ८। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर विशिष्ट कारणों से ये नयुक्तियां की गई थीं।

(ग) ऐसी नियुक्तियां अपवादस्वरूप नहीं की गई हैं। अवकाश प्राप्त अधिकारियों को एक्सटेन्शन या रीएम्प्लोयमेंट (पुनर्नियु

Page No.26

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

क्ति) देना राज्य सरकार के अधिकार में है जो व्यक्ति की योग्यता, अनुभव इत्यादि को ध्यान में रख कर की जाती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (ख) भाग में यह पूछा था कि एक बार अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त उनको पुनः सक्रिय सेवा में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्या उस योग्यता के दूसरे व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे ? इसके उत्तर में यह बताया गया कि "प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशिष्ट कारणों से ये नियुक्तियां की गई थीं।" इस योग्यता के दूसरे व्यक्ति उपलब्ध थे या नहीं इसका उत्तर नहीं दिया गया और जो सूची संलग्न है उसमें भी उनकी विशेष योग्यता नहीं मालूम होती, सिवाय इसके कि बी. ए., एल. एल. बी. या एम. ए. हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसे पी. एस. सी. के मेम्बर्स के पद पर जो अपोइन्टमेन्ट्स किये गये उनके लिये दूसरे योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। बी. ए., एल एल. बी. या एम. ए. होना ही काफी नहीं है। पुनः नियुक्ति आम तौर से तजुर्बा आदि बातों को ध्यान में रख कर होती हैं। आर. ए. एस. में शोर्टेज थी इसलिये कुछ लोगों को उनके अनुभव के आधार पर पुनः रखा। ऐसे बहुत से कारण थे जिनके कारण उनको रखा गया। केवल एकेडेमिक क्वालिफिकेशन वालों को ही रखने का प्रश्न नहीं आता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के (ग) भाग में पूछा था कि।"क्या उक्त नियुक्तियां अपवादस्वरूप की गई हैं, अथवा राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति है ?" उत्तर में अपवादस्वरूप के लिये "ना" कहा गया और निश्चित नीति के लिये भी "ना" कहा गया। यह न अपवाद ही है न निश्चित नीति ही है, तो यह क्या रहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नेसेसिटी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सरकार की नीति हो सकती है, पर आपने न नीति माना न अपवाद माना; तो ऐसा किस कारण से होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि जब आवश्यकता होती है तब ऐसे व्यक्तिय को जो लायक हों उनकी पुनर्नियुक्ति की जाती है। यदि नीति बनाते हैं तो हरेक के रीएम्प्लोयमेन्ट का प्रश्न आता है। अपवादस्वरूप होता है तो इसका प्रश्न नहीं आता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह तो नीति हुई। योग्यता के अनुसार लेने की सरकार की नीति होती है।

/

मेन रोड पावटा कोट से कल्याणपुरा खुर्द होती हुई मोहनपुरा की खानों तक के सड़क के टुकड़े का निर्माण

१३७. **श्री रामकरणसिंह** (कोट-पुतली) : क्या सार्वजनिक निमाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या मेन रोड पावटा कोट से एक छोटा सड़क का टुकड़ा कल्याणपुरा खुर्द होती हुई मोहनपुरा की खानों तक निकालने का सरकार का विचार था ?

(ख) क्या इसकी सूचना पंचायत समिति कोटपूतली को भी दी गई थी ? यदि हां, तो इस पर समिति ने क्या जवाब दिया तथा उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(ग) क्या सरकार इस टुकड़े को बनाने का विचार कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी नहीं ।

(ख) हां, दी थी । पंचायत समिति ने इस टुकड़े केनिर्माण की सिफारिश की है जो सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उचित धन—राशि उपलब्ध हुई तो सड़क का निर्माण—कार्य हाथ में लिया जायेगा, वरना नहीं ।

प्राथमिक कन्या पाठशाला, फागी का भवन

१३८. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) प्राथमिक कन्या पाठशाला, फागी, जिला जयपुर का भवन कब और कितने रुपये किराये पर लिया गया और क्या इसका पूरा किराया सरकार चुकाती है ?

(ख) इस पाठशाला में कितने कमरे तथा अन्य स्थान हैं ? क्या इस पाठशाला में कोई अध्यापिका निःशुल्क भी रहती है? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(ग) क्या इस कन्या पाठशाला के लिये सरकारी भवन बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो भवन कब तक बनवाया जायेगा ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) अगस्त, १९४६ से १०) रु० मासिक पर लिया गया है । पूरा किराया सरकार चुकाती है ।

(ख) ३ कमरे तथा १ बरामदा है । दो अध्यापिकाएं निःशुल्क सितम्बर, १९५४ से रह रही हैं क्योंकि ग्राम में किराये पर मकान उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) यह प्रश्न विकास विभाग के विचाराधीन है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : आपने बताया कि वहां मकान किराये पर उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या उनसे किराया वसूल किया जाता है जो तीन अध्यापिकायें उसमें रहती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, निःशुल्क रहती हैं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आपने तीन कमरे बताये, तो क्या अध्यापिकायें भी यहीं रहती हैं और स्कूल का काम भी वहां होता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय मन्त्री जी ने बताया कि तीन कमरे हैं और एक बरामदा है, उनमें तीन अध्यापिकायें रहती हैं, उनका खाना बनाने और रहने, कपड़े वगैरह रखने के लिए जगह चाहिए, फिर बच्चे कहां पढ़ते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरा निवेदन यह है कि आप अच्छी तरह इससे परिचित हैं। आप जनता को उत्साहित करें, उनसे दान लेकर स्कूल भवन बनाया जाये। जितना सम्भव होता है हम भी भवन बनाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि जितना शिक्षा का विस्तार हो रहा है उसको देखते हुए सब जगह स्कूल भवन सरकार बना दे, ऐसी स्थिति में सरकार नहीं है। इस स्थिति से माननीय सदस्य अच्छी तरह परिचित हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस स्कूल में सब कक्षायें एक कमरे में पढ़ती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री लादूराम सुलाणिया : ग्यारह साल से यह कन्या पाठशाला चलता है, उस पर आप कहें कि गांव वालों को प्रोत्साहित करके स्कूल भवन बनवाया जाये, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह काम सरकार क्यों नहीं करती ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

सूरजमल सुनार, निवासी नोहर को भूमि का नाजायज आवंटन

१३६. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तहसील नोहर, जिला गंगानगर में सूरजमल सुनार, निवासी नोहर, को ८८ बीघा रकबा उसके एवं उसके संयुक्त परिवार के नाम होते हुए भी १६ बीघा रकबा और अलॉट किया गया है जब कि सूरजमल ने अपने हल्फिया बयान में एक कुटुम्ब खुद तसलीम किया है ?

(२) जब कि उसकी जमीन किसी भी स्कीम और एकीकरण में नहीं आई, तो क्या उसका तबादला जोहड़ पायतन में नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या उपरोक्त तबादले से सरकार को १० हजार रुपये का नुकसान हुआ है, जब कि केबिनेट मीटिंग में यह तय हुआ है कि जोहड़ पायतन की जमीन नहर के बारहमासी होने पर ही नीलाम की जावे ? अगर हां, तो ऐसी गलती करने वाले अफसरों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

Page No.29

(श्री रामकिशन)

(४) क्या इसी खसरे के पास खसरा नम्बर ६१८।५४३ का बेचान नाथू नाई वगैरह ने ६०० रु० फी बीघा से किया है ? अगर हां, तो सूरजमल सुनार को सरकारी जमीन मुफ्त ही क्यों दी गई ?

(५) क्या यह नाजायज़ तबादला और अलॉटमेन्ट बगैर नोटिस के ही किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(६) क्या इसकी शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों से की गई थी ? यदि हां, तो उन शिकायतों और ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब आज नहीं दिया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट टर्न से अगली टर्न रखी जाय क्योंकि इसमें काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है।

श्री रामकिशन : कौनसी तारीख को उत्तर आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी आ जायेगा ।

श्री भीमसेन ।

पलाना कोयला खान

१४०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पलाना कोयला खान की ओपनिंग कटिंग सिस्टम व थर्मल प्लान्ट लगाने की योजना तैयार कर ली गई ? अगर हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने में कुल कितना खर्चा होगा ? इस खर्चे के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

खनिज मंत्री(श्रीमोहनलाल सुखाड़िया): (क) हां, लिग्नाइट ओपन कास्ट माइनिंग की स्कीम तैयार कर ली गई है, किन्तु थर्मल प्लान्ट लगाने की नहीं। इस समय टेक्निकल परामर्शदाताओं की नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है जो सम्पूर्ण योजना को कार्यान्वित करने का भार सम्भालेंगे ।

(ख) लिग्नाइट ओपन कास्ट माइनिंग स्कीम के लिए अनुमानतः केपिटल खर्च १.७६ करोड़ रुपये का और रेकरिंग खर्च करीब एक करोड़ रुपये का होगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान राज्य माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की जा रही है जिसके लिए प्लानिंग कमीशन (भारत सरकार) ने फिलहाल २.७५ करोड़ रुपये तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किये हैं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि आवश्यक मशीनरी खरीदने के लिए सरकार ने व्यवस्था कर ली है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे 'क' के उत्तर को पूरी तरह से देख लीजिये तो उससे वह बात मालूम होगी। इसके लिए टेक्निकल एडवाइज़र्स अपॉइन्ट करने के लिए

Page No.30

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कार्यवाही की जा रही है और उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक मशीनरी खरीदी जायेगी ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में कर लिया जाना था ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पलाना को यदि....

श्री अध्यक्ष : आप इसका बहस के दौरान में जिक्र कर सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : सेकिंड प्लॉन के अन्दर ओपन कास्ट....

श्री अध्यक्ष : Next question.

कोटपूतली ने नारेडा–डाबला सड़क की मरम्मत

१४१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटा-पूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि पुरानी सड़कों के नष्ट होने पर ही उनके स्थान पर नई सड़कें बनाई जायं ?

(ख) क्या सरकार पुरानी सड़कों की मरम्मत कराना उचित नहीं समझती ?

(ग) यदि हां, तो कोटपूतली से नारेड़ा-डाबला सड़क को क्यों नहीं ठीक कराई जाती ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाती है ।

(ग) यह सड़क फेअर वेदर रोड है और इसकी मरम्मत पर भी खर्च किया जाता है । इस साल हाल में इस सड़क पर १९००) खर्च किये गये हैं ।

श्री रामकरणसिंह : क्या इसके ऊपर कोई पर्मानेन्ट गेंग है मरम्मत के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, गेंग लगाई है ।

श्री रामकरणसिंह : मैं आपकी जान-कारी के लिए बताऊं कि सदन में कल आप जबाब दे चुके हैं कि पर्मानेन्ट गेंग नहीं है, बानसूर से डाबला सड़क पर गेंग लागू है, यह तीन काम करने आयेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र : वह आयेगी काम करने के लिए ।

श्री रामकरणसिंह : आप बता रहे हैं कि पर्मानेन्ट गेंग है ?

श्री अध्यक्ष : पर्मानेन्ट तो नहीं कहा है । आपने पूछा पर्मानेन्ट गेंग हैं, उन्होंने कहा,–'जी हां' ।

श्री हरिश्चन्द्र : गैंग पर्मानेन्ट है, वह वहां ही काम नहीं करती है, दूसरी सड़कों पर भी काम करती है।

श्री रामकरणसिंह : यह सड़क ऐसी है जिस पर से रेल्वे स्टेशन से डाक वगैरह लाने, ले जाने के लिए आना—जाना पड़ता है, जिससे कई दफा बरसात के दिनों में टूट फूट हो जाती है। कल बताया था कि डाक १०, १५ दिन तक नहीं गई थी। इस तरह रास्ता रुक जाता है इसलिए पर्मानेन्ट गैंग की मांग की गई है। पहले भी लगाई थी। अब तीन दिन के लिए डेप्यूट किया गया है, इससे इसकी मरम्मत नहीं होती है। इस पर आप पर्मानेन्ट गैंग बना दें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं जानकारी के लिये कहना चाहूँगा कि यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में नहीं थी। अभी केबिनेट के डिसीज़न होने के बाद आई है। उसके बाद गैंग रखी गई है और काम हुआ है।

श्री रामकरणसिंह : आपने बताया कि बानसूर से नारेड़ा सड़क है, इसका १० मील का टुकड़ा बना दिया गया है और चार—पांच मील का टुकड़ा है, वह रह गया है, यह टुकड़ा काम में नहीं आ रहा है; क्यों नहीं इसको भी बना कर पूरा कर दें और पब्लिक को सहुलियत दें। केवल १० मील का टुकड़ा पूरा किया था, चार—पांच मील का टुकड़ा पड़ा हुआ है। क्या सरकार इसको पूरा करने का विचार नहीं करती है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १४२

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबदल'

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

रोहट के ग्रामीणों से एकत्रित चन्दे की रकम को वापिस दिलवाना

१४३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि २ अक्टूबर, १९५९ से रोहट पंचायत बनने के पूर्व पाली तहसील के कथनानुसार विकास कार्यों में गांव रोहट में स्कूल भवन के लिये ५००) रु०, खांडी स्कूल भवन के लिये १५००) रुपये व निम्बली ब्राह्मण के कुओं के लिए रुपये ७५०)रु० ५० प्रतिशत के हिसाब से चन्दा के रूप में जमा कराये गये थे ? यदि हां, तो क्या वह रकम तहसीलदार पाली को आज्ञा के अनुसार बैंक में जमा हो गई है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने ५० प्रतिशत रकम उक्त गांवों को विकास के कामों में लगाने के लिये मंगवाई थी और बैंक में जमा करा दी थी ? अगर हां, तो क्या वह रकम उनको वापिस दी गई और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार उन ग्रामीणों की अमानती रकम को दिलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

Page No.32

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, किन्तु स्कूल भवन खांडी के लिये रु० २०००) जमा हुआ था व निम्बली ब्राह्मण के कुओं के लिये जन सहयोग का प्रतिशत ३३ जमा हुआ। यह रकम सरकारी खजाने में जमा कराई गई, बैंक में नहीं।

(ख) यह रकम सरकारी खजाने में जमा कराई गई। इस रकम को पंचायत समिति रोहट के निजी खाते में स्थानान्तरित करने के लिये कार्यवाही जारी है।

(ग) सरकार इस विषय में सचेष्ट है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कार्यवाही करते करते करीब डेढ़ साल पूरा हो चुका है, किन्तु रकम मिलने की समस्या है वह पूरी नहीं हुई?

श्री दामोदरलाल व्यास : डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है कि रकम पंचायत समिति के खाते के अन्दर तब्दील कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

मल्टीपर्पज हायर सेन्कडरी स्कूल, डूंगरपुर

१४४. **श्री बालमुकुन्द** (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) मल्टीपर्पज़ हायर सेकन्डरी स्कूल, डूंगरपुर में क्लास ६ वीं से ११ वीं तक कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं? इनकी संख्या बतावें।

(ख) उक्त स्कूल में विद्यार्थियों के बैठने के लिये कुल कितनी कुर्सियां तथा टेबल, बैंच इत्यादि हैं? कृपया वहां के सम्पूर्ण फर्नीचर की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या यह सच है कि उक्त स्कूल में स्टाफ की कमी है? यदि हां, तो कितनी?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) ९२८ विद्यार्थी।

(ख) २०० सिंगल सीटेड डेस्क व चेअर सेट, ३८ चार सीटेड डेस्क व बैंच सेट। सूची संलग्न है।

(ग) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री बालमुकुन्द : अध्यक्ष महोदय, जो विद्यार्थियों की संख्या ९२८ बताई और बैठने की व्यवस्था ७०० विद्यार्थियों के लिए है, तो २०० विद्यार्थी कहां बैठते हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वैसे काम चलता है, नीचे बैठते हैं पट्टियों पर।

श्री बालमुकुन्द : दसवीं कक्षा के विद्यार्थी नीचे बैठते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री बालमुकुन्द : क्या नीचे बैठने में एतराज नहीं है? दो सौ विद्यार्थी नीचे बैठते हैं, यह शोभा की बात नहीं है।

Page No.33

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, २०० सिंगल सीटेड डेस्क व चेअर सेट्स हैं और ३८ चार सीटेड डेस्क व बेंच सेट्स हैं । इस तरह १५० के करीब हो जाते हैं । यह स्कूल डबल शिफ्ट में चलता है, इस तरह ७०० लड़के कवर हो जाते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सरकार नीचे बैठाने में हर्ज नहीं मानती है तो ऊंचे बैठने की व्यवस्था क्यों करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो व्यवस्था है, उसमें विद्यार्थी नीचे बैठते हैं तो कोई हर्ज नहीं है । जिस गति से हम बढ़ रहे हैं उसमें यह सम्भव नहीं कि सब जगह पूरे इक्विपमेंट पहुँच जायें । एक फेज़ प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसके अनुसार पूरा कर रहे हैं । एक–दो साल में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२.०६ म. प.)

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन सम्बन्धी

श्री हरदेव जोशी (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस प्रारम्भ करें उसके पहले मुझे एक निवेदन करना था । वैसे कलेन्डर के अनुसार होली दो तारीख को थी, मगर चन्द्र ग्रहण के कारण होली एक की रात को जलेगी और धुलंडी दो तारीख को होगी । उस स्थिति में अगर कल कार्यवाही होती है तो माननीय सदस्यों को असुविधा होगी, वे अपने अपने स्थानों पर यथासमय नहीं पहुँच सकेंगे । इसलिए सदन उपयुक्त समझे और आपकी इजाजत हो तो क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाय और दो दिन के वाद–विवाद के समय को कम कर दिया जाय अथवा पांच तारीख को, जो कल जवाब देना था वह पांच तारीख को दे दिया जाय । जो भी ठीक समझें आप निर्देश दे दें वैसे बजट को ध्यान में रख कर हमें अपना काम पूरा करना है, इसलिए क्या हम बहस के दिनों में कमी नहीं कर सकते ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : ६, ७ तारीख को बहस का काम पूरा कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मुख्य सचेतक महोदय ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ उसका निर्णय चार बजे किया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा । वह इसलिए किया जाये क्योंकि यदि इस सम्बन्ध में अभी निर्णय ले लिया गया तो दो बजे के बाद कोरम बेल बजाने के सिवाय कोई कार्यवाही नहीं होगी....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपका भाषण सुन कर जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : इसके अलावा पांच तारीख का प्रपोज़ल है कि उस रोज हाउस की मीटिंग रख दी जाय और कल स्थगित कर दी जाय । मैं समझता हूँ कि इस सुझाव को स्वीकार करने में क्या आपत्ति होगी ? पांच तारीख को सदन की मीटिंग बुला ली जाय, लेकिन डिबेट को कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए ।

Page No.34

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, शाम को निर्णय लेने में वही दिक्कत है। निर्णय पहले ले लिया जाता है तो सभी को अपना कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें और सदन की अनुमति हो तो आज हम सदन को स्थगित कर सकते हैं और कल का जो निर्धारित कार्यक्रम है वह रविवार ५ मार्च को ले सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : रविवार को तो नहीं।

श्री अध्यक्ष : ५ तारीख रविवार को है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : रविवार को रखना उचित नहीं होगा, आगे रख दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, ५ तारीख को न रख कर ६ तारीख को रखें, इसमें मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं। सवाल यह है कि अगर इस बहस के लिये एक दिन और बढ़ाना है तो आगे जो कार्यक्रम है, मेरे ख्याल से बजट के ऊपर भी सदन चाहेगा कि अपने विचार रखने को उपयुक्त समय मिले। काफी काम रह गया है, सेंटरडेज़ पहले ही बहुत सारे काम में ले लिये हैं। ऐसी स्थिति में दो ही रास्ते दिखते हैं कि या तो तारीख ६ को या ७ को दो सिटिंग्स हों या इस पर बहस के समय में से एक दिन कम करें या और तरीके से पूरा करें, एक्स्ट्रा टाइम वाली बात न रहे, या ७ को दो सिटिंग कर दी जायें। ७ को ही दो सिटिंग्स करना ठीक रहेगा क्योंकि ६ को सुबह कई लोग देर से पहुँचेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : ७ को दो सिटिंग्स कर दी जायें।

श्री अध्यक्ष : ७ को दो सिटिंग्स कर दी जायेंगी। समय किस तरह से निर्धारित करें इसके लिये दो बजे से पहले कार्य निर्धारण समिति की मीटिंग रखी है, निर्णय ले लेगी।

श्री हरिदेव जोशी : हाउस आज एड्जोर्न हो जायगा?

श्री अध्यक्ष : जी हां, हाउस आज एड्जोर्न होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय के कुछ क्षणों तक कागज देखते रहने पर)

श्री भोलानाथ।

प्राक्कलन समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का जो विकास विभाग (सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड) से सम्बन्धित है, उपस्थापन करता हूँ।

राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत निर्वाचन नियम, १९६० इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ :

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(१) पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) दिनांक ५ अक्टूबर, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत निर्वाचन नियम, १९६० प्रकाशित किये गये हैं।

(२) पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना :—

(क) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) दिनांक ११ अक्टूबर, १९६०,

(ख) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) ६६००४ दिनांक १८ अक्टूबर, १९६०,

(ग) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६०,

(घ) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) दिनांक २३ नवम्बर, १९६०,

(ङ) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) दिनांक २४ नवम्बर, १९६०,

(च) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) दिनांक २८ नवम्बर, १९६०,

(छ) संख्या एफ. ४. (एल. जे.) पी. टी. एस.। ६०–१ दिनांक २३ सितम्बर, १९६०,

(ज) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) दिनांक २ जनवरी, १९६१ तथा

(झ) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) २५। (१४) दिनांक ४ जनवरी, १९६१।

जिनके द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत निर्वाचन नियम, १९६० में संशोधन किये गये हैं।

(३) पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ४ (एल. जे.) रूल्स। ६० दिनांक १८ अक्टूबर, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (रिमूवल ऑफ प्रधान एण्ड उप प्रधान) नियम, १९६० प्रकाशित किये गये हैं।

राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६०

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री नाथूराम मिर्धा (सभापति, प्रवर समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को १७ मार्च, १९६१ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान भिक्षा वृत्ति निवारण विधेयक, १९५८

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

Page No.36

(श्री रामकिशोर व्यास)

राजस्थान भिक्षा वृत्ति निवारण विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को १७ मार्च, १९६१ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६०

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को १७ मार्च, १९६१ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के विकास के लिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है। वह एक बहुत ही आवश्यक कदम है। हम चाहते हैं कि देश का विकास सभी के सहयोग से हो, पर इसके ठीक विपरीत हमारे जिले के विकास के अन्दर बाधाएं, अड़चनें आती हैं, उनका क्या कारण है? आज हमने उन सभी कारणों और पहलुओं पर सोचने के लिये पंचायत समितियों और जिला परिषदों को महत्व दिया है। जालोर जिले में विकास के कार्यों में जो रोड़े अटकाने वाले हैं उनके बारे में सूचना जालोर परिषद् जिला ने दी है। हमारी जिला परिषद्, कांग्रेस की जिला परिषद् होते हुए भी १-९-६० को इस किस्म का रिज़ोल्युशन पास करती है कि जालोर जिले में राजस्थान के मंत्री लोग विकास में अड़चनें पैदा करते हैं, गड़बड़ करते हैं, विकास के कामों में बाधा पहुंचाते हैं और इसके फलस्वरूप जालोर जिले का विकास अन्धेरे में पड़ा हुआ है। यह मीटिंग १-९-६० को बागरा में बुलाई गई थी। मैं उपस्थित नहीं था, पर हमारी जिला परिषद् ने निर्णय लिया है कि इस जिले के विकास में बाधा पहुंचाने के लिये जिला परिषद् ने इल्ज़ाम लगाया है हमारे उप शिक्षा मंत्री, श्री पूनमचन्दजी बिश्नोई पर....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मंत्री, शिक्षा) : माननीय अध्यक्ष, मैं फिर कह रहा हूँ इसमें पूनमचन्द बिश्नोई का नाम नहीं था। इस बार नाम लेकर कहा गया है, यह सदन की बड़ी भारी मानहानि है। बागरा वाली मीटिंग १-११-६० तारीख की है, उसमें मेरा नाम नहीं है। My name does not appear there.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य केवल वही बात कहें जिसकी उन्हें पूरी जानकारी है और जिसकी जिम्मेदारी वे खुद ले सकें।

Page No.37

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् की प्रोसीडिंग्ज़ में यह है, इसीलिये मैं कह रहा हूँ, नहीं होता तो मैं क्यों कहता, मुझे उनसे कोई द्वेष तो है नहीं। मैं वहां उपस्थित नहीं था, पर जिला परिषद् ने इस प्रकार का रिजोल्युशन पास किया है। या तो मुख्य मंत्री महोदय को उप मन्त्रीजी से स्पष्ट करना चाहिये, नहीं तो जांच करानी चाहिये।

इसके बाद, पंचायतों के चुनावों में हमारे जिले में इस किस्म का वातावरण बना, इस किस्म की नींव खोदी गई कि हमको राजस्थान के विकास के लिये, खास कर जिले के विकास के लिये चुनावों में किसानों को लाना चाहिये। बाकी तीनों कौमों को किसी प्रकार नहीं आने देना चाहिये। इन तीनों कौमों के लिये कहा गया कि महाजन मनी लैंडिंग के नाम से किसानों का शोषण करते हैं, राजपूत जागीर प्रथा के नाम से किसानों का शोषण करते हैं और ब्राह्मण धर्म के नाम पर किसानों का शोषण करते हैं, इसलिये हम को इन तीनों के बारे में सतर्क रहना चाहिये और हो सके जहां तक इन जातियों के विरोध में पंचायतों में अपने आदमी खड़े करने चाहिये चाहे वे कांग्रेस में हों या न हों।

एक तरफ हम पंचायतों को राजनैतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो दूसरी ओर हमारे मंत्री लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं और लोगों को उत्तेजना देते हैं जिससे कि सारे जिले का वातावरण दूषित बन जाये। आज हम देखते हैं कि जालोर जिले का वातावरण इस तरह का बन गया है कि आज जिले में शांति कायम नहीं है। इस सिलसिले को लेकर मैं बिश्नोई साहब के बारे में इसलिये कहना चाहता हूँ कि आपने तिलवाड़ा में मीटिंग की और आपने राजपूत आदि के बारे में क्या क्या बातें कहीं, उसके बारे में आप सभी जानते हैं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : आप उस मीटिंग में उपस्थित थे क्या ?

श्री लक्ष्मीचन्द : मुझे इन्वाइट करके थोड़े ही मीटिंग की गई थी। अगर मुझे इन्वाइट करते तो मैं जाता। मैं उसमें उपस्थित नहीं था।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री शिक्षा): वहां हमारी जाति का प्रधान आया है क्या ?

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने हेमराज को खड़ा करने का प्रयत्न किया था, मगर आपके भाषण के कारण हम दूसरे सब एक हो गये उससे आपके प्रयत्न असफल रहे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्या हेमराज बिश्नोई है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : वह बिश्नोई नहीं है, वह कलबी है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई प्रधान लिया गया हो तो आप बता दें ?

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने जो नारे लगाये उससे सब लोग नाराज हो गये और इस वजह से आपके प्रयत्न जालोर जिले में विफल रहे।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय,

Page No.38

(श्री शंकरलाल)

On a Point of Order. Whether a member can state things on the basis of hearsay and which are not in his personal kowledge and the matter has already been discussed at length yesterday.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On another Point of Order, Sir, under Rule 273 of the Rules of Procedure regarding allegations against a person.

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker..."

So if the personal allegation is sought to be made under this rule, previous notice is required.

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि जिस विषय की जानकारी उनको खुद को हो और जिसकी जिम्मेदारी वे खुद ले, सकते हों उस पर ही बोलें। केवल सुनी–सुनाई बातों को कह देना न उनके लिये, न सदन के लिये मान्य होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : सुनी-सुनाई नहीं है, मैं जिला परिषद् की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूँ। सहकारी विभाग आज सहकारी विभाग न रह कर जाट विभाग बन गया है। सहकारी मंत्री व उप मंत्री श्री, नाथूराम जी व श्री दौलतरामजी सारण जाट हैं। रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, जयपुर व उप रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, जोधपुर श्री निरंजनसिंह व श्री लालसिंह दोनों जाट हैं। यह विभाग एक जाति विशेष की बपौती बन गया है और केन्द्रीय सरकार इसकी अगर निष्पक्ष जांच कराये तो जो करोड़ों रुपयों का गबन मिलेगा और इस गबन का मुख्य कारण जातिवाद है। जाट-वाद अब इस चर्म सीमा तक पहुँच गया है जो कि काबिले बर्दाश्त नहीं रहा है। ये सब करतूतें श्री नाथूरामजी मिर्धा, सहकारी मंत्री की हैं। श्री नाथूरामजी मिर्धा जाटवाद के अग्रणीय हैं और सिवाय जाटों व उनसे सम्बन्धित एक, दो जातियों के और किसी को पनपता हुआ नहीं देखना चाहते।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपके पास जो १.११.६० की प्रोसीडिंग्ज़ हैं उनको पढ़ें।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपके पास प्रोसीडिंग होगी।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर इसलिये जोर देना चाहता हूँ कि हमारी जिला परिषद् इस प्रकार के प्रस्ताव भेजती है....

श्री शंकरलाल : आपने जो रिज़ोल्युशन पढ़ कर सुनाया उसमें भी इनका नाम नहीं है। इसलिये इस पर फालतू सदन का समय क्यों जाया किया जा रहा है ? सुनी-सुनाई बातों को लेकर सदन का समय क्यों जाया किया जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कितनी गलत बात कहते हैं। मेरा इसमें कहीं नाम नहीं है। कल भी इसके बारे

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

में काफी डिस्कशन हो चुका है। मेरा इसमें नाम नहीं है, फिर भी मेरा नाम क्यों घसीटा जाता है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : यह तो प्रोसीडिंग्ज़ में होगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरा नाम इस रिजोल्युशन में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपके खिलाफ १.६.६० को लिखा गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे पास रिज़ोल्यूशन है, वह १.११.६० का है। उसमें मेरा नाम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, १.६.६० के रिज़ोल्युशन पर कल से डिस्पूट चल रहा है। वे कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। उप मंत्री कहते हैं कि मेरे पास जो रिज़ोल्युशन है उसमें मेरा नाम नहीं है। आखिर उनके पास क्या रिजोल्यूशन है उसको पढ़ कर सुना दें तो मालूम होगा कि क्या चीज है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह १.११.६० का रिज़ोल्युशन है।

श्री भैरोंसिंह : आप उसको यहां रेफर तो करें, बाद में हाउस उस पर अपना मत देगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें जो आक्षेप लगाये गये हैं उसका जवाब देना चाहिये। मगर मेरा नाम इसमें नहीं है। आप रिज़ोल्युशन पढ़ कर सुना दें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उन्होंने तो रिज़ोल्युशन की डेट १.६.६० बता दी है। अगर आप यह चाहते हैं कि रिज़ोल्युशन पढ़ कर सुना दें तो इसमें भी कोई जोर नहीं आयेगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य ने सुना नहीं। वे बागरा के रिजोल्युशन की बात कर रहे हैं, वह १.११.६० को हुआ, उसकी बात कह रहे हैं।

श्री तनसिंह : सुना है।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर ज्यादा बहस करना आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य जिस बात का ज़िक्र करें उसको जानकारी उनको होनी आवश्यक है। उन्होंने बागरा वाले रिज़ोल्युशन का कहा। वे उसकी प्रोसीडिंग हो तो पढ़ें और अगर नहीं हो तो फिर उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो मेरे पास है, मैं पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, अब मैं उन विशेष परिस्थितियों का ज़िक्र करूंगा जिनके कारण हमारे जिले का वातावरण कितना गन्दा बनता जा रहा है। एक तरफ तो हम इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि पंचायतें और स्वायत्त शासन संस्थाएं जो काम करती हैं उनको हमें मजबूत बनाना चाहिये, मगर देखा जावे तो ठीक विपरीत

Page No.40

(श्री लक्ष्मीचन्द)

दिशा में काम हो रहा है। वहां पर म्युनिसिपैलिटी और पुलिस के आपस में इन्डिफरेन्स होने के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है।

२८.१.६१ के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि वह के म्युनिसिपल चेयरमैन को पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और मामूली चार्ज लगा कर। मगर उनका काम ठीक होने के कारण जनता ने इस तरह के कार्य पर दुःख प्रकट किया कि हमारे ऐसे कार्यकर्त्ता को झूठे मुकदमें में फंसा कर गिरफ्तार किया, उसके लिये लोगों ने प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन किया गया वह बहुत ही शांत प्रदर्शन था। मैं उस वक्त घटनास्थल पर तो नहीं था मगर थोड़ी देर बाद में पहुँच गया था। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से लोगों पर लाठी चलाई। एक डिप्टि सुपरिन्टेडेन्ट की मोटर आई और गेट में घुस कर रास्ता बन्द कर दिया। एक तरफ स्कूल की तरफ से रास्ता बन्द कर दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे ३१ आदमियों के चोटें आईं। जब मैंने लोगों की चोटें पुलिस के लाठी चार्ज से आने की खबर सुनी तो मैं एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते एक दूसरे मेरे साथी श्री नरपतसिंहजी के साथ वहां पर गया और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट से मिला। उन्होंने कहा कि कोई लाठी नहीं चलाई गई। जब मैंने सुना कि लोग होस्पिटल में पहुँच गये हैं जिनके चोटें आई हैं, तो मैं कलेक्टर के पास गया। उनको उन लोगों की चोटें दिखाईं और कहा कि इस प्रकार की दुर्घटना कभी पहले जालोर के इतिहास में नहीं हुई। यह सब राजनैतिक अखाड़े के कारण हुआ। यह वही जालोर जिला था जो मिनिस्टरों को, जब वे आते, उस समय वहां का चेयरमैन उनकी प्रतिष्ठा करते थे, भाषण देते थे। आज जालोर में इस प्रकार से लाठी प्रहार लोगों पर होता है ! मालूम नहीं यह घटना क्यों घटी जाती है ? यह सब राजनैतिक पॉलिसी है जिसके कारण गैर-कानूनी लाठी चार्ज हुआ। इसके अलावा ३२ आदमियों को बन्द कर दिया। उन पर ४५२ दफा का आरोप लगाया। अगर इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना ही अपनी प्रतिष्ठा मान रखी है तो अलग बात है। जो चेयरमैन आपकी खुशामद नहीं करें और आपकी वाह वाही के नारे नहीं लगाता उसकी आप इस प्रकार की दुर्दशा करते हैं। जब तक वह आपकी वाह-वाही के नारे लगता रहे ठीक है, अन्यथा जब वह आपकी वाह-वाही बन्द कर दे तो उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगा कर उसको सींखचों में बन्द कर दिया जावे, १० रुपयों की चोरी का इल्जाम लगा कर बन्द कर दिया जावेगा।

इस प्रकार से जो चोरी का इल्जाम लगाया गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। म्युनिसिपैलिटी ने ऑर्डर दे दिया कि इस जमीन पर जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है उसको हटा दिया जाये। म्युनि-सिपैलिटी के सामने इसके सिवाय और कोई चारा था नहीं। उसके सामने और कोई सख्ती करने का सवाल नहीं था। सामान फाटक में रख दिया। जो जनता का प्रतिनिधि है क्या आप यह समझ सकते हैं कि वह दस रुपये

(श्री लक्ष्मीचन्द)

की चोरी करेगा ? यह एक बड़े शर्म की बात है। स्वायत्त संस्थाओं में इस प्रकार से पुलिस की ज्यादती होती है, पुलिस का इन्टरफियरेन्स होता है तो इससे स्वायत्त संस्थायें पनप नहीं सकेंगी। आपका यह विकेन्द्रीकरण का ढांचा पनप नहीं सकेगा और कामयाब नहीं हो सकेगा, गांधीजी का नारा स्वप्न दिखाई देगा। विकेन्द्रीकरण का जो वास्तविक ढांचा सरकार लेकर चलना चाहती है वह ढांचा कायम नहीं रहेगा। इस तरह से पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करना यह साबित और संबोधित करता है कि यदि काम अच्छा करेंगे तो तुम्हारे लिए लाठियां तैयार हैं। कोई जनता का आदमी काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें उत्साह नहीं बढ़ेगा। वह आदमी होगा जो हमेशा कुर्सी पर चिपके रहने की कोशिश करेगा या मिनिस्टरों को खुश करने की कोशिश करेगा, न कि जनता का वास्तविक प्रतिनिधि। यदि वह जनता को खुश करना चाहेगा तो उसको सीखचों में बंद कर दिया जायेगा। मिनिस्टरों की मर्जी का नहीं होगा तो उसको सीखचों में बन्द कर दिया जाएगा। राजस्थान में यह पहला ही दृष्टान्त होगा कि किसी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को एक मामूली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया हो। इन्डिया की हिस्ट्री में भी यह मामला पहला होगा जिसमें चोरी के सिलसिले में किसी चेयरमैन, म्युनिसिपैलिटी को गिरफ्तार किया गया हो। मैं विशेष तौर से और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार जो जनता पर, शान्त जनता पर लाठी चार्ज किया गया है जिसके फलस्वरूप भभूता नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वे इसकी जांच करावेंगे तो जनता के साथ न्याय होगा। आपको आपकी सरकार के प्रति इल्जाम लगाया है उसकी एक जुडिशियल इन्क्वायरी करानी चाहिये। लाठी प्रहार क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उस लाठी प्रहार में क्या रहस्य है, इन सारी बातों की छानबीन करने के लिए आपको जुडिशियल इन्क्वायरी कराना चाहिये। जालोर जिले में एक वातावरण बन रहा है, परिस्थितियां चेन्ज हो गई हैं, सारा जालोर जिला अशान्त बन गया है। इसलिए आप जांच करवा कर जनता को संतोष दिलायें। जांच हो, जो दोषी हों उनको आप दंड दीजिये। यदि जांच से साबित हो जाय कि जनता की ओर से हमला किया गया तो आप उनको दंड दीजिये। लेकिन यह सही है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ और एक दम शान्त जनता पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। यह साफ है कि गैर वाजिब तरीकों से सफाई तैयार कर रही है कि किस प्रकार से लाठी चार्ज को छिपाया जाय।

मैं एक ओर सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि पंचायत चुनावों के कारण जो दौरे हुए वे विशेष रूप से राजनीति के अखाड़ों को खोदने के लिए हुए। पंचायतों में राजनीति का बीज बोया गया। इस प्रकार से यदि पंचायतों में राजनीति का बीज बोया गया तो उससे पंचायतें चन्द दिनों में ही खतम हो जावेंगी और आपका यह विकेन्द्रीकरण का स्वप्न अधूरा रह जावेगा।

उसके बाद मैं भूमिहीन किसानों के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। भूमिहीन किसानों के विषय में कई बार कहा जाता है कि भूमिहीन किसानों को जमीन दी जा रही है। नियम बना दिये

(श्री लक्ष्मीचन्द)

गये हैं कि जमीन भूमिहीनों को दी जावे। लेकिन दर असल दी कैसे जाती है, यह जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। जमीन दो तरह से दी जाती है। एक अलॉटमेंट के द्वारा और दूसरी ऑक्शन के द्वारा। ऑक्शन के जरिये जो जमीन दी जाती है वह भूमिहीनों को कभी मिलती नहीं। जो पैसा खर्च कर सकेगा वह ही ऑक्शन से जमीन ले सकेगा और धनी आदमी के पास ही पैसा मिल सकता है गरीब आदमी के पास न पैसा होगा और न ही वह जमीन ले सकेगा। नीलाम में तो जमीन वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा हो। हाथी का मोल तो वही करा सकेगा जिसके पास लाख रुपया होगा। न लाख रुपया होगा गरीब के पास और न ही वह हाथी खरीद सकेगा। जमीन की इतनी कीमती हो रही है और उसको ऑक्शन के जरिये खरीदने के लिए नियम रखते हैं तो भूमिहीन को तो वह जमीन नहीं मिल सकती।

दूसरा तरीका रखा है अलॉटमेंट का। भूमिहीनों को अलॉटमेंट में वह जमीन मिलती है जहां कि कुछ नहीं उगता है। खड्डा हो, नमक उगलता हो, जमीन बेकार पड़ी हो और वह भूमिहीनों को दे दी जाती है, बिगोडी भी माथे पर पड़ती है। कहने के लिए तो कह दिया गया कि भूमिहीनों को भूमि दी गई। मान लीजिये कि जमीन दे दी लेकिन साथ में तकावी नहीं दी। इसके लिए क्या प्रोसिजर रखा है? तकावी उन लोगों को देंगे जिनके पास या तो जमीन होगी या जमानत होगी। जिसके पास जमीन या जमानत होती तो वह आपके पास लेने के लिए क्यों आता? कचहरियों में बहुत जल्दी तकावी नहीं मिलती और न मिलने के कारण वे अदालतों के चक्कर काटते। जिस व्यक्ति को जमीन देना चाहते हैं, जिस किसान को भूमि सहित बनाना चाहते हैं उसके साथ तकावी देने का भी प्रोविजन रखें जिससे भूमि देते समय ५००) रुपये की तकावी भी उसको दे दी जाय जिससे कि वह बैल ला सके और काश्त कर सके। जमीन दे दी और बैल नहीं दिये तो लगान भरना ही उसके लिए मुश्किल हो जायगा। भूमिहीनों को जमीन दे दी जाय और उनसे तकावी के लिए जमानत न ली जाय। सिक्योरिटी के लिए आप उसका पर्सनल बोन्ड ले लें। ऐसा प्रोविजन कर लीजिये कि जो किश्त आप बनायें, पहली काश्त होने पर ही वह किश्त आपको दे दे। इसके लिए आप कोई ऐसी व्यवस्था कर लीजिये। यदि जमानत देने के लिए उस काश्तकार को मजबूर किया जाता है तो उसको जमानत नहीं मिलती है तो वह जमीन ही यों ही पड़ी रहती है। समय पर पैसा नहीं मिलता है। यदि इस प्रकार के नियम नहीं बनावेंगे तो जो नियम हैं वे ठीक तरह से नहीं चल सकेंगे और भूमिहीनों की समस्या यों ही बनी रहेगी। आप उस समस्या को सुलझा नहीं सकेंगे। पैसे वालों के हाथ जमीनें बिकेंगी और वे ही उनको खरीद सकेंगे और भूमिहीन बिना जमीन के ही रह जावेंगे। इस तरह से हमेशा भूमिहीनों की समस्या आपके ऊपर बनी रहेगी।

सहकारी विभाग द्वारा एक कोऑपरेटिव बैंक खोला गया। १ जुलाई को उसका उद्घाटन हुआ। आज तक उस बैंक द्वारा एक भी पैसा लोन का नहीं दिया गया। ऐसा बैंक खोलने से जनता को क्या फायदा? छः महीने

(श्री लक्ष्मीचन्द)

में भी जो बैंक पैसा नहीं दे सकता है तो क्या फायदा उस बैंक से ? यदि प्रोसिजर को फोलो करने में दिक्कत आती हो या सहकारी विभाग उसको सहयोग नहीं देता हो, मैनेजर पर जो खर्चा हो रहा है वह तो वहां की जनता पर ही भार होगा। इसलिए मैं सहकारी मंत्री से निवेदन करूंगा कि पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह वह देखें। या तो लोन्स की एप्लीकेशन्स ही नहीं आई। यदि आई हैं तो आपके जो प्रतिनिधि रखे हुए हैं, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार या जो कुछ भी है, वे बराबर ठीक समय पर नहीं पहुंचाते हैं। इसलिये जो विभाग में अस्थिरता है उसमें सचेतता पैदा करनी है। जो बैंक खोलते हैं तो उसका उपयोग जनता को मिलना चाहिये और पैसे का उपयोग जनता कर सके, इसके लिए सहूलियतें पैदा करनी चाहिये। ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि यदि सोसाइटी को पैसा देना चाहते हैं तो उनको यह जल्दी से जल्दी मिल सके।

सड़कों के बारे में भी यह जिला सुनसान है। दो योजनायें खत्म हो गई। उनमें सिर्फ १२ मील पक्की डामर की सड़क बनी है। बाकी जिला सपाट है सड़कों के लिए। ऐसी कन्डीशन है। मंत्रीजी पधारते हैं, जीपों में घूमते हैं, इतने हिचके लगते हैं कि वे महसूस ही नहीं करते। जब जीप के अन्दर भी चलने से इस प्रकार की अड़चनें आती हैं तो जो सर्विस के अन्दर सफर करते हैं उनको तो कितनी दुविधा होती होगी, यह तो वे ही समझ सकते हैं जो इस प्रकार से जाते हैं। सांचोर और रानीवाड़ा तक का कॉम्युनिकेशन दो–दो महीने तक बन्द हो जाता है। बरसात के दिनों में इस क्षेत्र में न टेलीफोन ही आ सकता है, न तार ही मिल सकता है और न चिट्ठी पत्री ही मिल सकती है। एक टापु के अन्दर जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना होता है उस प्रकार का जीवन उस समय में हो जाता है, कोई भी इधर उधर आ–जा नहीं सकता। टेलीफोन और तार के बारे में आप कह सकते हैं कि यह भारत सरकार के अधीन की बात है लेकिन हमारी तो आपसे यह प्रार्थना है आपके अधीन जो बातें हैं वे तो आप कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्रीजी को भी याद दिलाना चाहता हूँ। जालोर में जिस वक्त केबीनेट मीटिंग हुई थी उस वक्त में जालोर की पब्लिक के सामने आपने इस प्रकार की घोषणा की थी कि सांचोर से जोधपुर वाया जालोर होते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़क का निर्माण किया जायेगा। आप भूल गये होंगे लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो इस प्रकार की घोषणा की थी वह आज भी जनता के दिलों के अन्दर घर किये हुए है। वे यह सोचते हैं कि आपके द्वारा को हुई घोषणा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा जालोर में उप निर्वाचन के समय आपने एक स्कूल भवन का शिलान्यास भी किया था। उससे यह आशा थी कि मुख्य मंत्री ने जिस भवन का शिलान्यास किया वह जल्दी पूरा होगा लेकिन दो–ढाई साल के बाद स्कूल का बनना शुरू हो जायेगा। हमें विश्वास है आपने जो जनता के सामने आश्वासन दिये, जो आपने वाक्य रखे, उन वाक्यों को पूरा किया जायेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : डिसीज़न क्या था, आप बतलायेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : केबीनेट मीटिंग हुई

Page No.44

(श्री लक्ष्मीचन्द)

थी उन्हीं दिनों आपने जालोर में पब्लिक प्लेटफॉर्म से यह एलान किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सड़क कौन सी है, जिसका जिक्र किया गया था ? मेरे ख्याल से वह जालोर से जोधपुर है।

श्री लक्ष्मीचन्द : नहीं, सांचोर से जोधपुर वाया जालोर होते हुए सड़क पक्की बना दी जायेगी, यह आपने कहा था।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आपके सुनने में फर्क रहा होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो आपने कहा था वह रेडियो में भी अनाउन्स हुआ था। मैं भी उसी के बारे में आपको याद दिला रहा हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रेडियो से पता लगा लेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपके कहे हुए वाक्य अधूरे न रह जायें।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

केवल दो मिनट और। एक विशेष बात और मैं कहना चाहता हूँ। आपके डिपार्टमेंट्स का इस प्रकार का रवैया है जो बिल्कुल अजीब है। कुछ बोरिंग की मशीनें हैं और वे मशीनें एग्रीकल्चर विभाग के पास में हैं और पानी पीने की व्यवस्था पी० डब्ल्यू० डी० हैल्थ के जरिये होती है। हम पानी की व्यवस्था के लिये उसके पास पैसे जमा करवाते हैं। जब उसके बारे में एग्रीकल्चर के चीफ इन्जीनियर से मिलते हैं तो वे कहते हैं हमारे पास इस समय बोरिंग की मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। अन्डर ग्राउन्ड वाटर वर्क्स के पास जाते हैं तो वे कहते हैं मशीनें जो हैं वे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये हैं, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। आपकी प्रायोरिटी किस प्रकार से शुरू होती है, यह मेरी समझ में कम आता है। आपके यहां एक ही प्रकार का ढांचा बना हुआ है चाहे वह पीने के पानी के लिये हो या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर हमारा दूसरा पर्पज़ होना चाहिये पहले पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर आदमी को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो वह जिन्दा किस प्रकार से रहेगा ? बिना अन्न के एक–दो दिन कोई भी निकाल सकता है लेकिन बिना पानी के एक दिन भी नहीं निकाल सकता। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने हाड़ेचा के सिलसिले में पांच हजार रुपये जमा करवाये और उसके लिये गवर्नमेंट ने बीस हजार रुपये की स्वीकृति दी है। पब्लिक द्वारा पांच हजार रुपये जमा करवाये डेढ़ साल हो गया, पी० डब्ल्यू० डी० हैल्थ के पास मशीनें अवेलेबल नहीं है और जब उसके लिये कृषि विभाग के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारी मशीनें एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई हैं। उनका कहना है कि हमारे काम दो-तीन साल से रुके पड़े हैं उनको जब तक पूरा नहीं कर देते मशीनें अवेलेबल नहीं हो सकतीं। लोगों से आप पैसा ऐंठना चाहते हैं, डेढ़ साल होने को आया आपका विभाग उस ओर कोई ध्यान नहीं देता, यह बड़े शर्म की बात है। अगर आप वह कार्य नहीं कर सकते हैं तो आपको पैसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिये। सेंक्शन आप देते हैं, हम बोरिंग करेंगे लेकिन

(श्री लक्ष्मीचन्द)

वह होता नहीं । इसलिये आपको ये मशीनें पी० डब्ल्यू० डी० हैल्थ के अन्दर में दे देनी चाहिये जो पानी के लिये प्रबन्ध करता है ताकि बोरिंग करवा कर पीने के लिये पानी की शीघ्र व्यवस्था हो सके । पीने के पानी का प्रबन्ध होने के बाद एग्रीकल्चर का काम करवाया जा सकता है। आप अन–नेसेसरी लोगों का पैसा दबा कर बैठते हैं तो इससे लोगों का विश्वास उठता है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है और जिस पर बहस की जा रही है मैं भी उस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस अभिभाषण के अन्दर राज्यपाल महोदय ने जो आंकड़ों का चित्रण करके राजस्थान के विकास का चित्र सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस पर अपनी राय पेश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन आंकड़ों से कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है उसका दिग्दर्शन होता है। इससे ऐसा जरूर मालूम पड़ता है कि राजस्थान का स्टेटिस्टिकल विभाग बहुत जागरूक है, यह इससे पता चलता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि केवल आंकड़ों से ही यह पता नहीं चल सकता कि किस क्षेत्र में हमने कितनी प्रगति की है। यह ठीक है, जहां तक कृषि के उत्पादन का सवाल है, जहां हमारा टार्गेट ७ लाख का था वहां दूसरी योजना में १२ लाख तक हुआ है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी जो आंकड़े प्रगति के हैं हमारे इस प्रकार के आंकड़े बताने का लक्ष्य क्या है। मैं निवेदन करना चाहूँगा जो प्रगति होती है उसका भी लक्ष्य होता है। जो भी विकास हम करते हैं चाहे वह खेती का हो, चाहे उद्योगों का उससे हमारी जो समस्या है, मसलन बेरोजगारी की समस्या, प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोत्तरी करना, इसके आंकड़े हमारी प्रगति के आंकड़ों से कहां मेल खाते हैं, यह देखने की बात है। इन आंकड़ों को उन आंकड़ों के साथ मिलाकर देखें कि राजस्थान के अन्दर जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उनका हल कहां तक हुआ है, उससे हमें सन्तोष नहीं मिलेगा। जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है हमारे जो टार्गेट्स बेरोजगारी के मिटाने के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थे चार लाख के थे उनमें वे आंकड़े ४।६० लाख रह गये हैं। जब एक तरफ तो हमारे उत्पादन और उद्योग–धन्धे आंकड़ों से बढ़े हुए प्रतीत होते हैं वहां बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वे बढ़ने के बजाय घटे कैसे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। इससे यह पता चलता है कि जो आंकड़ों का संकलन हो रहा है वह सही दिशा में नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रति व्यक्ति के आय बढ़ने का सवाल है इसमें आप देखेंगे कि राज्यपाल महोदय ने बतलाया है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय, अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय, जो कि अनुमानतः ३०५ रु० है, से २७ रु० कम रहेगी। तो वह भी जो हमारी प्रति व्यक्ति सालाना आय है कम रहेगी, उसका पर्सेन्टेज भी कम रहेगा। तो विभिन्न क्षेत्रों में इन आंकड़ों का क्या फल नजर आ रहा है, इसको

(श्री शंकरलाल)

जब देखते हैं तो कुछ फल नजर नहीं आता। बेरोजगारी की समस्या वैसी की वैसी है। इसी तरह प्रति व्यक्ति की औसत आय भी वही है। इस पर से निस्संदेह कहा जा सकता है कि जो भी विकास हो रहा है वह जनता के डिज़र्विंग सेक्शन को नहीं मिल रहा है। कुछ ऊपर के लोगों को भले ही मिल गया हो। मैं निवेदन करूं कि इसी से प्रेरित होकर केन्द्रीय सरकार ने तो एक जांच कमेटी बैठाई है कि जो हमारी योजनाओं के कारण लोगों की आमदनी बढ़ी है वह आमदनी वास्तव में किनकी जेबों में गई और उससे किनका स्तर ऊपर उठा, जो डिज़र्विंग हिस्सा है जनता का, जिसके लिए ये सारी योजनाएं की गई हैं, उनका भी कुछ स्तर उठा या नहीं। जो गरीब तबका है, जिसको ऊंचा लाने के लिए हम यह भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं, जो गिरा हुआ है, सदियों से दबा हुआ तबका है, हरिजन हैं और अगर उनका स्तर ऊंचा नहीं उठता है, उनकी औसत आमदनी में अगर बढ़ोतरी नहीं होती है तो केवल आंकड़े बताने से कुछ होनेवाला नहीं। वे आंकड़े थोथे होंगे और थोथे आंकड़ों से देश का नव–निर्माण नहीं हो सकता। गरीब ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए कहना पड़ता है कि आप भी इसके लिए एक जांच कमेटी बैठावें कि आखिर इन योजनाओं का लाभ किसकी जेब में गया, इस लाभ को कौन डकार गया। जिन गरीबों को ऊपर उठाने का हम सतत् प्रयत्न कर रहे हैं, जिस राजस्थान को ऊंचा उठाने की हम बातें कर रहे हैं और राजस्थान का नाम भारत में ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि उस राजस्थान के असली बाशिन्दों को इन प्रयत्नों से कितना लाभ मिला है। हमारे आंकड़ों का वास्तविक जनता की स्थिति से आज तालमेल नहीं बैठ रहा है। एक तरफ आंकड़े बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ टार्गेट बढ़ते हैं।

मैं अलग अलग मुद्दों पर भी निवेदन करूंगा कि किस क्षेत्र में वास्तव में राजस्थान में हमें आशातीत सफलता मिली है। टार्गेट से तो पता चलता है कि हमारे कृषि क्षेत्र में वास्तव में आशा से भी अधिक सफलता मिली है और इसके लिए वास्तव में कृषि मन्त्रीजी बधाई के पात्र हो सकते हैं, पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में संकेत किया कि पाली जिले में एक सघन खेती की योजना लागू की गई है और उसकी सफलता से राजस्थान में असर पड़ेगा; इस सघन खेती के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि यह सघन खेती की योजना अमेरिका की सहायता से देश के सात जिलों में लागू की गई है, जिसमें राजस्थान का पाली जिला भी एक है। इसमें इस योजना को कहां तक सफलता मिली है और आगे भी कहां तक सफलता मिल सकेगी; इस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। इसको क्रियान्वित करने का जो तरीका मैं देख रहा हूँ उससे मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इससे जितनी हम आशा करते हैं वह आशा फलवती नहीं होगी। इस योजना को सहकारी समितियों की मार्फत क्रियान्वित किया जावेगा, यह इस योजना में है। पर सहकारी समितियों का कितना सहयोग सरकार ले रही है; इस बारे में निवेदन करूंगा कि सहकारी बैंकों की और सहकारी संघ की जो भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका कोई भी प्रतिनिधि

(श्री शंकरलाल)

इस सघन खेती को क्रियान्वित करने के लिए जो कमेटी सरकार ने बनाई है उस कमेटी में नहीं है। यह कमेटी स्टेट लेवल पर बनाई गई बताई जाती है और जिला लेवल पर भी अलग अलग कमेटियां हैं पर इनमें किसी में भी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि नहीं है जो रुपया देने-लेने का मुख्य श्रोत है। सहकारी समितियों के लिए और सहकारी संघ और उसकी जिला समितियों का भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर किस प्रकार जनता का सहयोग, सहकारी समितियों का सहयोग और सहकारी समितियों को ऋण देनेवाले, रुपया–पैसा देने वाले बैंकों का सहयोग, इसमें मिलेगा।

इसमें प्रोडक्शन प्लान की भी सूचना है। मैंने जानकारी की तो जो प्रोडक्शन प्लान एक व्यक्ति का है, वह व्यक्ति सहकारी समिति का मेम्बर होगा और वह इतना कॉम्प्लीकेटेड है कि यों ही दूसरी प्रोडक्टिव प्लानों में लैण्ड मोरगेज बैंकों से बड़ी दिक्कत से पैसा मिलता है, इस कॉम्प्लीकेटेड प्लान से तो और भी देर होगी; और भी बहुत सी दिक्कतें आवेंगी काश्तकारों को पैसा लेने में।

कल एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि किसान से जमानत न ली जाय। यह तो मामूली सी बात है, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। अगर किसान की हैसियत है तो जमानत भी मिल सकती है। पर जिस तरह का वह प्लान कॉम्प्लीकेटेड रखा गया है उससे तो साल, दो साल भी लोन मिलने में लग सकते हैं। इस सघन खेती योजना में उल्लिखित प्रकार से किसान एप्लीकेशन देगा। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर की वह एप्लीकेशन सैर करेगी और अगर कुछ भी खामी कहीं रख दी तो वह ऑब्जेक्शन के साथ लौटाई जावेगी और इस तरह से मौके पर, समय पर पैसा नहीं मिल पावेगा और क्योंकि खेती का काम समय पर होता है इसलिए अगर समय पर पैसा और साधन–बीज या बैल आदि उपलब्ध नहीं हुए तो आपकी यह प्लान सफलीभूत नहीं हो सकेगी। इसलिए इस योजना में जो तरीका अपनाया जावे वह तरीका पंचायत लेवल तक अपनाया जावे और इसके लिए किसान को जिले तक भटकना न पड़े और समय पर पैसा और सारे साधन मिल जावें। इसके लिए आपको सहकारी समितियों को मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए आपको गैर सरकारी संस्थाओं का, जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करती हैं, भी सहयोग लेना पड़ेगा, उनको भी मजबूत बनाना पड़ेगा।

सहकारी संघ है प्रान्तीय स्तर पर। उसका काम है सहकारिता की ट्रेनिंग देना। जब तक समितियों को सहकारिता से किस तरह से काम किया जाता है इसकी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक केवल सहकारी समिति बनाने से काम नहीं चलेगा कि ११ आदमी हो गये और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास जाकर फार्म भर कर रजिस्टर्ड करा लिया और सहकारी समिति का निर्माण हो गया। अगर वे यह नहीं जानते कि किस प्रकार काम किया जाता है, किस प्रकार हिसाब–किताब रखा जाता है, सहकारी समिति को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, क्या कानून हैं, इसके क्या नियम हैं, तब तक आपकी यह सघन खेती की योजना भी इनके सहयोग से

(श्री शंकरलाल)

सफल नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिये जो सहकारी संघ हैं उसके पास दो इन्स्ट्रक्टर्स हैं, इसके अन्तर्गत दस पंचायत समितियों में से आठ के पास इन्स-ट्रक्टर्स होने चाहिये और वे इन्स्ट्रक्टर्स जाकर सहकारी समितियों को ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार सहकारी समिति को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है।

साथ ही अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जब तक किसान किसान के पास गांव गांव जाकर प्रचार नहीं किया जावेगा, उसके, दिमाग में यह नहीं बैठाया जावेगा तब तक स्टेट लेवल पर या जिला लेवल तक प्रचार-प्रसार से भी काम नहीं चलेगा। जिले में सात लाख की जनता में पांच लाख किसान है। तो अगर उनका और उनकी संस्थाओं का सहयोग नहीं लिया जा सकता तो यह योजना सफल नहीं हो सकती और यह सारा कार्य जिला सहकारी संघ जैसी गेर सरकारी संस्था उत्तरदायित्व से कर सकती है। तो, मैंने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार अगर इस स्कीम को बनाना चाहती है तो इन सुझावों पर आप को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

(१ म० प०)

साथ ही अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में–भाखरा नहर और चम्बल की योजना के बारे में हमने अभिभाषण में पढ़ा। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि छोटी छोटी जो सिंचाई योजनायें होती हैं और जिनका निर्माण बहुत जल्दी हो सकता है और जो केवल एक टेकिनकल सेंक्शन के लिए और केवल मामूली बात के लिए दफ्तर में पड़ी रहती हैं अगर वे योजनायें स्वीकृत हो जायें और उनका काम चालू हो जाये और पूरी हो जायें तो बहुत सी असिंचित जमीन की सिंचाई हो सकती है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि पाली जिले की रायपुर तहसील में जो बांध बनाने की योजना है और जो करीब ६ लाख रुपये की योजना है और जिससे ४,५०० बीघा जमीन सिंचाई होगी और जो योजना तैयार हो चुकी है काफी लम्बे अर्से से सरकार के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है तो समझ में नहीं आता कि उसकी सेंक्शन क्यों नहीं होती, उसका काम चालू क्यों नहीं होता?

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं और भी निवेदन करूंगा। हमारी तहसील में ही नहीं पाली जिले की बहुत सी छोटी छोटी सिंचाई की योजनायें हैं लेकिन हमें जो दिक्कत आती है वह सर्वे की आती है। जब तक उनका सर्वे नहीं होता तब तक वे योजनायें तैयार नहीं होती हैं और उनका काम नहीं हो सकता। पंचायत समितियां कहती हैं कि हमारे पास सर्वेयर नहीं हैं। हमारे पास रपटें हैं, बांध हैं जिनकी कि मामूली सी मरम्मत करने से सैकड़ों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। लेकिन स्टाफ नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि इसके लिए क्यों नहीं हमारी सरकार गम्भीरता से विचार करती और ऐसे स्टाफ को उपलब्ध करती कि जिससे छोटी छोटी योजनाओं को पूरा करके सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जायें ताकि हमारी छोटी छोटी सिंचाई की योजनाओं की समस्या हल हो?

(श्री शंकरलाल)

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में आंकड़ों के देखने से मालूम होता है कि बहुत प्रगति हुई है। लेकिन केवल आंकड़ों से ही शिक्षा स्तर का पता नहीं लग सकता है। ठीक है हाई स्कूलों की संख्या बढ़ी है, कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन शिक्षा के लिए हिन्दुस्तान और अपने प्रान्त के अन्दर ऐसे शिक्षक और योग्य व्यक्ति बनाने हैं तो मैं समझता हूँ कि जहां हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि आपको आध्यात्मिक और चारित्रिक शिक्षा की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे अध्यक्ष महोदय, स्मरण है कि ऑल इन्डिया लेवल पर कांग्रेस के हाई कमाण्ड ने एक कमेटी बैठाई। वह उत्कमण्ड में हुई थी कि जब तक देश का आध्यात्मिक और चारित्रिक स्तर ऊंचा नहीं उठता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और केवल भौतिकवाद से अपना विकास नहीं कर सकते। यहां शिक्षा के बाद जितने भी विद्यार्थी पढ़ कर अहलकार और ऑफिसर होते हैं इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े आदमी पैदा होते रहें। हमारे देश में नेहरूजी और गांधीजी जैसे चरित्रवान आदमी निकलें। ऐसी शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इन आंकड़ों के साथ ही साथ कि जो भौतिक विकास है उसके साथ ही साथ आत्मा के विकास के लिए हमको और हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अस्पतालों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कहा गया कि औषधालयों का नम्बर बढ़ा है, बैड्स बढ़े हैं; लेकिन मैं कहता हूँ कि केवल बैड्स की संख्या ही बढ़ने से हम नहीं कह सकते कि अस्पताल ठीक काम कर रहे हैं। अगर आज पाली के अस्पताल को देखा जाये तो मालूम होगा कि वहां की इतनी कम्प्लेन्ट्स हैं और मैं सदन के समक्ष वे बातें नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने ये बात पर्सनल स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री को बता दी हैं। डॉक्टर, नर्स और लेडी डॉक्टर्स जिनके पास हमारे भाई, बहिन, मां वगैरह जाते हैं उनके साथ अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता तब तक वे किस प्रकार इलाज करवायेंगे? अगर इसके लिए किसी अस्पताल की शिकायत है तो अस्पताल नहीं है। इसलिए केवल मैं इतना ही संकेत करना चाहूँगा कि अस्पतालों की हालत संतोषजनक नहीं है। रोगियों को वहां जाने की इच्छा नहीं होती है। अगर कोई कम्प्लेन्ट की जाती है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पर रोगियों को कह दिया जाता है कि हमारे पास दवाइयां नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि सरकार का आदेश होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं, उसकी एक लिस्ट वहां पर लगनी चाहिए। यह क्या बात है कि मुझे तो कह देते हैं कि आपके लिए दवा है और जब एक साधारण व्यक्ति जाता है तो उसको कह देते हैं कि यह दवाई शफाखाने में नहीं है, आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी? आखिर इस बात का निर्णय कौन करेगा कि ये दवाइयां मुफ्त मिलती हैं या नहीं? इस प्रकार की सूची होनी चाहिए कि ये ये दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं वर्ना जो डॉक्टर लोग हैं वे अपनी मर्जी से कह

(श्री शंकरलाल)

देते हैं कि ये दवाइयां बाजार से खरीद लाइये ।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के लिए हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर बताया कि सागड़ी व हाली की प्रथा है उसको मिटाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक इसका सवाल है हम लोगों का अनुभव है कि इतना उनको संरक्षण देते हुए भी आखिर उनका उत्थान क्यों नहीं होता है ? लेकिन स्पष्ट बात यह है कि जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ उठाना वे लोग नहीं जानते और कुछ ऐसा है कि योजनाएं जिस मशीनरी के द्वारा कार्यान्वित होती हैं वह ठीक नहीं है। जब तक हमारी पूरी मशीनरी में यह नहीं होगा कि हरिजन हमारे भाई हैं तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता। आपने जो आंकड़े बताये कि होस्टल इतने बढ़ाये गये इससे कोई काम नहीं चलने वाला है। कई बार सदन में प्रश्न उठाया जाता है कि कितने हरिजन लोगों को नौकरी मिली उनका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है। आज हो अगर कोई हरिजन नौकरी के लिए जाता है और अगर दूसरी जाति का ऑफिसर होता है तो वह उसे नहीं रखता क्योंकि वह उससे घर पर काम नहीं करा सकता। कई बार तो वह ऑफिसर एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज के ऑफिसर से कह देता है कि किसी दूसरी जाति का आदमी भेजना ताकि घर पर भी काम कर सके। इसलिए हरिजन भाइयों को नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाती है। हम तो यह आशा करते थे कि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में यह कहेंगे कि कितने क्लास–फोर हरिजन भाइयों को रखा गया और किन ऑफिसर के घरों में रखे गये हैं कि जहां छूआछूत बरती जाती है; कितने गजेटेड और नान गजटेड ऑफिसरों को लिया गया। पर ऐसा उसमें कुछ नजर नहीं आता। इससे उनकी सही स्थिति का पता नहीं लग सकता है।

इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा कि नवम्बर में जो बंगलोर में अधिवेशन हुआ था ऑल इन्डिया स्वायत्त शासन और पंचायत का उसमें पंचायतों के बारे में पूरी छानबीन की गई तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस अधिवेशन में भी यह तय किया और उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा कि पंचायतों और पंचायत समितियों में एक अलग स्टेन्डिंग कमेटी इसके लिए रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से पंचायत समितियों का कार्य–संचालन करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई जाती हैं उसी तरह से हमारी राजस्थान सरकार पंचायत समिति के अन्दर केवल पिछड़े हुए लोगों के लिए अलग स्टेन्डिंग कमेटी बनाये क्योंकि यह ऑल इन्डिया बेसिस पर निर्णय लिया गया है और जब इस तरह से पंचायत समिति लेवल पर इन लोगों के लिए अलग स्टेन्डिंग कमेटी होगी तो बड़ी निकटता से उनकी समस्याओं का हल होगा।

श्री अध्यक्ष : समय हो चुका है।

श्री शंकरलाल : मैं केवल दो–चार मिनट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय हो चुका है।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ धन्यवाद का प्रस्ताव जुड़ा रहता है और उस प्रस्ताव पर सही माने में, सही तरीके से अपनी राय प्रकट करना ही जनता के प्रति हमारी एक सच्ची जिम्मेदारी होती है। यदि हम इस मामले में जो वस्तु स्थिति है उसको ठीक तरह से रखते हैं तो उससे वह प्रस्ताव भी अच्छा माना जा सकता है। प्रस्ताव के साथ चाहे पक्ष में, चाहे विपक्ष में जो बातें कही जाती हैं उनसे आम जनता को लाभ मिलता है।

मैं मानता हूँ कि राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बहुत से ऐसे कार्य किये गये जिनसे हमें कुछ लाभ भी हुआ है। पर इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आम जनता से सीधा सम्बन्ध रखती हैं, उनसे कहां तक लोगों को लाभ पहुंच सका है, इस पर विचार करना आवश्यक है।

इस बार जो राज्यपाल का भाषण हुआ उसमें एक नवीन बात यह मालूम पड़ी कि जो खास करके अच्छे स्कॉलर्स हैं उनके लिये १५०)रु. से दो सो तक माहवारी की स्कॉलरशिप रखी गई है। अच्छे छात्रों के लिए, टैक्निकल और व्यवसायिक मामलों में अच्छी उन्नति करते हैं उनके लिए, यह अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान है....

श्री अध्यक्ष : यह छात्रों के लिए नहीं है, मुलाजिमों के लिये है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह तो वेतन है।

श्री मुरलीधर व्यास : विशेष वेतन का मुलाजिमों के लिए प्रावधान रखा है। छात्रों के लिए पहले से ही चला आ रहा है जैसे मेडिकल आदि के छात्रों को स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है। अब यह मुलाजिमों के लिए विशेष तौर से रखा है। जहां तक मैं समझता हूँ वाकई अच्छा कार्य करने वालों को मिलता है तो इससे उनको प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ जो कॉलेज के अच्छे अध्यापक हैं उनकी आयु भी ५८ साल तक कर दी गई है, यह भी सराहनीय कार्य है। मैं समझता हूँ इसी प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं, जजेज़ हैं, क्योंकि उनकी कमी रहती है, उनके लिए भी कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसी प्रकार से जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का सवाल है बहुत से लोग शिक्षा की आलोचना करते हैं। जहां तक शिक्षा में कमियां हैं उनको दूर करना चाहिये; लेकिन हर गांव में सरस्वती मंदिर या स्कूल खोला जाना चाहिये, चाहे उसमें एक ही टीचर हो। तो हर छात्र को कम से कम साक्षर होने का तो मौका मिलेगा। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर छात्र को शिक्षित बनाया जाये, यह कार्य अच्छा है और तीसरी पंच-

Page No.52

(श्री मुरलीधर व्यास)

वर्षीय योजना काल में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा को लागू करना चाहते हैं। यदि इसको पूरा नहीं कर सकते हैं और हर गांव में कम से कम एक स्कूल हो जाये तो भी लोगों को शिक्षित होने का अच्छा मौका है।

इसके साथ साथ जहां तक योजना से सम्बन्धित सवाल है, क्योंकि राज्यपाल ने अपने प्राथमिक भाषण में कहा है कि दूसरी योजना को समाप्त कर रहे हैं और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ होगा, तो इस मौके पर दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में जो कार्य हुआ है उसको भी सच्चाई के साथ देखना चाहिये। जो कार्य समाप्त हुआ, मैं समझता हूँ विधान सभा के सदस्यों का भी कार्यकाल समाप्त ही रहा है और राज्यपाल ने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि विधान सभा के सदस्यों का मेरे भाषण से इतना ताल्लुक नहीं है, यदि वे जिस जनता के नुमायन्दे हैं उनके प्रति

(१. १४ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जागरूक रह कर उनकी बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। जो दूसरी योजना के संबंध में राज्यपाल ने स्पष्ट शब्द कहे हैं कि हमने ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है और इतनी ज्यादा कर ली है कि हमारे विकास की आधारशिला अच्छी तरह से रखी जा सकती है। लेकिन जहां तक विकास का सम्बन्ध है, योजना का संबंध है, जहां १०० करोड़ से ज्यादा रुपया ५ साल में खर्च हो जाये और इस खर्च से और योजना के मूल उद्देश्य से जनता को कहां तक लाभ हुआ है और उसमें जितने कामयाबी हुई है तो मैं उसमें कामयाबी मानता हूँ। अनाज का उत्पादन हमारे यहां ८ लाख टन से १२ लाख टन तक पहुंच गया है अर्थात् लगभग ड्योढ़ा हो गया है। लेकिन इतना उत्पादन कर लेने पर भी जो दूसरी योजना सन् ५७ में प्रारम्भ हुई थी उससे पहले जो अनाज का भाव था उसको और उसी स्थिति को ५ साल तक स्थिर रखा जाता और आम लोगों को उसी भाव से अनाज मिलता रहता तो यह योजना सफल हुई मानी जाती। किन्तु यदि अनाज का उत्पादन ड्योढ़ा हो जाये और साथ ही साथ भाव भी ड्योढे हो जावें तो मैं उसको कामयाबी नहीं मान सकता। योजना की कामयाबी के साथ साथ भाव भी गिरते या स्थायी रह जाते तो कामयाबी मानी जा सकती थी। जो भाव सन् ५६ में था राजस्थान में १४ रुपया मन के हिसाब से सफेद गेहूँ मिलते थे और आज जब कि दूसरी योजना समाप्त हो रही है उस समय २१ या २२ रु० मन के हिसाब से गेहूँ मिल रहे हैं गंगानगर व्हीट। तो मैं यही कह सकता हूँ कि भावों में काफी बढ़ती हुई है। बाजरा जिसे साधारण लोग खाते हैं, उसका भाव योजनाकाल के प्रारम्भ में ८ रु० मन था और आज उसी बाजरे का भाव २० रु० मन है तो आम जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में कामयाबी नहीं हुई। हर आदमी के जीवन स्तर पर चीजों के भावों का प्रभाव पड़ता है। मैं इसी चीज को सबसे ज्यादा

(श्री मुरलीधर व्यास)

महत्व देता हूँ। सरकार अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को बनाये रखती और हर नागरिक की जो प्राथमिक आवश्यकता की चीजें हैं उनके भाव बढ़ने के बजाय दूसरी चीजों के भाव बढ़ जायें तो कोई चिन्ता की बात नहीं, लेकिन जो दैनिक आवश्यकता की चीजें—अनाज, कपड़ा, मट्टी का तेल आदि जिनको हर आदमी इस्तेमाल करता है उनके भावों में स्थायित्व यदि नहीं रहता है, चाहे कमी न भी हो तो मैं समझता हूँ कामयाबी नहीं हो रही है।

इसी तरह से बेकारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं उनमें कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ४ लाख लोगों को काम देने की योजना थी लेकिन २ लाख १० हजार लोगों को ही काम दे पाये हैं और दूसरों को नहीं दे पाये किन्तु फिर भी दूसरे प्रान्तों से यहां की हालत बेकारी के सम्बन्ध में अच्छी है। यहां तक कहा गया है। शायद इसमें गलत छप गया है पेज १० पर कृषि सेक्टर में ४६ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। मैं समझता हूँ, यह गलत छपा है और शायद गलत ही पढ़ा गया है, इसमें ४६ लाख लिखा है लेकिन गांवों में ४६ लाख तो किसान नहीं हैं....

श्री पी० के० चौधरी : Point for Six lacs.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : पॉइन्ट ऊंचा-नीचा हो गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने भी इसका अन्दाज लगाया था लेकिन क्योंकि सरकार द्वारा लिखा गया है इसलिये शायद ठीक होगा। मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आपके आंकड़े ठीक नहीं हैं। कहने को तो आप यह कह सकते हैं कि इतनों को काम पर लगाने की योजना थी और इतनों को काम पर लगा पाये, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि नागरिक होने के नाते मेरा भी कर्त्तव्य था इस बारे में पता लगाने का। हमारी पार्टी ने बीकानेर शहर में यह जानना चाहा कि यहां कितने बेकार हैं। हमने ४-५ मोहल्ले इस तरह के छांटे जिनमें सब तरह के लोग आ जायं। हमारे यहां २७,००० के आस-पास मकान हैं और उनमें ऐसा एक भी मकान नजर नहीं आता जिसमें कम से कम एक आदमी बेकार नहीं रहता हो और किसी किसी में दो और उससे भी अधिक संख्या बेकारों की है। बीच में कुछ ऐसे मकान भी आये जो सरकारी अफसरों के थे या दूसरे सम्पन्न व्यक्तियों के थे जिनके यहां बेकारी का सवाल नहीं है, लेकिन गरीब लोगों के घरों में बेकारों की संख्या लगाई और उम्र के लिहाज से भी १८ वर्ष के या उससे ऊपर की आयु के लोगों को लिया। हम १८ साल के, १६ साल के, १५ साल के बच्चों को लें, ऐसे बच्चे पढ़ते नहीं, घर में बैठते नहीं, उनकी संख्या २० हजार के आस-पास पहुँच जाती है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमने बेकारी के मामले में महिलाओं को नहीं पकड़ा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं थोड़ा फिगर्स को समझ लूं। आप फर्मा रहे थे कि बीकानेर शहर में २० हजार बेकार हैं?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : २० हजार बेकार का मतलब २० हजार फेमिलीज से है ?

श्री मुरलीधर व्यास : हर मकान, हर फेमिली में एक नौजवान, जिसकी उम्र १८ साल है, बेकार है । इस तरह हमने २० हजार का टोटल लगाया । हम हर मकान में गये, हर मकान में बेकारी नजर आई । आप सर्वे करा लीजिये....

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : कांग्रेसी बेरोजगार दिखे ?

श्री मुरलीधर व्यास : सभी कांग्रेसी नहीं बन जाते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि बेकारी की प्रोब्लम इतनी जबरदस्त है आज । इसके अलावा आप अन्डर एम्लॉयमेंट को देखिये । आपको अर्ध बेकारी हर घर में मिलेगी । आप गांव गांव में चले जाइये, आप देखेंगे कि वहां की स्थिति बहुत खराब है और खास तौर से इन इलाकों में, जो बाड़मेर के हैं, जैसलमेर के हैं । वहां एक साल अगर वर्षा नहीं हुई तो लोग बेकार होकर निकलते हैं, भागते हैं । हर साल बहुत मुश्किल से निकलती है । उनके पास कोई काम नहीं है । ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है । यह वस्तु स्थिति है, इसको छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । हमारे राजस्थान के अन्दर बेकारी और अर्ध बेकारी की प्रोब्लम इतनी खराब है कि इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ विचार करना चाहिए । मैं खास करके यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बेकारी के सम्बन्ध में जो आंकड़े निकले, उनमें महिलाओं की संख्या को लेकर जोड़ें; आज बहुत सी महिलायें हैं, जिनको काम नहीं मिलता है, वे बेकार रहती हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब रहती है । बीकानेर शहर में महिलाओं का हिसाब लगाया । कुछ महिलायें पापड़ के काम में लगी हुई हैं, कुछ ऊन के रोजगार में लगी हुई हैं, परन्तु कुछ महिलायें ऐसी हैं, जिनको वहां पर कुछ भी काम नहीं मिलता है । यह वस्तु स्थिति है । इसलिए मैं इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता । मैंने व्यवहारिक तौर पर सर्वे किया है, उसके आधार पर बात कहता हूँ । तो जो खास तौर पर बेकारी की सबसे बड़ी समस्या को लेकर हमारी योजना के अन्दर बेकारी की बात है कि योजना के अन्दर अनाज का उत्पादन बढ़ा कर बेकारी को कम करेंगे, उसमें सरकार कामयाब नहीं हुई है । आप जयपुर शहर में ही चले जाइये । यहां पर आपको रिक्शेवालों की संख्या मिलेगी वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । कितने ही नौजवान इस प्रकार के हैं जो काम न मिलने के कारण इस काम में लगे हैं, आपको जयपुर शहर में दस हजार रिक्शे चलाने वाले मिल जायेंगे । यह काम कोई अच्छा काम नहीं है कि आदमी को आदमी खींचे । वे लोग हैरान होकर इस काम में लगे हुए हैं । उनके लिए सरकार कहती है कि उनको काम दिलवाया है, तो मैं कहूँगा कि यह आजाद भारत के लिए कोई तारीफ की चीज़ नहीं है । इसलिए जो वस्तुस्थिति है, उसको गुमराह नहीं करना चाहिए । यह स्थिति हर तरफ है, हर शहर में है, हर गांव में है । पूरे राजस्थान की यह वस्तुस्थिति है ।

इसके अतिरिक्त जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो हम पर–केपिटा

(श्री मुरलीधर व्यास)

इन्कम की बात कहते हैं उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार स्वयं मानती है कि दूसरे इलाकों की अपेक्षा हमारे यहां पर–केपिटा इन्कम कम हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि राज्य सरकार ने, अपनी किताब में जिसका उल्लेख भी किया था, उसमें लिखा था कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक इतनी पर–केपिटा इन्कम हो जायेगी, वह करीब ३०७ रुपये तक मान ली थी। अब यह कहा गया कि २७८ रुपये प्रति व्यक्ति आय होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे जहां तक मालूम हुआ ये आंकड़े इस प्रकार की इन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाये जाते हैं और तीसरी पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार से विशेष तौर पर पैसे लेना है, इसलिए आंकड़ों को कम ज्यादा किया गया है। इसके लिए कुछ लोगों को डेप्यूट किया गया और उनके द्वारा ये आंकड़े तैयार करवाये गये। यह बात जब सुनते हैं तो आश्चर्य होता है क्योंकि किसी राज्य की पर–केपिटा इन्कम राज्य की महत्वपूर्ण चीज होती है। वह सफाई के साथ सब के समक्ष आनी चाहिए और उसके लिए सरकार को जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए। परन्तु यह स्थिति नहीं है और आज चाहे जो कुछ भी हो, अगर २७८ रुपये पर–केपिटा को जाय, राजस्थान के अन्दर मान लें और एक परिवार की आय २७८ रुपये मान लें तो सवा सो रुपये हर व्यक्ति को मिलने चाहिए। एक परिवार में पांच आदमी मान लें तो यह देखना पड़ेगा कि २७८ रुपये की इन्कम हर आदमी को ठीक ढंग से हो और राजस्थान में हर जगह हो। वैसे सवा सो रुपये प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम मिलने ही चाहिए।

अब जब हम समाजवाद की बात करते हैं और योजना के साथ कहते हैं कि हमारी योजना का विकास होगा उसमें भोजन, वस्त्र और शिक्षा समान रूप से हर जगह पहुँच जाये, यह योजना का लक्ष्य है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पर–केपिटा इन्कम २७८ रुपये राज्य सरकार ने मानी है, क्या यह इन्कम हम हर जगह पहुँचा सके हैं और कितनी पहुँचा सके हैं? मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले में इतनी ज्यादा विषमता है, हमारे देश में ८० प्रतिशत में से ७०, ७५ प्रतिशत जनता ऐसी मिलेगी जिसको २७८ रुपये सालाना नसीब नहीं होते। ऐसी हालत हमारी है। तो हमारी योजना के आधार पर पर-केपिटा इन्कम बढ़ी, उसे हम घर घर में कैसे पहुँचा सकें, किस तरह विभाजन कर सकें, उसमें कामयाबी होती है तो हम समाजवादी सिद्धान्त व योजना के आधार पर कामयाबी मानते। उसके आधार पर आंकड़े आते तो हम समझते कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कामयाबी हासिल की है। योजना की कामयाबी का एक आधार-भूत सिद्धान्त होता है, उसके आधार पर कामयाबी का लक्ष्य होता है। मैं समझता हूँ कि इन सारे मामलों के अन्दर हम नाकाम-याब हुए हैं, मूलभूत उद्देश्य को प्राप्ति करने में योजना नाकामयाब रही है। आप कह सकते हैं कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति अगली योजना, पांच साल, दस साल के अन्दर होगी। ठीक बात है, लेकिन आपने दस साल पहले कहा था कि दस साल के अन्दर नहर आ जायेगी, उससे उत्पादन बढ़ जायेगा, गरीबी दूर हो जायेगी, अभाव कम हो जायेंगे। लेकिन आज दस साल के बाद कहते हैं कि कम से कम तीन योजना और हाथ में ली जायेंगी! मैं समझता हूँ कि यह अच्छी स्थिति

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं है ।

अब जो दूसरी बात इसमें कही है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ । हमारी सरकार की एक साधारण जिम्मेदारी होती है, वह यह होती है कि सरकार कम से कम शांति और व्यवस्था बनाये रखे, न्याय की दृष्टि से अच्छा और सस्ता न्याय मिले, साधारण आदमी हर जगह पहुँच सके, प्रशासनिक ढंग अच्छा हो, गवर्नमेंट द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, काम अच्छा हो । ये दूसरी चीजें हैं सरकार की सफलता की । मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन मामलों में सरकार कहां तक सफल हुई है । मैं पूछना चाहता हूँ शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में ? अभी एक उदाहरण एक माननीय सदस्य ने रखा कि एक जलूस पर लाठी प्रहार हुआ, उसमें एक आदमी मर गया । जो कुछ भी घटना हुई, वह किस प्रकार से हुई, परन्तु यह घटना सही है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लिए शर्म की बात है । इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि शांति और व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर है । आज जो पुलिस का महकमा है, क्या वह वाकई सही मायने में जनता की सेवा का महकमा है ? आज के पुलिस कर्मचारियों की वर्दी देख कर इस आजाद मुल्क का आदमी डरता है और कहता है यह आ गया । मैं समझता हूँ यह उचित नहीं है । राजस्थान की पुलिस का लक्ष्य है–बोर्ड लगे हैं–"सेवा के लिए खड़ा हूँ", लेकिन पुलिस से आदमी डरता है । तो मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद आजाद मुल्क का सिपाही इस देश की खिदमत के लिए नहीं बना । आज भी गांव का आदमी डरता है, शहर का आदमी डरता है क्योंकि जो अधिकार पुलिस को दिये हैं उनका दुरुपयोग होता है लेकिन उनकी छानबीन नहीं होती । इसके हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं । कुछ दिन पहले रतनगढ़ में सूर्यनारायण शास्त्री करके एक पत्रकार थे । उन्होंने पुलिस के खिलाफ कुछ लिख दिया– 'पुलिस गुन्डागर्दी करती है, भ्रष्टाचार करती है, पुलिस के लोग गड़बड़ी करते हैं ।' उसकी बात जब पुलिस ने देखी तो एक अधिकारी ने उसको खुले बाजार में पकड़ा, उसकी जेब में कुछ चीज़ डाल दी । उसको बरामद करने के बहाने उस पत्रकार को थाने में ले गये और वहां इस तरह से मरम्मत की, लिटा कर, सुला कर, हाथ में, पैर में, सिर में । जितनी बुरी स्थिति करनी थी वह की रतनगढ़ में । अगर, डेमोक्रेसी में एक पत्रकार, यदि कोई पुलिस का अधिकारी भ्रष्टाचार या बुराई करता है, उसके बारे में सही बात पत्र में लिख दे और उसके लिखने पर इतनी कार्यवाही हो जाये तो फिर डेमोक्रेसी की कौन रक्षा करेगा ? इसी प्रकार से पुलिस का अधिकारी कोई गड़बड़ी करता है और उसके खिलाफ कोई बोल दे तो उसके साथ भी इसी तरह की कार्यवाही होती है ।

टोंक के दलेलचन्द की बात मैंने पहले भी सदन में कही थी कि किस प्रकार पुलिस ने पहले उन्हें पकड़ा । वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे, जो खरी बात हो चाहे पुलिस की हो, चाहे किसी की हो वे खुल कर कहते थे। उनको यहां तक बुरी तरह से सताया कि एक केस में जमानत कराते हैं तो पुलिस दूसरा वारन्ट तैयार रखती है, दूसरे में जमानत

(श्री मुरलीधर व्यास)

कराई और वहां से निकलते हैं तो उनके नाम तीसरा वारन्ट तैयार रखती है। इस तरह सताने के बाद वर्षों मुकदमा लड़ते रहे और आखिर में फैसला होता है। फैसले में मजिस्ट्रेट लिखता है कि इस आदमी को इरादतन पुलिस के अधिकारियों ने फंसाने की दृष्टि से सारी कार्यवाही की है। ये सारी बातें मुख्य मंत्री महोदय को बताई गई और वे जब टोंक गये तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब फिर उन्हें गिरफ्तार किया है क्योंकि वह बराबर पुलिस के खिलाफ बोलता है। एक आदमी दिलेर होकर पुलिस के खिलाफ बोलता है तो उसको इतना ज्यादा सताया जाता है इसका मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब मैं सुनता हूँ कि इन्टेन्शनली उसको सताया जाता है चूंकि दलेलचन्द ने राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर, श्री दामोदरलाल व्यास, के पहले तमाचा धर दिया था, क्योंकि वे जागीरदारों की वकालत करते थे। उन्होंने तमाचा धरा था, सही बात हैं पर एक व्यक्ति को इस प्रकार सताया जाता है तो अच्छी बात नहीं है। जो घटना हो गई, पुराने समय में हुई, पर अब उस बात को लेकर उस व्यक्ति को क्यों सताया जाता है ?

बीकानेर की पुलिस के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, खास कर डी. एस. पी. मानसिंह के बारे में। इस डी. एस. पी. के बारे में मैंने सदन में शिकायत की थी कि रेल्वे स्ट्राइक के समय में मुझे पकड़ा, मेरे बाल खींचे और कहा इसको लिटाओ और पीटो। सदन में भी यह किस्सा आया। होम मिनिस्टर इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं। इस मामले में मैं जरा भी दोषी हूँ तो कमेटी बैठा कर जांच कर लें कि मैं उनसे नाराज होकर इस प्रकार की बात कहता हूँ। आज बीकानेर शहर में चाहे जुआ, सट्टा चलता है; मैं तो यहां तक कहूँगा कि पुलिस की वजह से–हालांकि वहां वेश्यावृति समाप्त हो गई, कानून बना दिया पर पुलिस की देखरेख में यह सारा काम होता है। एक थाना है नया शहर थाना, उसके पास सैकड़ों ऐसे केसेज़ पकड़े गये। इसके विरुद्ध शहर में हलचल मची कि पुलिस मिल कर ये कार्यवाहियां कराती है। सभी पार्टियों ने मिल कर मीटिंग की और सरकार के पास सब चीजें लिख कर भेजी कि इसकी जांच की जाये। इस प्रकार की पुलिस की कार्यवाहियां हैं। मनमाने तरीके से कोई लूट ले, खुद अफसरों के यहां पर चोरियां हो जायें डी. एस. पी., एस. पी. और मजिस्ट्रेट के यहां पर चोरियां हो जायें और चोरियां पकड़ में नहीं आयें, मालूम बाद में पड़े कि पुलिस मिली हुई है। अभी महीना भर हुआ एक महिला जैसलमेर से आई, मोटर में बैठ कर बीकानेर आई, साढे दस बजे बीकानेर आई। उसकी पेटी मोटर के ऊपर थी क्योंकि पेटी मोटर में नीचे नहीं रखने देते इसलिये ऊपर रखी। उसने उतरते ही पेटी को सम्हाला तो पेटी नजर नहीं आई। उसने उसी समय किसी को कहा और मेरे पास यह इत्तला पहुंची। मैंने पुलिस में फोन किया कि २,०००)रु. का जेवर हैं, फौरन पुलिस चली आयेगी तो कुछ न कुछ कार्यवाही हो जायेगी। दो घण्टे तक पुलिस नहीं आई। लड़की वहीं रही, वह बहुत रोई। २ बज गये पर पुलिस नहीं आई। उस औरत को थाने में बुलाया। दूसरे दिन सबेरे धर्मशाला के पीछे पेटी मिल गई, पर सारा

Page No.58

(श्री मुरलीधर व्यास)

जेवर नदारद था, कपड़े मिल गये। पुलिस समय पर चली आये तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैंने शान्ति व्यवस्था के बारे में कुछ शब्द कहे। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय के भाषण में कुछ नीति सम्बन्धी बातें आनी चाहियें क्योंकि हमारी सरकार ने मूल-भूत नीतियां मानी हैं। हमने इस नीति को माना है कि स्टेट ट्रेडिंग होगा। स्टेट ट्रेडिंग कैसा हुआ, किस तरह से हुआ उससे भावों के नियन्त्रण में कहां तक कामयाबी मिली, इसकी कोई चर्चा नहीं। हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर में काम करेंगे, इसका थोड़ा सा उल्लेख मात्र कर दिया। पब्लिक सेक्टर के अन्दर काम दिखाया गया चाहे पलाना का हो। एक साहब तांबे की खान का काम शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू हुआ नहीं है। पहली और दूसरी योजना में कहीं भी पब्लिक सेक्टर में काम नहीं हुआ है। यह समाजवाद के दृष्टि-कोण से हमारे लिये सोचने की बात है कि पब्लिक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काम हो। पर दूसरी योजना में कहीं पब्लिक सेक्टर में काम नहीं हुआ, तीसरी योजना में फिर टाल दिया गया है, कोई गुंजायश नहीं। पर यह कहें कि हम लेना चाहते हैं। कुछ मिलों को हमने अपने हाथ में लिया है, जैसे मेवाड़ टैक्सटाइल मिल है, एडवर्ड मिल ब्यावर की है। इनको लिया है और इनके लिये कहा कि इनकी हालत अच्छी है। मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी हालत पहले से भी खराब है। मजदूरों को काफी लाभ मिला है, आपने यह कहा है। पर मैं कहूँगा कि न मजदूरों को लाभ मिला है, न कुछ मिला है। जितने मजदूर पहले इनमें काम करते थे उनकी छंटनी की गई है। पहले जो खर्चा होता था उससे खर्चा और ज्यादा बढ़ा है और पहले जितना उत्पादन होता था उससे कम उत्पादन होता है। अध्या-देश जारी करके वहां के मजदूरों को बोलने से बन्द किया गया है। राजस्थान के लिये विशेष अध्यादेश जारी करके यह व्यवस्था की गई है कि मजदूर अपनी मांगों के लिये बोल नहीं सकते। इससे मजदूरों के मुंह पर ताला लगा दिया गया है। दोपहरी को आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी उसमें भी उनसे काम लिया जाता है।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

सरकार कहती है कि लाभ हुआ है, मैं बता देना चाहता हूँ कि यह गलत है। इसके बारे में आपकी नीति स्पष्ट नहीं। मजदूरों के बारे में, पॉवर हाउस फेडरेशन के बारे में घोषणा करते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय झण्डे के नीचे आ गये। तिरंगा झण्डा राष्ट्रीय झण्डा है, यह आपके दिमाग में आ सकता है, पर हमारे नहीं। जब कि एक फेडरेशन मौजूद है, आप इन मजदूरों को राष्ट्रीय झण्डे के नीचे लाये हैं और कहते हैं कि यह मजदूरों के हक में किया है। मैं तो यह कहूँगा कि आप मजदूरों के अन्दर फूट डालना चाहते हैं। यह मजदूरों के अन्दर फूट डालने की नीति है, यह मजदूरों के ऊपर कुठाराघात करने की नीति है। आप मजदूरों को एक ही फेडरेशन के नीचे काम करने दीजिये, दूसरी को मान्यता क्यों देते हैं ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो आपकी मान्य है उसके पूरे मेम्बर भी नहीं हैं। यह जो नीति है उसको मैं अच्छी नहीं मानता। मैं इस नीति का विरोध करता हूँ।

इसके अलावा दो शब्द मैं, डीसेन्ट्रेलाइजेशन हुआ है, इस पर कहना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी में डीसेन्ट्रेलाइजेशन हुआ है यह तो बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके लिये हम तारीफ किये बिना नहीं रह सकते और उसकी तारीफ हम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जो आपने वस्तु–स्थिति हमारे सामने रखी है वह सही नहीं है कि पंचायतों के चुनाव निष्पन्न हुए। आपके ऊपर हर इलाके में यह आरोप लगाया गया है कि मंत्री महोदय और दूसरे लोगों ने चुनावों के समय इलाकों का दौरा किया और इलाकों में घूमे। जहां राजपूतों का जोर था वहां राजपूत गया और जहां दूसरों का जोर था वहां दूसरे लोग गये और इस बात को आपने सदन में माना है कि पंचायतों के चुनावों में दिलचस्पी ली है।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

मैं इस बारे में दो बातें और कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : I will not extend the time. The Hon'ble member will please conclude the debate.

श्री मुरलीधर व्यास : चुनावों के बारे में मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष और शांति पूर्वक हुए। आप इस बात को मानें या न मानें, मगर मैं यह कहूँगा कि चुनावों में बहुत पक्षपात किया गया। मैंने स्वयं देखा। जहां राजपूतों का जोर था वहां राजपूत गया और सारे इलाके का भ्रमण किया। इस प्रकार से चुनावों में काम किया गया और सत्ता का पूरा उपयोग लिया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रकार भ्रमण नहीं करते और सत्ता का उपयोग नहीं करते तो बहुमत में नहीं आ सकते थे। मैं इस सम्बन्ध में आप से मांग करता हूँ कि आप चुनावों के दो महीने पहले इस्तीफे दे दें और यहां पर गवर्नर का शासन हो जावे तो जैसा मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा बहुमत होगा, मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुमत में नहीं आ पावेंगे और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से मार खाएगी, वह किसी तरह से नहीं आ सकेगी। आज आप सत्ता और पैसे का उपयोग करते हैं तब जीतते हैं। अगर आप सही तरीकों से चुनाव करावें तो नहीं जीत सकते। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मेरी इतनी बात तो स्वीकार करें कि चुनाव जो फरवरी या मार्च में होते हैं उसके पहले आप दो–महीने–दिसम्बर में अस्तीफे दे दें और गवर्नर–शासन हो जावे; फिर चुनाव हो तो मालूम हो जावेगा कि किसका बहुमत आता है।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती प्रभा मिश्रा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करती हूँ। श्रीमान्, आज से

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

पहले भी राजस्थान पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता रहा है, लेकिन आज अपने प्रयासों से दूसरे राज्यों का मार्ग दर्शन कर रहा है, नेतृत्व दे रहा है और आदेश सामने रख रहा है। पंचायत राज्य की स्थापना करके राजस्थान ने एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है और इससे एक बहुत बड़े जन-समुदाय को, जो बेकार बैठा था एक बहुत बड़ी जन शक्ति को प्रेरित कर उसको विकास कार्यों में नियोजित किया। इससे राजस्थान को बहुत बड़ी जनसंख्या विकास कार्यों में अपना हाथ बंटाने के लिए आगे बढ़ी है और विकास कार्य को अपना कार्य समझ कर आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रही है। इससे हम देखते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और राजस्थान के नव विकसित नेतृत्व ने जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार की है। निश्चय ही अपनी योजना को सफल बनाने में सफल होंगे और इस प्रकार धन, वैभव, समृद्धि एवं कल्याण की फसल काटेंगे।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के भाषण में चिकित्सा के संबन्ध में बताया गया है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान साधन-सुविधा की औसत भारत के औसत आंकड़ों से अधिक बढ़ गई है और हम आगे बढ़े हुए हैं। यह बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि राज्य में उनकी संख्या भी बढ़ रही है जो बिना किसी प्रकार की डिग्री को पास किये अपने आपको डॉक्टर मानते हैं और जन साधारण के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि इस तरह के बढ़ते हुए डॉक्टरों और वैद्यों की संख्या पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शरीर के कोमल अंगों का जब वे ट्रीटमेंट करते हैं और वे खराब हो जाते हैं तो ठीक नहीं हो सकते। आंख जैसे कोमल अंग के इलाज के लिए जब देश में केम्प लगते हैं तो इस बात का वहां अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिये कि बिना सर्टिफिकेट का कोई डॉक्टर न हो। जिसके पास डॉक्टरी पास का सर्टिफिकेट हो वही ऑपरेशन करे। सर्टिफाइड नहीं होते हुए भी लोगों का ऑपरेशन कर देते हैं, उनकी आंखों की ज्योति सदा के लिए छीन लेते हैं।

श्रीमन्, स्त्री शिक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय ने बहुत कुछ कहा है और वास्तव में बहुत कुछ हो रहा है, इसको हम मानते हैं; परन्तु जितना होना चाहिये उतना कदम नहीं उठाया गया है। राजस्थान में स्त्री-शिक्षा निःशुल्क है किन्तु वे गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजों के लिये हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। शेष प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बाकायदा फीस ली जाती है। इसलिए उन इन्स्टिट्यूशनों में शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियों को प्रोत्साहन देना चाहिये और उन इन्स्टिट्यूशन्स को भी फीस की रकम सब्सिडाइज़ करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगी कि जिस तरह से राजस्थान में लड़कों को टैक्निकल शिक्षा दी जाती है उसी तरह की शिक्षा लड़कियों को भी दी जानी चाहिये। जिससे वे शिक्षा पाकर पार्ट टाइम काम कर सकें, घर का काम भी संभाल सकें और आय में भी योग दे सकें। श्रीमान्, लघु उद्योगों में उन्नति हुई है और खास कर चर्म उद्योग

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

को लेकर गांवों में जगह जगह पर कॉमन वर्किंग शेड खोले गये हैं जिससे लोगों को घर घर में गन्दगी नहीं रहती, साथ ही नये साधन और नये तरीकों से कार्य करने का मौका दिया जा रहा है इससे निश्चय ही इस चर्म उद्योग में जो लोग काम करते हैं उनका जीवन–स्तर ऊंचा उठेगा।

श्रीमान्, अजमेर से आने वाले मेरे भाई ने कुछ आवेश में आकर उद्गार प्रकट किए उस विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वे यहां नहीं हैं, मगर मुझे आशा है कि मेरी बात उन तक अवश्य पहुँच जावेगी।

जिस आवेश में आकर उन्होंने बात कही वास्तव में वह बात का एक ही पहलू है। दूसरे पहलू को या तो उन्होंने जानबूझ बताना ठीक नहीं समझा या बता नहीं सके, यह मैं नहीं कह सकती। श्रीमान्, हमारे माननीय सज्जन जो अजमेर से आये हुए हैं; सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य उनके भी वहां पर केबिन हैं और उन्होंने सबलेट किये जिसका किराया बकाया है लगभग २,५०० रुपयों का सिविल सूट कोर्ट में पेन्डिंग था। जिस समय एक चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास लाया गया तथा दूसरे को आसीन किया उस समय पोलिटिकल बार्गेन में उनका यह सूट बिना कमेटी की अनुमति के वापिस ले लिया गया। इसलिये जो केबिन हटाया गया है उसका उल्लेख यहां पर किया जाना चाहिये था। म्युनिसिपल सदस्य थे उन्होंने ही उनको सबलेट कर रखा है। इस तरह से म्युनिसिपल प्रोपर्टी को उन्होंने अपनी ओन प्रोपर्टी बना रखा था। यदि उनको हटाया गया तो उनको दुःख होना था, आर्थिक स्थिति पर भी आघात होता है तो निश्चय ही दुःख होता है। जब पैर के नीचे की जमीन हटने लगती है तो मनुष्य लड़खड़ाने लगता है। आज के युग में यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो नेतागिरी को धक्का लगने लगता है तो पैर और भी लड़खड़ाने लगते हैं। अजमेर से आने वाले भाई ने अजमेर में सिन्धी और मारवाड़ी का नारा लगा कर जनता को उभारना चाहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एन्क्रोचमेन्ट्स को हटाया जा रहा है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हटाया जा रहा है। वे उनसे हड़ताल कराने में सफल नहीं हो सके। फलस्वरूप आवेश आना स्वाभाविक था और आवेश के जो उद्गार थे, यद्यपि उनका यहां इस विषय में कोई सम्बन्ध नहीं था उन्होंने वे उद्गार यहां प्रकट किये। मैं यह नहीं कहूँगी कि केबिन्स हटाने में नुक्सान नहीं हुआ जनता को व एन्क्रोचमेंट को हटाने में नुक्सान नहीं हुआ। बहुत से केबिन्स तो ऐसे स्थानों पर लगाय गये थे, उदाहरण के तौर पर टाउन हॉल के समीप ही यूरिनल्स पर केबिन्स लगाये गये थे, जिससे गांधी भवन के बगीचे को यूरिनल की तरह प्रयोग करने लगे। उन केबिन्स को हटाया गया तो अत्याचार या अनाचार किया गया, यह एक सोचने की बात थी। जब केबिन्स हटाये गये तो उनको यह भी आश्वासन दिया गया था कि उनको उपयुक्त स्थान दिया जायगा। पब्लिक के हित में कुछ करते हैं तो कोई बात हो सकती थी। लेकिन स्वार्थ जब किसी चीज़ में आ जाता है तो बात कही जाती है, उसमें वजन नहीं होता है। उन्होंने जो यहां बातें कहीं उनमें वजन नहीं था बल्कि मैं यह कहूँगी कि उनकी बातें पब्लिक प्लेट फॉर्म पर वोट

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

केन्द्र करने जैसी थी ।

लोकल बोडीज़ के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अजमेर की स्थिति वास्तव में नाजुक हो रही है। उसका कारण यह है कि अजमेर एक ऐसा टाउन है जिसमें हैवी ऑक्ट्रोय है, जिसके कारण जितने व्यवसायी हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है और अजमेर की जनता को भी। ऑक्ट्रोय की चोरी करने के लिए म्युनिसिपल एरिया से बाहर गो–डाउन बना रखे हैं। उदाहरण के तौर पर आप उनके गो–डाउन किशनगढ़ में पायेंगे, उनके गोडाउन मदार में पायेंगे, उनके गोडाउन नसीराबाद में पायेंगे। धीरे धीरे सामान अजमेर में आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्ट्रोय की वसूली भी पूरी नहीं होती है और साथ ही साथ ढंग से काम करते हैं, वे कर नहीं पाते हैं। इसलिये आज एन्क्रोचमेन्ट के हटाने से जो क्षति अजमेर के व्यवसायी को पहुंचती है उसको पूरा किस प्रकार से कर सकते हैं? अजमेर में ऑक्ट्रोय दूसरे टाउन्स के मुकाबले किया जाये जिससे कि वह दूसरे टाउन्स के मुकाबले खड़ा हो सके। इससे व्यवसाय भी बढ़ेगा और जनता में संतोष भी होगा।

अन्त में पिछले सत्र में भूमि सुधार आदि के कानून पास किये गये हैं उनके लिए राज्य सरकार को बधाई देती हूँ आगे आने वाले बिल्स हैं वे भी सराहनीय हैं। अन्त में मैं पुनः प्रस्ताव का समर्थन कर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-मु.): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया और जो प्रस्ताव सदन में आया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय ने राजस्थान में हुई प्रगति का अपने भाषण में जिक्र किया है इसलिए मैं राजस्थान राज्य के मन्त्री-मन्डल को बधाई देता हूँ और सदन के नेता माननीय श्री मोहनलाल.जी सुखाड़िया को-जिन्होंने इस प्रदेश में लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण कायम कर हमारे पड़ौसी राज्यों को अवगत कराया उसके लिये बधाई देता हूँ।

सबसे पहले राज्य की जो सड़कें बन रही हैं, उनके ऊपर बल देता हूँ। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने गत बजट अधिवेशन के वक्त जो कुछ हमने कहा उस पर ध्यान दिया और सड़कें पूरी हुई इसलिए मैं राजा हरिश्चन्द्रजी को धन्यवाद देता हूँ।

मैं निवेदन करूं कि उदयपुर जिले का भोपालसागर शुगरकेन एरिया है उसको एप्रोच रोड मिलनेवाली है, उस ओर ध्यान दिलाऊं। हमारे यहां उदयपुर जिले में भोपालसागर शुगर मिल्स है उसमें डब्ल प्लान्ट लगा दिया गया है। पहले शक्कर बनती थी अब वहां पर उससे दुगुनी शक्कर बनेगी। तो मैं आपका ध्यान इस ओर खींचूं कि हमारे उदयपुर डिविज़न की पांच, छः तहसीलों के, मावली, भोपालसागर, वल्लभनगर, रेलनगरा, राजसमन्द और कपासन गन्ना लाने वाले कृषक लोग हैं वे अपना गन्ना बैल गाड़ियों द्वारा लाते हैं। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय

(श्री हरिप्रसाद यादव)

पंचवर्षीय योजना की जो सड़कें हैं उनका कार्य सारे राजस्थान में चल रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उदयपुर डिविजन में जो सड़कें थीं उनकी ओर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान खीचूं। उन सड़कों के निर्माण में जो विभाग के अधिकारी हैं यदि हम उनको लिखित पत्र देते हैं तो वे कहते हैं कि सीमेंट नहीं है, मैटीरियल नहीं है, पत्थर नहीं मिलता है। तो, मैं आपसे निवेदन करूं कि सारा राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि हम इन चीजों के लिए साधन सम्पन्न हैं, हमारे यहां काफी पत्थर है, चूना है। हर एक चीज़ यहां पर है। बिल्डिंग वर्क्स या सड़कों के लिए जिस सामान की जरूरत है हमारे यहां उनके लिए खाने वगैरह सब तैयार हैं लेकिन आपके पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी इस ओर तवज्जोह नहीं देकर जो ठेकेदार लोग हैं उनकी ठेके की मयाद दिन ब दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर हम देखें तो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही सड़कें पूरी नहीं होती हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कैसे जावेंगे ? कैसे आगे विकास की ओर बढ़ेंगे ? इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने दफ्तर से एक परिपत्र द्वारा राजस्थान के पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों को एक सूचना दें जिससे हमारे राज्य में जो सड़कें बन रही हैं वे जल्दी से जल्दी पूरी हों।

अब मैं आपका सिंचाई विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सिंचाई विभाग ने जो बन्ध, तालाब, नहरें आदि बनाई हैं या बनाई जा रही हैं उनमें बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेका दिया गया है। इन ठेकेदारों ने ठेकों की शर्तों के माफिक सीमेन्ट....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभिभाषण पर ही आरंभ करिये। यह तो बजट के प्रश्नों में ले लिया जावेगा। व्यक्तिगत शिकायतें वगैरह इस वक्त नहीं लावें। आप अभिभाषण के सम्बन्ध तक ही सीमित रहिये, केवल आधार और सिद्धान्त होने चाहिये।

(२. म. प.)

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, हमारे राजस्थान राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये बन्ध और तालाबों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा खींचना चाहता हूँ। जो तालाब और नहरें बन रही हैं जैसे मान लीजिये उदयपुर जिले के लिये दो लाख है, भीलवाड़ा के लिये एक लाख, झुंझुनूं के लिये पांच लाख; इस प्रकार से जो खर्च करने का बजट रखा है उसके लिये कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है वह ए क्लास कॉन्ट्रेक्टर्स को दिया गया है; वे लोग सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिल कर देश की जो योजनायें हैं, नहरें पक्की बनवाना उसमें वे क्या करते हैं चूने के साथ साथ रेत भी मिला देते हैं, सीमेन्ट में जहां १।२ का हिस्सा रहता है वहां आठ का हिस्सा कर देते हैं जहां ६ सूत के सरिये लगाने होते हैं वहां दो सूत के लगा देते हैं। इससे जो तालाब बनते हैं, बांध बनते हैं वे बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसलिये मेरा सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो भी रुपया हमारा लगता है वह सही रूप से लगे। जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा था

(श्री हरिप्रसाद यादव)

कि हमारे यहां के कई तालाब टूटफूट गये। यह तो प्राकृतिक देन है। नदियों में बाढ़ आ जाने से बन्ध फूट जाते हैं। इससे इतना नुकसान ही होता है। भगवान की देन है, प्राकृतिक देन है इससे तो कई बड़े बड़े देश बह जाते हैं। उन्होंने जो यह बात कही कोई बड़ी बात नहीं कही। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो भी बन्ध बन रहे हैं जैसे बड़गांव का प्रोजेक्ट, जिसकी आधार शिला हमारे मुख्य मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा रखी गई; यह एक बहुत बड़ी योजना है, हमारे उदयपुर के हनुमानदास ठेकेदार को लाखों का ठेका दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ राज्यपाल के अभिभाषण की ओर. यहां ठेकेदारों का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान बड़े बड़े बांध और तालाब बन रहे हैं, उस ओर खींचना चाहता हूँ। कहीं अगर कमजोर बन्ध रह गये, बड़गांव का बन्ध कहीं कमजोर रह गया और हम उसके सामने रहते हैं, कहीं बह न जांय। इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि वे सिंचाई विभाग के इन्जीनियरों को इस बात की हिदायत करें।

अब, मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग की ओर खींचना चाहता हूँ। आपके जरिये स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि जितनी डिस्पेन्सरियां बनी हुई हैं उनमें कई जगहों पर डॉक्टर्स, नर्सेज़, दाइयों आदि की व्यवस्था नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्रीजी आपके पास ही बैठे हैं, उन्हें ही खींच लीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : शफाखानों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है। इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि जहां जहां डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, कम्पाउन्डर्स नहीं हैं, वहां पर भेजने की व्यवस्था करेंगे।

अब मैं पंचायतों के संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। हालांकि पंचायत मंत्री महोदय यहां नहीं हैं लेकिन नेता महोदय बैठे हैं वे सुन कर उनको बता देंगे। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जिन पंचायतों का चुनाव हुआ है उसके बाद पंचायत समितियों का गठन होता है। उस गठन में क्या हुआ है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिये कमेटी बनानी थी वह नहीं बनायी गई है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की उप समिति विकास अधिकारियों के कहने से काट दी गई है। मैं पंचायत विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे इस प्रकार की स्टेंडिंग कमेटियों का निर्माण करें।

हमारे राज्यपाल महोदय ने समाज कल्याण के बारे में भी काफी लिखा है। मैं उनके भाषण से यह अन्दाज लगा सकता हूँ कि हमारे समाज कल्याण के लिये पंचायत समितियों में समितियां बनेंगी और जो इस प्रकार की कमेटियां बनती हैं उनमें सवर्णों को काम करने का मौका मिलता है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो विकास अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, राज्य अधिकारियों को चाहिये कि उनका तबादला करें। जब से पंचायत राज्य कायम हुआ है हमने पंचायतों के दूसरी बार इलेक्शन किये

Page No.65

(श्री हरिप्रसाद यादव)

हैं। हमने विकास अधिकारियों के बारे में कई बार दरख्वास्तें दीं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे विकास अधिकारी जो हमारे विकास में बाधा डालते हैं, रोड़े बन कर अटके हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी हटाया जाये और उनकी जगह योग्य व्यक्तियों को लाया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं कुछ थोड़ा सा फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान में जंगलात विभाग है। उसमें वन सहकारी समितियां बनी हुई हैं। उनको वनों का ठेका न दिया जाकर, आदिवासी लोगों की जो सहकारी समितियां हैं उनको न दिया जाकर, दूसरों को दिया जाता है। उनको आज तक सोसाइटीज़ को प्राथमिक नहीं दी गई है। जब वे लोग आते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वे ठेका ले नहीं सकते, दूसरी प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटियां अधिकारियों को कुछ ले-देकर ठेका ले लेती हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब लोगों की सहकारी समितियों को ही ठेका दिया जाये।

राज्यपाल महोदय ने समाज कल्याण के बारे में जिक्र किया। मेरा सरकार से निवेदन है कि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी अपने बराबर लाने में योग दें और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्राथमिकता देकर दूसरे राज्यों के सामने उदाहरण पेश करें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के २३ तारीख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद देने का सदन का फर्ज है, उसकी अदायगी कर रहे हैं। उस अदायगी में मैं भी भागीदार बनता, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय ने सदन के सामने जो अपना अभिभाषण पढ़ा है और उस अभिभाषण के अन्तर्गत उन्होंने कुछ बातें जो राजस्थान में हुई हैं उसका संकेत किया है, जहां तक राजस्थान की समस्याओं के चित्रण का विषय था मैं समझता हूँ राज्यपाल महोदय ने उन बातों की ओर ज्यादा ध्यान दिया है जिनकी प्रशस्ति कम हो सकती थी लेकिन जिन चीजों का जन-मानस के अन्दर अभाव अभियोग देखने को मिलता है उसका राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र तक नहीं किया है। यही कारण है कि मुझे विवश होकर सदन का ध्यान उन बातों की ओर ले जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

सबसे पहले मैं सदन का ध्यान एक बहुत बड़ी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे वन विभाग की ओर से एक इस प्रकार की विज्ञप्ति निकाली गई है जिसके अनुसार जो काश्तकार लोग हैं वे वनों से सिर-बोझे पर जितनी लकड़ी ला सकते हैं उतनी ही वे ला सकते हैं। जहां काश्तकार पहले अपनी गाड़ियों में भर कर लकड़ी ले आया करते थे और बाकी दिनों में वे खेती का काम करते थे आजकल उनको अपने घरू उपयोग के लिये लकड़ी आदि लाने में ही काफी समय व्यतीत हो जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है मेरे जिले में जहां पर कि वनों की बहुतायत है, वहां के काश्तकारों में इस प्रकार के आदेश से भयंकर असन्तोष

(श्री दयाकृष्ण विजय)

व्याप्त है । इस भयंकर असन्तोष का प्रदर्शन समय समय पर, जब कभी इस जिले के मंत्री महोदय उधर जाते हैं उस समय करते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे जिले के मन्त्री की आवाज़ यहां की कैबिनेट में नहीं है । मैं समझता हूँ कि वे मूक तो नहीं हैं, बोलते तो निश्चत रूप से होंगे, पर उनका स्वर सुनाई नहीं पड़ता । अगर उनकी आवाज में बल होता तो जिस प्रकार के आश्वासन उन्होंने वहां की जनता को दिये हैं उन आश्वासनों को पूरा करने के लिये कार्यवाही करते । पर इनके विषय में आज तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की ।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां इतना बड़ा संकट है कि जिसकी ओर सरकार का, उसके सभी सदस्यों का और सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान जाना आवश्यक है।

यह सरकार ने ऑर्डर जारी किया कि पहले जंगलों में से लोग अपनी आवश्यकता की लकड़ी बैलगाड़ी पर ला सकते हैं, पर आज वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वन में से काफी जंगल काट लिये गये हैं और हरे वृक्ष भी काट लेते हैं इसलिये बैलगाड़ियों से न लाया जावे, सिर–बोझा तक ला सकते हैं । एक आदमी अपने सिर पर उठा कर जितना ला सकता है वह ला सकता है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिये अगर यह प्रतिबन्ध लग जाता है तो उनके लिये बड़ी कठिनाई पैदा होती है । अब रहा सवाल कि उन पर यह इल्जाम लगाना कि उनके कारण से जंगलों की कटाई हो जाती है या हरे पेड़ काट लिये जाते हैं, उचित नहीं है । जो कुछ भी इस तरह की कटाई हुई है या हो रही है इसका कारण ये किसान लोग नहीं हैं जिनके लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है । इसका कारण तो वे सरकारी अधिकारी स्वयं हैं, सरकार को अपनी खुद की नौकरशाही है जो चोरी छिपे कटाई करवा कर दूसरों की मार्फत बिकवाते रहते हैं, इस तरह के भ्रष्ट आचरण से पैसा कमाते रहते हैं और ठेकेदारों से मिले रहते हैं । पर आज यह सरकार उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है, उसका इरादा भी नहीं मालूम पड़ता कि इनको रोका जाये । अपराधी जनता को बताया जाता है, जब कि अपराधी स्वयं सरकार के ये अधिकारी हैं। अब सिर–बोझे की लकड़ी गांव के निम्न वर्ग के लोग तो फिर भी ला सकते हैं, पर मध्यम वर्ग के लोग या सरकारी नौकरियों में जाने-वाले लोग या और दूसरे महाजन, बनिये या ब्राह्मण वर्ग या दूसरे लोग जिन्होंने जंगल को नहीं देखा वे किस प्रकार सिर–बोझे से लकड़ी ला सकते हैं ? सरकारी अधिकारी कहते हैं कि हमने बड़े बड़े शहरों में कूप्स जो दे रखे हैं उनके माल का सेन्टर खोल रखा है जहां से वे इस प्रकार की लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, वहां यह व्यवस्था कर रखी है । यह उन बड़े बड़े शहरों के लिये ठीक हो सकती है । पर जब तक छोटे छोटे गांवों और कस्बों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो और इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया जावे तो यह इस समस्या का समाधान नहीं है। तो नीति सम्बन्धी मैं बात कहूँगा कि इस बारे में सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये । जो कारण हैं उनको दूर करने का यह तरीका नहीं है कि हमने गाड़ियों की बात बन्द कर दी । तरीका यह है कि आप उन असली अपराधियों को ठीक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करें। तो मैं आशा करूंगा कि इस अव्यवहार्य और जनता के बहुत बड़े संकट का नियम हटाया जावे। देहात में किसान चार, पांच महीने बरसात भर तक के लिये बैलगाड़ी में भर कर अपनी जरूरत के लायक लकड़ी ले आता है, अब भी ऐसी ही कुछ व्यवस्था होनी चाहिये ताकि यह समस्या दूर हो।

दूसरी बात की ओर, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वह यह है कि हमारी सरकार और देश की सरकार नारे लगाती है कि हम एक समाजवादी समाज की रचना करने की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इसकी ओर कुछ कदम उठाये जावें, पर आज तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं कि जो मूलभूत सरकार की इसी नीति में कुठाराघात करते हैं और वह नीति क्या है, यह भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ।

अभी चम्बल का बान्ध बना। नहर भी कुछ इलाकों में आई। इसके बाद जितनी भी पड़त जमीन थी उसके बंटवारे की बात आई। उस जमीन के लिये वहां के मजदूर लोग जिन्होंने उस भूमि के साथ काफी अरसे से अपने को एक कर रखा था और अपने उस खून–पसीने के परिश्रम के बदले आश लगाये बैठे थे कि अब तक तो हम दूसरों के गुलाम बन कर इस धरती पर काम करते थे, पर आज देश के आजाद होने के बाद और समाजवादी समाज का नारा लगने के बाद शायद हमारे भी दिन फिरेंगे और इस धरती पर हमें अधिकार मिलेगा और हम भी अब अपनी आजीविका आसानी से चलावेंगे। पर आज उनके सारे मन्सूबों पर इस समाजवाद का नारा देने वाली तथाकथित समाजवादी सरकार ने पानी फेर दिया जब कि उस द्वारा गठित चम्बल कमेटी ने यह घोषणा की कि वहां के सारे प्लॉट नीलाम किये जावेंगे और इस तरह से सभी धनपतियों को दिये जावेंगे और इस तरह आज कोटा के आसपास में धन–कुबेरों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। मैं कहता हूँ, इन कुबेरों को बसाने के और बहुत से स्थान हैं। कुबेरों को सरकार कई तरह से धन दे रही है पर उन गरीब लोगों को जिन बेचारों को खाने को नहीं, दूसरों के मोहताज रह कर अब तक अपना जीवन चलाते रहे हैं, जो दूसरों की सेवा करते हुए अब तक गुलामों जैसा जीवन बिता रहे थे और आजादी के बाद जो आशा कर रहे थे कि अब हमारी दीन दशा भी बदलेगी, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता थी। पर आज उनकी आवश्यकता की चिन्ता इस सरकार को नहीं है, इसे उन धन–कुबेरों की ही चिन्ता है और उन्हीं के अनुकूल नियम बना कर आज वह जमीन भी उनको ही नीलाम की जावेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक भूमिसुधार और समाज–वादी समाज रचना की बात की जाती है वहां अभी निश्चित रूप से बहुत कुछ करना है, सरकार ने अभी कुछ नहीं किया है इस दिशा में। कहने को सरकार कहती है कि हमने भूमि सुधारों के कई काम किये, पर उतने से काम नहीं चलेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे मूलभूत प्रश्न तो यह है कि हमारे राजस्थान में जो लाखों की तादाद में मजदूर तबके के लोग रहते हैं उनको जब तक भूमि पर नहीं बसाया जाता है तब तक सरकार जनता की सरकार कहलाने का दम नहीं भर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सकती। आज जहां जिस भूमि पर उसको पड़त हालत में, जिन लोगों ने अपना खून पसीना एक किया, मजदूर बन कर, गुलाम रह कर जिन्होंने अपनी जिन्दगी बिताई आज हमारा फर्ज था कि हम सबसे पहले उनको उन जमीनों पर बसाते और बाद में जो जमीन बचती उसे चाहे आप जिसको बेचते, धन-कुबेरों को बेचते, खुद लेते, अपने भाई भतीजों को देते, कुछ भी करते।

अभी सरकार ने अपने बड़े बड़े फार्म बनाने की योजना बनाई है। मैं सिद्धान्ततः इसका विरोधी हूँ। इसका कारण क्या है? जहां खेतीहर मजदूर को भूमि देने का प्रश्न आता है मैं पूछता हूँ, सरकारी फार्मों पर जो काम करेंगे वे उसके मालिक होंगे? नहीं होंगे। सरकारी फार्मों पर काम करनेवाले लोग केवल मजदूर के नाते, मजदूर की हैसियत से काम करेंगे। आज सरकार इन फार्मों में बड़ी बड़ी धन–राशि लगा रही है, औरों को भी सहायता दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है, पर क्या वह काश्तकारों को देकर, उनको उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देकर, उनका उत्पादन जो है वह उनसे नहीं ले सकती, बजाय इसके कि वह स्वयं मालिक बन कर मजदूरों की तरह उनसे काम करावे? काश्तकारों को इतनी ही जमीन पर सब्सिडी देकर, और और सहायता देकर उनसे उत्पादन नहीं ले सकती? ले सकती है। सरकार, आज ऐसा लगता है, केन्द्रीयकरण की तरफ बढ़ रही है, विकेन्द्रीकरण की तरफ नहीं। कहने को वह जरूर कहती है कि विकेन्द्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उसकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। तो, मैं मांग करता हूँ कि सरकार जमीन के और मन्डी के प्लॉटों का नीलाम बन्द करके १५ या २० बीघा जमीन नियमानुसार खेतीहर मजदूरों को अलॉट करे ताकि वह खेतीहर मजदूर अपने को, अपनी सन्तान को अपने जीवन–काल में उस जमीन पर खुशहाल देख सके। आज उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, खुशहाली के दिन वह नहीं देख सके। जो गुलाम जन्मे, गुलामों की तरह रहे, आजाद होने पर भी आज गुलाम ही दिखाई दे रहे हैं, जिनके बच्चे वैसे ही नंगे भूखे दिखाई दे रहे हैं जैसे सामन्ती युग में थे, उनकी शिक्षा और चिकित्सा की आज भी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी खुशहाली की ओर ध्यान देने का अवसर जब आता है तो आप कुबेरों को नीलाम करते हैं। मैं समझता हूँ कि यह परिपाटी नितान्त गलत है। हम लोगों ने गरीब लोगों पर टैक्स लगा कर उनकी खून पसीने की कमाई कोष के रूप में इकट्ठी की है और यह इतना बड़ा बान्ध उस पैसे से कोटा में बनाया है। हम खुशहाल कर भी लगाना चाहते हैं हालांकि इसका विरोध करूंगा। पर इतनी बात निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां जमीन के बंटवारे का सवाल आता है तो वहां सबसे पहले उन लोगों को आप बसावें जिनके पास जमीन नहीं है, पर जो वहीं के हैं और जिन्होंने मजदूर बन कर उस जमीन पर अर्से से काम किया है और जो किसान हैं, खेत पर खुद मेहनत कर सकते हैं और जो हल की मूठ पकड़ना जानते हैं। धनपतियों ने जाकर हल की मूठ कभी नहीं पकड़ी है, न वे अब भी पकड़नेवाले हैं। ये वे किसान ही हैं जो खून पसीना एक करके सोना उगलते हैं। पर आज यह हालत है कि उन के खून पसीने की उपज उनके घर नहीं जाकर जो मालिक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ठेकेदार हैं उनकी जेबों में जाती है। मैं मांग करता हूँ कि यह अवसर आया है तो उस धरती का बंटवारा उनमें किया जावे।

तीसरी बात यह है कि हमारे इन पंचायतों के चुनावों में हम जिस लोकतन्त्र की नींव डालना चाहते हैं उसमें यद्यपि हमने राजस्थान भर में ७३६५ पंचायतों के ७४ हजार पंचों को चुनकर एक बड़ी नींव डाल दी है और इतने हजार व्यक्तियों के हाथ में जनता के शासन की बागडोर सौंपी है, पर जहां यह एक बड़ी प्रसन्नता की बात नज़र आती है वहां कुछ नये खतरे भी सामने आये हैं, कुछ बिलकुल नये लोग इनमें सामने आये हैं; जिनके बारे में आज के हमारे शासक कल्पना भी नहीं कर सकते थे और यह कल्पना नहीं होने के कारण आज उनको आश्चर्य भी हुआ है। पर इस सिलसिले में और भी खतरे आये जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो जीते हुए लोग सामने आये उनको गुमराह किया गया और जनतन्त्र को सही सूरत में, सही रास्ते पर पनपने देने का जो अवसर आया उसे बिना पार्टी फीलिंग पैदा किये इन लोगों ने पनपने नहीं दिया। आज कहा यह जाता है कि उस स्तर तक पार्टी फीलिंग नहीं फैलने देंगे और लोगों को खुले रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देंगे। पर वे बातें बेकार रहीं। आज जो अपने व्यक्तिगत स्वतन्त्र प्रभाव से चुनावों में जीतकर आये हैं, हो सकता है वे जाति के आधार पर आये हों, पर यह सही है कि वे अपने व्यक्तित्व के बल पर आये हैं, उनको बड़े बड़े नेताओं ने मिनिस्टरों ने और दूसरे लोगों ने जा जा कर गुमराह किया और पार्टी फीलिंग को बढ़ा कर फैलाया और सबको पार्टीबन्दी का पाठ पढ़ाया; हमें कहा गया कि बिना पार्टी के आधार पर इनके चुनाव कराये जावेंगे। पर सही माने में उन्हीं लोगों ने, जो मौके पर खड़े होकर यहां सदन में बड़े बड़े वक्तव्य देते थे कि इन चुनावों में पार्टीबाजी की बात नहीं की जावेगी, पंचायत चुनावों को स्वतन्त्र रूप से होने देंगे, अपनी स्वयं की बुद्धि से उनको निर्णय करने का अवसर देंगे, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले पार्टीबाजी को प्रोत्साहन दिया। गांवों में राजनीति को लेकर गये, जिस तरह से चुनाव हो रहे थे उस तरह से उनको नहीं होने दिया। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि एक मिनिस्टर इतने बड़े पद पर होते हुए और उसका इतना बड़ा प्रभुत्व होते हुए गांव गांव रोते हुए फिरता चला जाता है। मैं कहता हूं कि उसके पीछे पार्टी की भावना थी। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी पार्टी के चुनावों में जाने की? क्या मंत्रीजी के पास दूसरा काम नहीं था? क्या उन दिनों की तनख्वाह नहीं ली थी? आखिर जब हम तनख्वाह लेते हैं और मंत्री पद पर काम करते है तो हमको जीवन उसी के प्रतिरूप ढालना चाहिए। इस प्रकार के द्वेषपूर्ण जीवन, इस प्रकार का विभिन्न विषयों में बंटा हुआ जीवन एक मंत्री का नहीं होना चाहिए। उसका जीवन राज्य के सर्वाधिकारी के रूप में होना चाहिए और जो कुछ बातें यहां कही जाती हैं, जिम्मेदारी से उनको उसे निभाना चाहिए। ऐसा दृश्य न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि सब जगह दिखाई देता है। ग्राम पंचायतों में चुनाव होते हैं तो वहां पर वे वोटों के लिए भीख मांगते दिखाई देते हैं। अगर वास्तव में पूछा जाये तो जनतंत्र की नींव को इन्हीं मंत्रियों ने सबसे अधिक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बिगाड़ा और कमजोर किया है ।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं, केवल एक चौथी बात है जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि राजस्थान के अन्दर ही नहीं अपितु सारे भारत में आज इस प्रकार की बातें हो रही हैं । अभी हाल ही में कोटा के अन्दर यद्यपि इस प्रकार की बात चल रही है और उसकी ओर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी मुसलमानों में और एक सम्प्रदाय के अन्दर आपसी विवाद चला । मैं इस समय किसी सम्प्रदायवाद की ओर नहीं जाना चाहता हू, लेकिन कोटा के अन्दर सीरत कमेटी के दफ्तर के पड़ोस में पुलिस को इतना भयंकर पदार्थ मिला और वह कहां से प्राप्त हुआ था यह भी पता चला, उस से मालूम होता है कि कहीं न कहीं एक बड़ा विस्फोट होने वाला है । आज लोगों के मन में शंका व्याप्त है और हो सकता है वे अपनी रक्षा के लिए, यानी समाज को समाप्त करने के लिए अपने यहां पर एक्सप्लोज़िव जमा किए बैठे हों । मैं इसको बहुत हल्के तरीके से नहीं लेना चाहता हूं । इस प्रकार की साम्प्रदायिक संस्था के अन्दर ऐसे एक्सप्लोज़िव मिलें, ऐसे विस्फोटक पदार्थ मिलें और उनको केवल नगण्य तरीके से टाल दिया जाये; मैं मांग करूंगा कि इस मसले की बहुत गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए और इस प्रकार की घटना न केवल कोटा में ही बल्कि सारे भारत में ऐसा होता दिखाई देता है । हिन्दुस्तान के अन्दर जबलपुर में घटना घटती है । दूसरी जगह जहां श्री रामचन्द्र के जुलूस निकाले जाते हैं वहां पर बम फेंके जाते हैं । यह सारे देश में इस प्रकार का विषम वातावरण बढ़ रहा है, उसकी ओर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो अभी विस्फोटक पदार्थ कोटा में मिले उसकी गंभीरता से जांच करवाई जाये ।

पांचवी बात मैं लोकतंत्र के बारे में कहना चाहूंगा । लोकतंत्र की बात हमेशा करते हैं । अभी हम पंचायतों के चुनावों की बात कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं यहां पर नगरपालिकाओं के बारे में भी कह देना उचित समझता हूं । आज राजस्थान के अन्दर ऐसी सैकड़ों नगरपालिकायें हैं कि जिनके चुनाव वर्षों से नहीं हो रहे हैं । राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर, जैसा कि २२ तारीख को जयपुर के नागरिकों ने प्रदर्शन किया, २॥ साल से यहां चुनाव नहीं हो रहे हैं । कोटा के अन्दर चुनाव हुए आज १॥ साल हो गये और आज १॥ साल होने के बाद भी वहां पर चैयरमैन का चुनाव नहीं कराया जाता है । मैं कहना चाहूंगा कि वहां का कलेक्टर पार्टीबाजी में उलझा हुआ है और जो उस जिले के मंत्री हैं वह उनकी जाति का आदमी है इसलिए उनके कहने के अनुसार चलता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किलों के बाद, कई प्रतिनिधि मण्डलों के मिलने के बाद, हाईकोर्ट तक दौड़ने के बाद और जयपुर के कई चक्कर काटने के बाद अभी २७ तारीख को चैयरमैन का चुनाव होने वाला था जिसका कोई कारण नहीं था, हाईकोर्ट ने कभी निषेध नहीं किया था कि चैयरमैन का चुनाव नहीं कराया जाय, लेकिन उन्हीं दिनों में पी० सी० सी० की मीटिंग कोटा में होने वाली थी, उसके सारे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रभुत्व को लेकर कलेक्टर ने चेयरमैन के चुनाव को रोक दिया, केवल इसलिए कि चुनाव किसी प्रकार से आगे बढ़ जाये। इसको लेकर जनसंघ का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से और दूसरे लोगों से मिला और यह तो खैर मानिये कि सारे लोग जो पी० सी० सी० के मैम्बर्स थे और मिनिस्टर थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि जनसंघ के लोग बहुत जोरों से चले आ रहे हैं तो वहां से भाग निकले। आखिर जब कोई प्रतिनिधि मण्डल मिलने आ रहा था और जनता की आवाज़ सुनाने आ रहा था तो उनकी बात सुननी चाहिए थी........

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु.) : On a point of clarificoticn, Sir...

श्री दयाकृष्ण विजय : तो जनता की जो विचारधारा है उनको सुनने के लिए और इस प्रकार की सारी बातों को सुनना चाहिए........

श्री धन्नालाल हरित : On a point of clarification, Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : The clarification is not necessary.

श्री धन्नालाल हरित : On a point of clarification, Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : I don't allow any clarification here.

श्री धन्नालाल हरित : I want to clear it.

श्री उपाध्यक्ष : You will get the chance.

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आज अनियमिततायें हो रही हैं, समय इसको बताने वाला है और जो कुछ परिणाम होने वाला है उसका अंकुर पहले से प्रकट होता चला जा रहा है। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूँगा कि कलेक्टर के पास जब कोई प्रतिनिधि मण्डल मिलने के लिए जाता है तो वह कहता है कि मैं एक स्पेशल मेसेंजर भेज रहा हूँ, यह पता लगाने के लिए कि इन्टरप्रिटेशन इसका क्या है। मैं समझता हूँ कि आज तक कोई प्रणाली नहीं है कि हाईकोर्ट का जज कोई आदेश देता है और उसका क्लेरिफिकेशन मंगाने के लिए कोई स्पेशल मेसेन्जर भेजा जाये। आखिर यह काम तो एग्ज़ीक्युटिव का था कि उसका पालन किस तरह से करती है। इस प्रकार कलेक्टर ने यह कह कर कि हाईकोर्ट के जज का क्या इन्टेन्शन था वहां पर स्पेशल मेसेन्जर भेजा है। मैं कहता हूँ कि यह सबसे बड़ी अज्ञानता का और दिमाग की कमी का सबसे बड़ा सुबूत हो सकता है। मैंने कलेक्टर के लिए आरोप लगाया है और यह बिलकुल सही है, इसलिए कि वहां के मंत्री का जाति वाला कलेक्टर है। वहां की म्युनिसिपैलिटी में जनसंघ का बहुमत आया है और इसलिए कि चेयरमैन भी वहां पर जनसंघ का ही चुना जायेगा, वह करीब १॥ साल से चेयरमैन के चुनावों को टालता चला जा रहा है। मैं कहता हूँ कि वहां के कलेक्टर को बदला जाये और इस प्रकार के कलेक्टर को वहां नहीं रखा जाये जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के इशारों पर नाचता-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

फिरता है। जहां तक नगरपालिकायें राजस्थान की हैं और जहां लोकतंत्र की मांग है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में शासन दिया जाना चाहिए, जनता के शासन की जहां दुहाई देते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर को इस तरह से थोप कर रखा जाये, यह कहां तक उचित है ? जहां कोटा का सबसे बड़ा राइट है वहां का कलेक्टर बराबर उसको टाल रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और जोरदार शब्दों में कहूँगा कि वे इसमें हस्तक्षेप करें और लोकतंत्र की जड़ों को काटने की कोशिश नहीं करें। तो मैं इस विषय पर सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा।

आगे जो मैं छठी बात निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि आज हमारी पंचायत समितियों का काम चल रहा है। उस काम की, यद्यपि हम इस बात की तो तारीफ करेंगे कि गांव के लोगों में चेतना जगी है, लेकिन गांव के लोगों में जो ऋण पहुंचने चाहिए वे नहीं पहुँच पा रहे हैं बल्कि गई बार का तो अनुभव ऐसा था कि जो सरपंच हैं उन्होंने अपने ही हित के लिए सारे धन को व्यय किया। लेकिन आज कहीं सहकार समिति बनती है तो आज बैंक से उनको समय पर ऋण नहीं मिलता है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जहां किसान की भूमि को बन्धक बनाकर ऋण देते हैं वह प्रथा बन्द होनी चाहिए और इसके स्थान पर लांग टर्म लोन की प्रथा को शुरू करना चाहिए ताकि हम काश्तकारों को सहायता दे सकें और वह अपनी जमीन देकर फिर से गरीब न बन जाय। यह जमीन को धरोहर रखने की या जमानत मांगी जाती है वह प्रणाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम काश्तकारों को जैसे पहले बोहरा लोग थे जो बर्षों तक उनकी जमीन को बंधक रख कर उनका उपयोग करते थे उसी तरह से आज यदि सरकार के पास धरोहर के रूप में रखी जाती है तो इसमें और उसमें अन्तर नहीं पड़ता है। एक समय बोहरों के हाथ में थी तो अब राज्य के हाथ में है। दोनों ही तरह की स्थिति को समाप्त करना चाहिये। कहीं राज्य के पास जाती है तो भी बुरा है और किसी व्यक्ति के हाथ में जाती है तो भी बुरा है। इसलिये किसी बीच का मध्यम मार्ग निकालना चाहिये। हम काश्तकारों को स्वतन्त्र रखते हुए उनका अधिक से अधिक भला कर सकें, इसका प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि लांग टर्म लोन की प्रथा शुरू करनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक बात की ओर ध्यान दिला कर मैं इस विषय को समाप्त करूंगा। हम चाहते हैं कि गांवों में न्याय सुगमता से पहुँचाय जाय और लोगों को अच्छी तरह से मिले। लेकिन आज तक जो विचार-धारा रही है, जो रीति-नीति सरकार की रही है वह इस प्रकार की है कि सारे सरकारी दफ्तरों को एक ही जगह केन्द्रित करने की रही है, बल्कि जिस न्यायालय के साथ ५–७ तहसीलें सम्बन्धित रहती हैं, जहां के लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है कभी कभी तो ऐसा विभाजन होता है कि बहुत दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है जब कि एक ही जगह पर ६–६ न्यायालय बैठ कर न्याय करते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि केवल भवन न होने का बहाना करके न्याय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का विकेन्द्रीकरण नहीं करें तो यह ठीक नहीं है। हालांकि अभी न्याय पंचायत के रूप में न्याय का कुछ विकेन्द्रीकरण हुआ है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूँ हरएक पंचायत समिति में एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो तो जितनी निगरानियां न्याय पंचायतों के विरुद्ध होंगी उनमें लोगों को दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा और उनकी आवश्यक मांग की पूर्ति हो जायगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले सुलभ न्याय के लिये एक ही जगह केन्द्रित न करके विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। इतनी ही बात निवेदन करके मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का भाषण हमारी संसदीय परम्परा का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है, वह केवल इसलिये नहीं कि उसके द्वारा राज्यपाल महोदय अपनी सरकार के कार्य-कलाप, लोकोपकारी कार्य या जो भी कुछ उनकी योजनाएं है उनके सम्बन्ध में प्रकाश डालें, उनकी भावी नीति-रीति के सम्बन्ध में कुछ बतावें बल्कि उसके माध्यम से जनता के प्रतिनिधि सरकार के कार्यों के बारे में जो कुछ सुझाव देना चाहे, उनको त्रुटियों या कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहें वे भली भांति कर सकें। इस दृष्टि से मैं यह समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने जो कष्ट करके भाषण दिया है उसके लिये उनको धन्यवाद तो देना ही है और उन्होंने उसके अन्दर राज्य सरकार की उपलब्धियों का और उनके लोकोपकारी कार्यों का जो उल्लेख किया है उनकी सराहना भी करनी है। लेकिन मैं यह आवश्यक समझूंगा कि उसमें जो कुछ कमियां या त्रुटियां रही हैं, जो कार्य राज्य सरकार को करने चाहिये उसकी ओर मैं पहले सरकार का ध्यान आकर्षित करूं।

राज्यपाल महोदय के भाषण को आरम्भ से अन्त तक पढ़ें तो उसमें भौतिक उपलब्धियों का बड़ा ही सुनहरा और आशाप्रद वर्णन मिलता है। बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, बहुतसी नहरें निकाली जा रही है, खेती की उन्नति की जा रही है, नयी नयी सड़कें तैयार हो रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हो रही है। लेकिन इन सारी भौतिक उपलब्धियों का मूल आधार, हमारे राष्ट्र का जो नैतिक उत्थान का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में राज्यपाल ने कुछ भी उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। शायद हमारी राज्य सरकार केवल जनता से कर वसूल करना और पुलिस रखना इतना ही आवश्यक समझती है। सच्चा कल्याणकारी राज्य जैसा होना चाहिये, जनता के नैतिक धरातल को उन्नत करने का जो कार्य करना चाहिये उस ओर सरकार अपना कर्तव्य नहीं समझती है। इसलिये ही इन बातों का उल्लेख करना शायद आवश्यक नहीं समझा गया है। यह एक तथ्य है कि पिछले १२–१३ वर्षों से भौतिक दृष्टि से हम काफी उन्नति करते जा रहे हैं। लेकिन आम जनता की धारणा है कि हमारा देश नैतिक दृष्टि से पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। जनता की आवाज सुनने में आ रही है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, अनाचार बढ़ रहा है, शराबखोरी बढ़ रही है और वह दिन दिन बढ़ रही है। इनके

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कम होने के कोई आंकड़े हमको राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं मिले। हमारे नैतिक पतन का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वे स्थान स्थान पर देखने को मिल रहे हैं। शायद राज्य सरकार इस सम्बन्ध में आम तौर से कहती है कि रिश्वतखोरी का सुबूत हमारे सामने आता नहीं है, लेकिन इस संबंध में, जहां तक मुझे ध्यान है, हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि रिश्वतखोरी का प्रमाण मिलना बड़ा कठिन है, बल्कि उन्होंने एक सुझाव दिया था कि यदि किसी ऑफिसर या राज्य के अधिकारी की रेपुटेशन या इन्टीग्रिटी के बारे में लोगों के विचार बन चुके हैं और लोग उसे ठीक नहीं समझते हैं तो सरकार को उसके प्रति आवश्यक कार्यवाही करनी ही चाहिये, उस ओर विचार करना चाहिये।

श्री दलीपसिंह (बारां) : यह कौनसे युग की बात है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हमारे देश की सरकार कायम हुई है उस वक्त कहा है। लेकिन इस तरह से बहुत ही ज्वलन्त प्रश्न हमारे सामने हैं।

राज्य सरकार इस तरह के आंकड़े अवश्य देती है कि हम इतनी खेती को सींचे जाने योग्य बनाना चाहते हैं, हमारी इतनी एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ गई है, हमने जमीन पर सीलिंग लगाई है, भूमि–सुधार कानून बना कर भूमि की उन्नति तो की है लेकिन प्रगति का जो स्वाभाविक परिणाम होना चाहिये खाद्यान्न की वृद्धि और सस्ते मूल्य पर उसका उपलब्ध होना वह आज जनता को नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो एक साधारण नागरिक की हैसियत से इस बात को कह रहा हूँ, चाहे आप कितनी ही खेती में तरक्की करते जा रहे हों, कितनी ही भूमि को कृषि योग्य बनाते जा रहे हों, कितने ही किसानों को तकावी देते जा रहे हों लेकिन जिस समय एक साधारण व्यक्ति अनाज खरीदने के लिए अनाज की दुकान पर पहुंचता है तो आज उसको गेहूँ शायद २१, २२ या २३ रु० मण से कम कीमत पर नहीं मिल रहा है। आप घी लेने जाइये, असली घी लेने जाइये गौरस भंडार पर, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि वेजिटेबल घी खाना तो मैं स्लो पोइज़न मानता हूँ, राज्य सरकार कुछ भी समझती हो या भारत सरकार कुछ भी समझे, लेकिन शुद्ध घी ७) रु० सेर से ऊपर गौ रस भण्डार में मिलता है। दूध जैसी दैनिक आवश्यकता की चीज़ १०, १२ आना सेर मिलता है। ये चीजें सस्ते भाव पर उपलब्ध होनी चाहिये, लेकिन इस ओर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मंहगाई दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है और इसका असर आम जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी पड़ता है जिसे सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है।

इसी तरह से जन–साधारण एक और चीज़ की कमी अपने दैनिक जीवन में अनुभव करती है; वह है हमारे राज्य कार्यों में विलम्ब का होना। सरकार को जिन बातों में निर्णय देना होता है उस ओर भी लोगों का ध्यान है। लेकिन राज्य सरकार शायद उसे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अनुभव नहीं करती होगी। एक एक कागज़ को निकालने में हर ऑफिस में देरी होती है। क्लर्क जिस कागज को दबा कर बैठ जायगा अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वह उसे निकाल सके। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ शिकायत हुई, उसके खिलाफ अभियोग था। म्युनिसिपैलिटी बदल गई, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अनुसार पंचायत हो गई और वह चेयरमैन बदल कर उस पंचायत का सरपंच हो गया और दुबारा फिर उस पंचायत का चुनाव हो गया, वह सरपंच नहीं रहा। दूसरा सरपंच चुन कर आ गया, लेकिन उसके ऊपर तलबी तीन साल पहले लगाई थी, वह १८ फरवरी को तलबी होती है और वह यह था कि जब वह चेयरमैन था, उस समय जो चीजें की हैं, उसके विरुद्ध क्यों न कार्यवाही की जाय। मैं समझता हूँ, चाहे इसे एफीशियेन्सी कहें सरकार की, योग्यता कहें, कुछ भी कहें, पर यह ठीक नहीं है। इस तरह का एक उदाहरण दिया, लेकिन सैकड़ों उदाहरण हमें मिलते हैं। लोग सैकड़ों मील से आते हैं एक एक कागज़ के लिए लेकिन कागज नहीं निकलते हैं क्योंकि उसके पीछे भ्रष्टाचार लगा हुआ है। अगर वह पैसा खर्च कर देता है तो शायद कागज निकल जाय, आज यह भावना बन गई है जनता की। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। अगर वास्तव में अच्छे शासन का जनता पर असर डालना चाहते हैं तो ये चीजें जो हैं और कुछ राज्य अधिकारियों की भावना है, उसकी तरफ राज्य सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिये। आज राज्य अधिकारी आम तौर पर यह अनुभव करते हैं कि वे जितना परिश्रम करते हैं, उनकी जो योग्यता होती है, वरिष्ठता, कनिष्ठता का, श्रेणी का जिस तरह का स्थान होता है, उसके अनुसार उनके साथ न्याय नहीं किया जाता। उनकी आम धारणा है कि दुर्भाग्य से "हम अमुक क्षेत्र के नहीं हैं," "हम अमुक वर्ग के नहीं हैं," "हम अमुक जाति के नहीं हैं," इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं होता है। बहुत कुछ हो सकता है कि उनकी इस प्रकार की शिकायतें बहुत कुछ निर्मूल हों लेकिन यह तथ्य है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय वे अपने तथ्यों को, आंकड़ों को देखते हैं, लिस्ट को देखते हैं, तो वास्तव में यह होता है कि दसवें नम्बर के आदमी, पन्द्रहवें नम्बर के आदमी को पोस्ट नहीं किया गया और पचपनवें आदमी को पोस्ट कर दिया गया। उसको पोस्ट क्यों नहीं किया गया? वह योग्यता में, अनुभव में, किसी चीज़ में कम नहीं है। वह कहता है कि अमुक क्षेत्र का, अमुक डिवीजन का नहीं। वहां के लोग ऐसा सोचते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वतंत्र देश के लिये और प्रगतिशील शासन कहलाने के लिए, जहां सारे राज्य अधिकारियों में इस तरह की भावना होती है, वह शोभा की चीज नहीं है।

मुझे ध्यान आता है, अंग्रेजी में एक कहावत है 'Kingship knows no kinship.' बादशाह लोग होते थे, शासक लोग होते थे, उनका निजी सम्पर्क नहीं होता था। जहां तक शासक का सम्बन्ध होता है, कौन किसका है, किस जगह का है, इसका महत्व नहीं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

होता है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा माप दंड जो होना चाहिये वह यह कि उसकी एक निश्चित योग्यता होनी चाहिये, उसका अनुभव होना चाहिये । इस प्रकार से तो जो संतोष होना चाहिये, वह नहीं हो सकता क्योंकि पच्चीस—छब्बीस जिले हैं, सबके मिनिस्टर हो जायं तो उनके यहां के अधिकारी वरिष्ट अधिकारी हो जायं, यह सम्भव नहीं है। इसलिए सारा राजस्थान एक है, नजर में यह फर्क नहीं होना चाहिये कि किसी अधिकारी को इसलिये न्यायोचित स्थान नहीं मिलता क्योंकि वह अमुक क्षेत्र का, अमुक डिवीज़न का या अमुक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। यह चीज़ खास तौर पर शासन के लिए जरूरी है। इन चीजों के साथ साथ हम जब देखते हैं कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार जिन उपलब्धियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उनमें भी कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं, जिनका चित्रण जैसा होना चाहिये उस तरह का नहीं है। उनमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ योजनायें इस प्रकार की हैं कि मैं समझता हूँ कि आज से सात सौ, आठ सौ वर्ष पहले के मोहम्मद तुगलक के सम्बन्ध में इतिहासकारों ने न जाने क्या क्या लिखा है, लेकिन कुछ कुछ योजना उसी प्रकार की होती है।

मैं हाल की एक चीज़ बतलाऊं और दूसरे विषयों पर बाद में आऊंगा। मुझे बतलाया गया है कि विकास के नाम पर, डेवलपमेंट ब्लॉक्स, विकास खंड, बड़ी बड़ी चीजें आठ—नौ वर्ष पहले आरम्भ हुईं, उनके लिए कितने ही अधिकारी रखे गये। कितना ही पैसा खर्च किया गया, उसे उस वक्त उचित समझा गया । उस वक्त कितने ही एक्सटेन्शन ऑफिसर्स बढ़ाये गये, इनके एस० ई० ओ० और बी० ई० ओ०; कई कई नाम रखे गये । उनको ट्रेनिंग दिलाई गई, उन पर खर्चा किया गया, उनको पढ़ाया गया और अनेक संस्थायें खोली गईं, जिनमें उनको प्रशिक्षित किया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि २०० एस० ई० ओज़०, चार सौ लेडी एस० ई० ओज़० और इतने ही बी० ई० ओज़ जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनको सरकार एकदम कम करने जा रही है। हो सकता है, सरकार उनको कोई न कोई स्थान दे, अगर स्थाई सेवा के लोग होंगे तो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को देखा जाय। मुझे यह मालूम हुआ है, एक एक शिक्षक के वेतन, संस्था के खर्च और आने—जाने के व्यय को देखते हुए एक एक व्यक्ति पर पांच हजार रुपया खर्च हुआ है। २०० एस० ई० ओज़ और चार सौ बी० ई० ओज़; इस प्रकार छः सौ अधिकारी बैठते हैं, उनका पांच हजार एक व्यक्ति से हिसाब लगाया जाय तो करीब तीन लाख, इतना रुपया राज्य सरकार ने व्यय किया। क्या जो योजना बनाने वाले लोग थे, जिनके दिमाग से योजना निकली थी, जो अधिकारी थे, क्या उनके दिमाग में यह बात नहीं थी कि अगर योजना किसी तरह असफल हो जाती है तो इतने एस० ई० ओज़ और बी० ई० ओज़० का क्या होगा? मैं समझता हूँ कि उनकी ओर ध्यान देना चाहिये । इसके अलावा जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उनमें ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि एक आदमी को सहकारी विभाग के लिए भेजा गया, लेकिन उसको किसी दूसरे काम पर लगा दिया । एक आदमी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

शिक्षा के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाता है और उसको प्रशासनिक काम में लगा दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था जब तक आवश्यक न हो, या उस काम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मिलता ही नहीं हो, तो प्रशिक्षित व्यक्ति, जिस विभाग के लिए होता है, उसमें उसको पोस्ट किया जाना आवश्यक है। ये कुछ चीजें हैं जिनमें हमारी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर गलतियां होती हैं और गलतियां होने के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। सबसे ज्यादा मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ऐसी चीजें नहीं हों।

इसके अलावा बतलाया गया कि हमने कृषि के सम्बन्ध में खास तौर पर बहुत तरक्की की है, बहुत उत्पादन किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जिस पर सदन में समय समय पर विचार होता रहा है कि इस देश के अन्दर, इस राज्य के अन्दर बहुमत में वे लोग हैं जिनको परमात्मा ने खेती करने योग्य बनाया है; हाथ, पैर और शारीरिक दृष्टि से। दूसरा उनके पास कोई धन्धा नहीं है लेकिन उन भूमिहीन किसानों के लिए कहां कितनी जमीन दी ? यह जरूर कह देते हैं कि हमने भाखरा में इतनी जमीन दी, चम्बल में इतनी जमीन दी। मेरा इतना अनुभव हुआ है कि भरतपुर में १५०–२०० बावरिया परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। वे कहते हैं कि भूमि की बहुत कमी है। मुझे यह सुनने में आया है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने यह बतलाया है कि राजस्थान नहर बन रही है, वहां पर उनको बसायेंगे। तहसील में यह सूचना पहुंच गई कि जितने लोग बसना चाहते है वे वहां बस सकते हैं। मैंने कह दिया कि तुम लोग वहां जाओ। यहां से परिचय–पत्र दे, दिया गया लेकिन हनुमानगढ़ और सब जगह घूम कर वे लोग वापस आये, उनको किसी ने यह नहीं कहा कि भूमि कहां मिलती है। ऊपर से पचास से लेकर दो सौ तक रुपया खर्च हुआ। वह पीड़ित और शोषित वर्ग है, उसको पुलिस परेशान करती है कि तुम्हारे पास कुछ धन्धा नहीं है। वे कहते हैं कि सरकार नहीं देती है। सुनने में आया है कि अगर रुपया देने को हो तो किसान भूमि ले सकते हैं। ऐसी चीजें हों तो उद्देश्य तक पहुंच नहीं सकते। जब तक खेती करने वाले हैं, जिनको भूमि मिलनी चाहिये उनको भूमि नहीं देंगे, साधन नहीं देंगे, इस पर राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अगर खेती और उत्पादन बढ़ाना है, तो सबसे पहले जो खेती करने वाले हैं उनको भूमि दी जाय।

इसी तरह से सिंचाई के साधन बढ़ें। मैं उदाहरण के रूप में दूं कि राजस्थान नहर के लिए सरकार को आज बधाई तो देता हूँ लेकिन इतना जरूर ही कहना चाहता हूँ कि समय समय पर सुनने को मिल रहा है कि उसके पूरा होने का कार्यकाल बढ़ रहा है और उस पर होने वाला व्यय बढ़ रहा है। यानी जो रूपया लगाना निश्चित हुआ था, वह ज्यादा होगा। उस इलाके में जो रेता है, धूल है, उसमें धीरे धीरे खेती होगी, इसके साथ ही साथ जो चीज़ पांच साल में बनने वाली है, उसमें दस साल लगेंगे। इस तरह की चीजें होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को एक दम आशा बंधने के

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बाद थोड़ी निराशा होती है ! इसके अलावा जिन परिवारों को वहां बसाया है, उनको कहें कि तुम मजदूरी करो, तुम्हारे यहां जल आयेगा, मैं समझता हूँ कि जब तक जल आयेगा तब तक कितने ही तो खत्म हो जायेंगे और वे जल के दर्शन नहीं कर पायेंगे। इस तरह की जो व्यवस्था है, उस पर भी विचार होना चाहिये।

उद्योग के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि इस अभिभाषण में कई संदर्भ आये हैं लेकिन ज्यादातर देखने को मिला है कि बड़े बड़े उद्योगों के नाम मिलते है, जिनमें लखपति, करोड़पति लोग लगे हुए हैं, कुछ थोड़े से लोग उसमें लगे हुए हैं। यह अलग बात है कि उनका भी उल्लेख जरूरी है, लेकिन छोटे उद्योगों के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है और कितने आदमियों को उसमें लगाया है ?

आज सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने है वह है राज्य की बेकारी का। सबसे बड़ी समस्या राजस्थान की और सारे देश की है वह है बेकारों की, बेकारी को दूर करने की। आपने बतलाया कि कुछ लोगों को काम पर लगाया है, पर सिवाय इन सुविधाओं के कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में जिनके नाम हैं उनमें से कुछ लोगों को मजदूर बना दिया जाय और किसी प्रकार का हल इसके लिये नहीं निकाला गया है। मेरे पास ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज है। अच्छे अच्छे घरानों के सैकड़ों नवयुवकों को देखता हूँ, उनकी संख्या कम नहीं होती है, न मालूम कितने लोग नाम लिखाते हैं, कहां इतनी राज्य की सेवाएं हो सकती हैं। तो मेरी तो मान्यता है कि मैट्रिक करने के बाद या अधिक पढ़े लोगों को उद्योग के कामों में लगाया जाय, पर इस तरह के उद्योग राजस्थान में खुले हों ऐसा कहीं नहीं, जिससे कि बेकारी दूर हो। बड़े बड़े उद्योगों में यह है कि लोग वहां जाकर मजदूर बनें और फिर उनका शोषण हो, जैसा कि ब्यावर आदि में सुनते हैं; इस तरह का जीवन कोई जीवन नहीं। राज्य सरकार को इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये कि लोग स्वावलम्बन का जीवन बिता सकें। जिस तरह जापान में सुनते हैं कि बच्चों और बूढ़ों का जीवन वहां स्वावलम्बन का जीवन है, वहां पर बच्चे और बूढ़े घरों में काम करते हैं और उनकी तैयार की हुई चीजों को राज्य ले लेता है। यहां यदि कोई काम करे तो उनकी चीजों को लेने वाला कोई नहीं। तो सरकार को इस तरह का प्रबन्ध करना चाहिये कि वे लोग सप्लीमेंटरी उद्योग के तौर पर काम करते रहें और इस तरह अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा कर सकें। इसलिये उद्योगों और खास कर छोटे उद्योगों की तरफ राज्य सरकार ध्यान दे। महात्मा गांधी ने सबसे पहले छोटे उद्योगों पर ध्यान दिया था। बहुत से माननीय सदस्य कहेंगे कि चर्खे-करघों से उत्पादन नहीं बढ़ सकता, पर मैं कहूँगा कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ बेकारी को भी मिटाना है और बेकारी छोटे छोटे उद्योगों से ही मिट सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र को लेते हैं तो यह बड़ी खुशी की बात है। मैं सरकार की सराहना करूंगा कि हमारे यहां शिक्षितों की संख्या बहुत बढ़ रही है, लड़के और लड़कियों की शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है, पर इसमें मिकदार, क्वान्टिटी अवश्य बढ़ रही है; पर क्वालिटी, गुणों की ओर कोई ध्यान

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा बढ़ रही है पर बेकारी भी उतनी ही बढ़ रही है। युनिवर्सिटी और बोर्ड से पास होकर निकलते हैं उन नवयुवकों के सामने जीवन–यापन की समस्या भयंकर रूप धारण करके इस तरह खड़ी होती है कि उनकी परीक्षा पास करने की खुशी चन्द दिनों में ही मिट जाती है और रोटी की चिन्ता उन्हें घेर लेती है। हमारे यहां पुरानी कहावत है कि "अर्थकरी च विद्या" विद्या अर्थकरी होनी चाहिये, पर आज यह विद्या अर्थकरी नहीं रही। सरकारी सेवाओं के अलावा आज का शिक्षित वर्ग क्या करे? जो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं उनमें से कुछ आर. ए. एस., आई. ए. एस. हो जाते हैं बाकी कम पढ़े–लिखे पटवारी या क्लर्क बन जाते है, आज कोई एम. ए., एल एल. बी. कर लेता है तो भी उसको स्थान नहीं मिलता, आज एम. ए., एल एल. बी. लोग एल. डी. सी. हैं। यह आज शिक्षा का स्तर है। हम कह रहे हैं कि देश के युवकों को शिक्षित कर रहे हैं पर उनको योग्य पद नहीं मिलता है, तो हम शिक्षा का अपमान करते हैं। तो शिक्षा सच्चे माने में शिक्षा हो, अर्थकरी शिक्षा हो और सच्चा नागरिक बनाने वाली शिक्षा हो। आज का युवक है, जिस प्रकार की उसे शिक्षा दी जा रही है इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके क्या युवक हमारे देश का जो आदर्श रहा है उसको प्राप्त कर सकते हैं? आज जो अनुशासनहीनता आदि चीजें हैं, उन सबका एक ही कारण है कि हमारे बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, नेता हैं वे शिकायत तो जरूर कर देते हैं; राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्री शिकायत तो कर देते हैं कि आज की शिक्षा, सच्ची शिक्षा, सच्चे नागरिक बनाने वाली शिक्षा नहीं है, पर यह नहीं बताते कि सुधार कहां किया जाय। तो मैं कहूँगा कि हमारी शिक्षा को बढ़ाया तो जा रहा है पर इसमें नैतिक, आध्यात्मिक गुण भर कर सच्ची शिक्षा को नहीं बढ़ाया जा रहा है।

अस्पताल और स्वास्थ्य सम्बन्धी चीजें हैं उनके बारे में यद्यपि कहा जाता है कि हमने बहुत से अस्पताल खोल दिये हैं। इसके बारे में विशेष रूप से तो किसी दूसरे मौके पर बताऊंगा पर मैं इतना संकेत कर देना चाहता हूँ कि डिस्पेन्सरियां खोली जाती हैं, अस्पताल खोले जाते हैं पर वहां डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, तो वहां की जनता कैसे स्वास्थ्य लाभ करेगी? तो मैं यह कहूँगा कि १५ वर्षों के अन्दर जनता का स्वास्थ्य सुधारने में हम उतना उद्योग नहीं कर सके हैं जितना दूसरे आजाद देशों ने आजादी प्राप्त करने के बाद ही तेजी के साथ किया है। हमारे यहां दवा–दारू की शिकायत है, लोगों को शिकायत है कि अस्पतालों में दवाएं नहीं मिलतीं, कीमत देकर बाजार से लानी पड़ती हैं। अभी हमारे एम. एल. ए. साहब १०–१५ दिन से वहां अस्पताल में पड़े हुए हैं; हर चीज़ के लिये कहते हैं बाजार से दवाई मंगाओ, अस्पताल में सस्ती छोटी दवाई के अलावा और कोई दवाई नहीं रखी जाती। मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य का जिम्मा सरकार पर है तो औषधियों का भी प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये।

समाज कल्याण कार्य के सम्बन्ध में बड़ी सुहावनी बातें कही जाती हैं। सार्वजनिक तौर पर सवर्ण, अवर्ण का भेद–भाव बना हुआ है, उसको दूर करने के लिये रहनें जरूर हैं तो हैं। अभी सप्ताह मनाया, पर सफल नहीं हो

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रहा है जैसा कि होना चाहिये। सार्वजनिक अधिकार जब तक उनको उसी प्रकार से नहीं मिलता है जिस तरह कि सवर्ण लोगों को है तब तक उनका सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता।

रोजगार के सम्बन्ध में भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा....

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

मैं थोड़े में ही समाप्त किये देता हूँ।

पंचायतों और विकेन्द्रीकरण के बारे में मुझे दो शब्द कहने हैं, यद्यपि बाद में इस पर किसी अवसर पर विशेष रोशनी डालूंगा। जो शिकायतें दूसरों को रही हैं, वही शिकायतें मुझे भी रही हैं। जो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव हुए हैं वे लोकतन्त्र की तरक्की करने वाले नहीं। जिन तरीकों से वोट लिये गये हैं, सहवरण किये गये हैं, वे लोकतन्त्र की नींव को मजबूत नहीं कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिये जाने वाले धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(३. म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : Shri Mogbji Bhai or Shri Hira Bhai; either of the two.

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के अभिभाषण पर विचार हो रहा है उस संबन्ध में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हमने पढ़ा। राज्यपाल महोदय के भाषण में बताया गया है कि हमारे राजस्थान में एक खेतिहर किसान को, मजदूर को बहुत ऊंचा व तरक्की देने के संबन्ध में और उनकी पैदावार अधिक बढ़ाई जाने के संबन्ध में उल्लेख किया गया है।

(३. १ म० प०)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

वैसे तो राजस्थान में नहरें आदि आने से सिंचाई होने की संभावना है, इस ओर भी सरकार ने उल्लेख किया है। साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर का एक विशेष उल्लेख किया है जिससे मालूम पड़ता है कि सरकार को दिखाने के लिये या अन्य विभाग को या सदन को जानकारी के लिये बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठा कर बांसवाड़ा डूंगरपुर को बताया है कि उसकी एक विशेष उन्नति की है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में यह बताया गया है कि वहां बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों में सरसरी आर्थिक सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि कुल क्षेत्र जिसमें फसल बोई गई है, पिछले आठ वर्षों में ६० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है, यानी पहले जितनी फसल बोई जाती थी उससे ६० प्रतिशत अधिक फसल बोई गई है। यह भी बताया गया है कि गेहूं कि फसल ५० प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र में की गई है और प्रति एकड़ पर ८० प्रतिशत से ज्यादा उपज बढ़ गई है। दूसरा इशारा सिंचाई क्षेत्र की

(श्री भोगजी भाई)

और किया गया है और बताया गया है कि वह भी ४० प्रतिशत से ऊपर बढ़ गया है। यानी ५० प्रतिशत के करीब सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया है। वहां की विशेष कर आदिवासियों को खेती करने वालों को बहुत बड़ी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। इसमें नीचे लिखा गया है कि इस सर्वे के दौरान में, भौतिक सफलताओं के अलावा अच्छे और सक्रिय जीवन के महत्व के प्रति लोगों में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सजगता पाई गई। हाली अथवा सागड़ी प्रजा जो स्वतन्त्रता से पूर्व प्रचलित थी करीब करीब विलुप्त हो गई है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम पूरा है या नहीं इसकी जांच कराई जावे।

श्री भोगजी भाई : मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पहाड़ी और पथरीली जमीन है और ऊबड़–खाबड़ जमीन है वहां पर एक ही फसल बोई जाती है। अगर कुदरत से वहां वर्षा हुई तो वहां पर फसल हो जाती है और वर्षा नहीं होती है तो फसल नहीं होती। हर दूसरे–तीसरे साल वहां के लोगों को रोटी–रोजी के लिये मारे मारे फिरना पड़ता है। अभी वहां बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अनावृष्टि से खरीफ की फसल नहीं पकी और रबी की फसल नहीं बोई गई। ऐसी सूरत में सरकार ने कोई राहत कार्य नहीं खोला है। लेकिन इस प्रकार के जो आंकड़े बताये हैं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रगति हुई है और इस प्रकार का प्रबन्ध है, मगर हम यह देखते हैं कि वहां कोई ऐसा तालाब या बांध नहीं बनाया गया है जिसके जरिये से सिंचाई होती है, जिससे फसल को पानी दिया जाए और पैदावार बढ़ी हो। सिर्फ छोटे–बड़े पूलों से जो १५ प्रतिशत भूमि की सिंचाई नहीं कर सकते हैं उससे जरूर काम होता है। सिंचाई के जरिये लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल गई, ऐसी कोई सुविधा आज तक नहीं है और इन आदिवासी एरिया में सरकार ने जिस ढंग से जिस आदिवासी के रूप में प्रगति दिखाने की कोशिश की है मैं समझता हूं कि यह गलती हो गई है। वहां के लोग आज भी इतने पिछड़े हुए हैं कि आज भी बहुत से लोगों को घर में खाने को नहीं मिलता है। खेती करने का भी उनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं है। ऐसी हालत में उन पर कर्जा इतना अधिक बढ़ गया है कि शायद ही पहले इस प्रकार का कर्जा हुआ हो। ऐसे कर्जदार वहां के लोग बन गये हैं जिससे कभी भी अपना माथा ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। इस जिले की आज की स्थिति को देखते हुए अगर तुलना करते हैं, भारत के संविधान में इस प्रकार का अधिकार राज्यपाल महोदय को दिया हुआ है, इस प्रकार का विशेष अधिकार दिया गया है कि जहां आदिवासियों के क्षेत्र में इस प्रकार की हालत हो, लोग कर्जे से पिछड़े हुए हों या उनको पुरानी प्रथाओं से ऊंचा उठाना हो तो उसके लिये राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि वे उनको कानूनी सुविधा देकर उनको मुक्ति दिलावें। मगर १३–१४ वर्षों में आज तक भी राज्यपाल महोदय ने हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिये कोई सुविधा नहीं दी है। इस प्रकार का जो उल्लेख है, हम चाहते हैं कि वहां के आदिवासियों को कानूनन सुविधा देकर कर्जे से मुक्त कराया जावे और उनको जमीन दिलावें। आज भी

(श्री मोगजी भाई)

बहुत से लोग कर्जे में फसे हुए हैं।

शिक्षा में जितनी बढ़ती बताई जाती है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर भी लोग कम से कम २ प्रतिशत या ४ प्रतिशत शिक्षित होंगे। बाकी सब अशिक्षित हैं। उन्हें शिक्षा की सुविधा देना बहुत जरूरी है। इस जिले में शिक्षा का साधन नहीं मिलने से काफी लोग पादरियों के प्रभाव में आकर उनकी शिक्षा की शरण में जाते हैं और उनको उनकी शिक्षा की शरण लेनी पड़ती है और उनको आगे बढ़ने के लिये उसी मत की सलाह मिलती है। हमारे यहां पर भी शिक्षा का बहुत बड़ा विभाग है जिस पर लाखों रुपया सरकार खर्च करती है। ऐसी हालत में ऐसे इलाकों के लिए वहां होस्टलों के जरिये आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिये विशेष सुविधा सरकार को देनी चाहिये थी, मगर ऐसा नहीं। होता यह है कि साधारण रूप में आदिवासियों के लिये एक होस्टल खोल दिया। कोई ठीक चलता है या नहीं, इसको नहीं देखते। वहां प्राइवेट संस्थाएं हैं जो हरिजनों और आदिवासियों को पढ़ाती हैं। उन संस्थाओं को किसी प्रकार की एड या सहयोग, विभाग की ओर से नहीं मिलता। इसलिये वे संस्थाएं भी साधारण सी, नाम मात्र की बनी हुई हैं।

मैं यह सरकार से निवेदन करूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण में जो बताया गया है वहां की आमदनी और वहां के लोगों की अच्छी हालत बन गयी है, यह तो इस माने में है कि एक राजनीतिक आधार पर उस जिले को किसी तरह से भारत सरकार से या राज्य सरकार से वहां के आदिवासियों को सहायता देने में या उनको अधिक पिछड़े पन में रखने के लिए। इस प्रकार का उल्लेख, हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण में बताया गया है। उस जिले में सरकार को जितना अधिक काम करना चाहिये था उतना नहीं हुआ है। फिर भी आगे हम चाहते हैं कि वहां के लोग जिस प्रकार से सहयोग दें और आगे आवें सरकार की ओर से उन लोगों को खेती–बाड़ी के सुधार के लिए उन्नत औजार दें। लेकिन उनको अब तक पिछड़े रखने का एक ही आधार है राजनीति का। अभिभाषण में उसका उल्लेख कर उनको पिछड़े रखने का एक मात्र उपाय है, यही मैं समझता हूँ।

हमारे बांसवाड़ा–डूंगरपुर जिले में किसानों को अपने आपको जीवित रखने का एक ही मात्र आधार खेती है व दूसरा जंगल है। लकड़ी के औजारों से वहां के लोग खेती करते हैं और उन्हीं पर उनका जीवन निर्भर करता है। हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि बांसवाड़ा जिले के जंगल हैं, जिनसे सरकार को लाखों की आमदनी होती है, राज्य सरकार ने पूरे जंगलों को चीप कार्ड बोर्ड फेक्ट्री खोलने के नाम पर, ठेके पर देने का निश्चय किया है और इस जिले से जो खराब लकड़ी होगी वह आमदनी के हिसाब से किसी शर्त पर ठेकेदार को दी जावेगी। इस प्रकार का ठेका तीस वर्ष की अवधि के लिए किसी कम्पनी को देकर, राज्य सरकार अलग रह कर आदिवासियों को उनके द्वारा शोषण कराना चाहती है, उन करोड़पतियों और लखपतियों को जंगल देकर; इस प्रकार उनका शोषण सरकार कराना चाहती है। सरकार को

(श्री मोगजी भाई)

सहकारिता के आधार पर जंगल सोसाइटीज़ बना कर, जो उनमें मजदूर आदि काम करने वाले हैं उनको धन्धा मिल सके, इस दृष्टि से जंगल देने चाहिये थे लेकिन नहीं दिये हैं। इसका इस भाषण में कोई उल्लेख नहीं है। राजस्थान में जंगलों का इतना बड़ा एरिया है कि जिससे जंगल विभाग को लाखों रुपयों की हर साल आमदनी होती है और कई उद्योग जंगलों से चलते हैं। सरकार ने कई कई जगह सहकारी समितियों को जंगल दिये हैं। उस विषय में वन विभाग की ओर से राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं उल्लेख नहीं है। जंगल राजस्थान का बहुत बड़ा अंग है और उसकी आमदनी होती है और बड़े उद्योगों के लिए भी साधन हैं। इसमें सरकार किसी प्रकार से छोटे उद्योगों को पनपाने का लक्ष्य नहीं रखती है। राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि लखपति, करोड़-पति उस उद्योग में आवें और ठेके लें, वे ही पनपें। राज्य सरकार का अधिक से अधिक गरीब लोगों को इस धन्धे से वंचित रखने का ही उद्देश्य है। इसीलिए इस भाषण में गरीबों को देने के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊं कि पुलिस की रीति आज-कल दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। कहीं से कितनी ही शिकायतें आवें, चाहे कितनी ही जनता चिल्लाये जिन पर बड़े अधिकारियों और मिनिस्टरों का वजन होता है और लोगों का वहां तक पहुंचना नहीं होता है इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और ऐसे रिश्वतखोर थानेदारों को कायम रखना सरकार ने लाजमी मान लिया है। चाहे किसी प्रकार से चुनावों में सत्तारूढ़ दल को मदद मिलती हो, लेकिन जनता की परेशानी बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से आज तक कोई इलाज नहीं किया गया है। इस इलाज के लिए कोई न कोई ऐसी कमेटी बिठायी जाय और जांच करायी जाय कि सरकार इस मामले में क्यों कमजोर है, क्यों इतनी चोरी–डाके, अशान्ति और भूखजनी पैदा होती है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सरकार इस वक्त बहुत स्वस्थ है।

श्री मोगजी भाई : सरकार इस ओर सतर्कता से विचार करने के लिए कदम उठाये।

सभापति महोदय, अभी अभी जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए और राज्यपाल के भाषण में भी उल्लेख किया गया है कि सरकार ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है विकेन्द्रीकरण करके, जनता के छोटे २ प्रति-निधियों के हाथ में सत्ता दी है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूँगा कि जिन प्रतिनिधियों का चुनाव होकर ग्राम पंचायतों में लोग आये हैं वे इसलिये आये हैं कि पंचायतों में जिला परिषदों में जो शिकायतें आयेंगी सस्ता न्याय उनको जल्दी मिल सकेगा, इसी आधार पर ये चुनाव हुए हैं। इन पंचायत समितियों द्वारा अपने अपने विकास के लिये प्रस्ताव पास किये जाते हैं और उन प्रस्तावों को जिला परिषद के जरिये सरकार के पास भेजा जाता जाता है, लेकिन सरकार द्वारा उनपर जल्दी

(श्री मोगजी भाई)

निर्णय नहीं होता। ऊपर से जितने भी कानून बन रहे हैं, ऑर्डर दिये जाते हैं वे पंचायत समितियों के अनुकूल नहीं, जबर्दस्ती उन पर अधिकार रख कर जनता को सुविधा देने में सरकार असमर्थ रही है।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने गवर्नर महोदय के अभिभाषण को पढ़ा है, उसमें पिछले साल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दर्मियान सरकार की तरफ से जो भी कुछ किया गया है उसका एक अच्छा रिव्यू उसमें दिया हुआ है और आगे के लिये जो भी निर्देश दिये गये हैं वे कुछ वेग से हैं। होना तो यह चाहिये था कि नेक्स्ट इयर के लिये जो भी कोन्क्रीट प्रोग्राम्स हों उनकी एक निश्चित रूपरेखा हम इस अभिभाषण में प्रकट करते। इस अभिभाषण में अगले सालों के लिये इस प्रकार की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है।

दूसरी बात जो इस अभिभाषण में मैंने पाई वह मैं एक प्रकार से कोम्पलीसेन्सी महसूस करता हूँ इस अभिभाषण को देखकर, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा :

"असन्तुष्टा द्विजा नष्टा सन्तुष्टा श्च नराधिपा
सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा श्च कुलवधु।"

राजाओं द्वारा जो शासन करते हैं उनके द्वारा जो भी काम किया गया है उससे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये उनकी हमेशा यह नीति रहनी चाहिये कि जो कुछ किया उससे बेटर करने का इरादा रहना चाहिये, किसी प्रकार की कोम्पलीसेन्सी नहीं आनी चाहिये। मैं देखता हूँ, कुछ जगहों पर इस अभिभाषण में कोम्पलीसेन्सी नजर आती है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम की तरफ भी ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : (सचिव महोदय से) Let the quorum bell be sounded.

(गणपूरक घन्टी के पश्चात्)

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, इस अभिभाषण के एक पैराग्राफ की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो पॉवर प्लॉन के सम्बन्ध में है। मैं आपका ध्यान इस अभिभाषण के पैराग्राफ तीन की तरफ आकर्षित करता हूँ, जहां पॉवर प्लॉन के सम्बन्ध में कहा गया है :

"The power plan of Rajasthan, which rested mainly upon the development of hydro-electric power of the Bhakra and Chambal Projects, while supporting agriculture programmes, was expected to help industrial progress."

इसमें कहा गया है कि पॉवर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकलचर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंन्ट में मदद करेंगे। जहां तक एग्रीकल्चर को पॉवर देने का सवाल है मैं देखता हूँ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम काफी कम रहा है, इसके

Page No.85

(श्री पी. के. चौधरी)

बारे में मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, वे मैं आपके सामने पेश करूंगा। जहां तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम जाकर राजस्थान में सात प्रतिशत भी रूरल पोपुलेशन को पॉवर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक, जैसी कि आज की हमारी योजना है उसमें २४ प्रतिशत पोपुलेशन को पॉवर सप्लाई करेंगे, उसमें से सात प्रतिशत पोपुलेशन रूरल एरिया में रहेगी। इससे जहां हम यह कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोग्राम को सपोर्ट किया गया है यह बात सही निकलती है।

दूसरी बात पॉवर युटिलाइजेशन की बात है, इसके कुछ स्टेटिसटिक्स हमने निकाले हैं। इर्रिगेशन के लिए और दूसरे पर्पज़ के लिए कितना पॉवर डिस्ट्रिब्यूट किया, पेटर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कन्ज़म्शन है जिसके १६५८ के फीगर्स अवेलेबल हैं उससे जाहिर होता है कि राजस्थान में १६५८ में हमने ६६ मिलियन किलोवाट युनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम की है, उसमें से सिर्फ दो मिलियन युनिट इर्रिगेशन और एग्रीकल्चर पर्पज़ से लिये की है। बाकी ६८ मिलियन युनिट्स का खर्चा हुआ है शहरों में, जो इन्डस्ट्रीज़ आदि दूसरे पर्पज़ के लिए माना जाता है। इसलिए अभिभाषण में जो कहा गया है कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया गया है वह तथ्यों से पूरी तरह से सपोर्ट नहीं होता है।

दूसरी बात सभापति महोदय, हमारा जो पॉवर प्रोग्राम है उसके अनुसार आज हिन्दुस्तान में पर केपिटा कन्ज़म्प्शन २५ युनिट पर हैड है और राजस्थान में पर केपिटा ३–६–७ यानी चार युनिट्स, वे भी कम हैं। इसका हम दूसरे मुल्कों के साथ कम्पेरिज़न करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहां पर केपिटा कितना कम कन्ज़म्प्शन है। इसके कुछ फीगर्स मैंने इकट्ठे किये, जैसे नोर्वे में ५॥ हजार पर केपिटा, स्वीडन में तीन हजार, युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो हजार, युनिट पर हैड; जब कि वहां पर –परकेपिटा इतना युनिट्स खर्च होता है, उसके मुकाबले हमारे हिन्दुस्तान में २५ युनिट्स ही आता है और राजस्थान में जाकर वह चार युनिट से भी कम पड़ता है पर–केपिटा। यानी जहां तक पॉवर का सवाल है यह माना गया है, this is a measurement.

आज हम राजस्थान और हिन्दुस्तान की प्रोसपेरिटी को मैजर करना चाहते हैं तो उसका यार्ड स्टिक होता है पॉवर कन्ज़म्प्शन। इसमें हम साफ देखते हैं कि ऑल इन्डिया का एवरेज जहां २५ यूनिट का होता है हमारे यहां केवल चार युनिट कन्ज़म्प्शन है। This is a measurement, It is a yards-tick by which we can measure our prosperity.

इस संबन्ध में सभापति महोदय, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रशिया में जब रिवोल्युशन हुआ उसके बाद १६२० के अन्दर यानी वहां की दूसरी प्लान बनने के पहले वहां पहले इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लान बनाया था। लेनिन ने १६२० के अन्दर दिसम्बर के महीने में सोवियट कांग्रेस में कहा था कि the electirrifiatfon is fhe material basis of socialism.

Page No.86

(श्री पी. के. चौधरी)

समाजवाद केवल पोलिटिकल रिवोल्यूशन से नहीं आता है। जहां हम सोशयलिज्म लाना चाहते हैं वहां हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलना होगा, मोड ओफ लिविंग में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। इसके बारे में एक थीसिस प्रकाशित हुआ था उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई थी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कन्ट्री। Electrification is the material basis of socialism. और इसको कांग्रेस में डिक्लेयर किया था कि "Give me the Electricity and I will carry the revolution to the huts of the Russian peasants."

यानो इस प्रकार की इम्पोर्टेन्स पॉवर डेवलपमेन्ट को दी थी और उसमें भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को दी थी क्योंकि पोलिटिकल रिवोल्युशन भी रिवोल्युशन नहीं कर सकता जब तक गांवों में रहने वालों का मोड ऑफ लिविंग में रिवोल्युशन नहीं ला पाते और इस प्रकार का रिवोल्युशन सिर्फ इलैक्ट्रिफिकेशन के जरिये ला सकते हैं, दूसरे किसी तरीके से नहीं ला सकते। तो इसलिये इस अभिभाषण में पॉवर में जिस सैल्फ कॉम्प्लीसेन्सी की बात कही गई है उसको मैं समझता हूँ कि वह सैल्फ कॉम्प्लीसेन्सी नहीं है। उसको अगर रखना है तो इस प्रकार रखना चाहिये कि उसका अधिकांश लाभ रूरल पोपुलेशन को मिले। आज जो पॉवर प्रोडक्शन है उसका बहुत कम हिस्सा माइनर प्रोपोर्शन एग्रीकल्चर के लिये यूज़ करते हैं। तो इसको कम से कम अगली साल या थर्ड फाइव इयर प्लान में रेक्टीफाई करना चाहिये और इसके लिये निश्चित पर्सेन्टेज तय करना चाहिये कि हम कम से कम २५ पर्सेन्ट या इससे अधिक जो प्रोड्यूस होगी उसका एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये देंगे।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं फूड प्रोडक्शन के सम्बन्ध में जो जिक्र आया है उसके सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। इसके लिये पैराग्राफ ६ में बताया गया है कि १२ लाख टन सेकन्ड फाइव इयर प्लान में ज्यादा प्रोड्यूस किया, यानी सेकन्ड फाइव इयर प्लान के अन्त तक एस्टीमेटेड प्रोडक्शन पचास लाख टन होगा, पर इसके बावजूद देखते हैं कि फूड ग्रेन की प्राइसेज़ कम नहीं हो रही हैं। हमने देखा कि हमारे जो प्लानर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका ध्यान आज ज्यादातर एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट पर है कि हम कुल कितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस करें। पर उसके प्रोड्यूस होने के बावजूद भी क्रोप अच्छी हुई, फिर भी प्राइसेज़ रिड्यूस नहीं होते; तो इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि फूड ग्रेन तो प्रोड्यूस होती है पर मार्केटेबली सरप्लस नहीं है, यानी इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि फूड ग्रेन के प्रोड्यूस के साथ साथ मार्केट में भी सफीशियेन्ट क्वान्टिटी दी जाय और मार्केट नीड्स फूड ग्रेन की फुल्ली सैटिसफ़ाई करनी चाहिये; इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका कारण क्या है, इसकी भी जांच नहीं की जा रही है। यह जरूर किया जा रहा है कि हम रेगुलेटेड मार्केट का कानून बना रहे हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना रहे हैं। इसके बावजूद भी मार्केटेबल सरप्लस को सफीशियेन्ट क्वान्टिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पावेंगे जब तक, तब तक रेट्स कम नहीं होंगी, और न कोस्ट ऑफ लिविंग कम होगा।

Page No.87

(श्री पी. के. चौधरी

जैसा कि एक ने कहा कि प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिये पर होती क्यों नहीं, जब कि हमने ५० लाख टन प्रोड्यूस किया है ? मैंने यह कैल्कुलेट करके देखा है कि ८० औंस पर हैड आप कन्ज़म्पशन रक्खें तब भी ३६ लाख टन से ज्यादा नहीं होता। यह हमारी नीड्स हैं, इससे पचास पर्सेन्ट ज्यादा प्रोड्यूस हम कर रहे हैं पर इसके बावजूद भी कम नहीं होती रेटें। तो फूड प्राइसेज़ बढ़ गये, फिर जो प्राइस है उसे रिटेन किया जा रहा है। यह कुछ लोग रिटेन करते हैं। इसके सम्बन्ध में राजस्थान में एन्क्वायरी नहीं की गई है कि यह रिटेन कौन करता है। दूसरी जगह एन्क्वायरी की गई है। इसमें गया गया है कि जो रिटेन्शन होता है वह ज्यादातर बिग प्रोड्यूसर जो हैं और जो मीडियम स्केल प्रोड्यूसर हैं वे रिटेन करते हैं और वह फूड ग्रेन का रिटेन्शन ही इन्फ्लेशन का कारण है। यह नहीं कि प्राइसेज़ बढ़ती रहें तो वे अपना प्रोड्यूस बाजार में ले आवें। जब महसूस होता है कि बढ़ रही है प्राइस, तो ज्याद रिटेन करते हैं। तो हमारे यहां यह भी जांच की जावे कि आज फूड ग्रेन इतना प्रोड्यूस होने पर भी वह रिटेन कहां होता है, कौन उनको होल्ड करके बैठा है और जिसकी वजह से रेटें डाउन नहीं हो रही हैं। मार्केट में नहीं आ रहा है वह। तो उसे होल्ड कौन कर रहा है ? यह कौन से वर्ग का एग्रीकल्चरिस्ट है-स्माल, मीडियम या बिग या बिज़नेस कॉम्युनिटी है वह; इसकी एन्क्वायरी करनी चाहिये। एकेडेमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से भी जांच तो होनी चाहिये कि क्यों नहीं बाजार में प्राइस घटती है।

दूसरी बात, सुझाव देना चाहता हूँ। आज हम जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट देते हैं उसको भी मैं समझूंगा कि मार्केट सरप्लस के साथ लिंक कर देना चाहिये। आज एग्रीकल्चरिस्ट को आप लोन देते हैं, पर उसके साथ कोई कन्डीशन नहीं। लोन देने के बाद परवाह नहीं रखते कि जो प्रोड्यूस सरप्लस हुआ उसको मार्केट में लाया जाता है या खुद उसको होल्ड करके रखता है। तो मार्केट की रेट्स को उसमें सरप्लस प्रोड्यूस आपका आवे। इस मामले को टैकल करना है तो कम से कम इस प्रोब्लम की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये और कुछ तरीके इस तरह के निकालने चाहिये कि जिससे जो क्रेडिट आप देते हैं या बैंक देते हैं या रिज़र्व बैंक देते हैं और सस्ते ब्याज पर देते हैं और इसलिये देते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट उसका फायदा उठा सकें और काफी मात्रा में आप देते हैं तो इसके साथ आपको यह भी देखना चाहिये कि आपका यह क्रेडिट कहीं फूड ग्रेन विथहोल्ड करने में तो उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो चाहूँगा कि इस लोन को भी मार्केटेबल सरप्लस के साथ लिंक कर दिया जावे। इसके लिये कन्डीशन रखी जावे कि वे अपना सरप्लस फूड ग्रेन मार्केटिंग सोसाइटियों के जरिये बेचे, न कि इन्डिविजुअल तरीके से।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं इन्डस्ट्रियल सैक्टर के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। जहां तक इसका सवाल है, मैं दो–तीन चीजों का इसमें वैलकम करता हूँ, खास कर इसमें जो फंक्शनल इन्डस्ट्रियल एस्टेट का जिक्र किया गया है। आज तक जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट हमने यहां पर एस्टेब्लिश की हैं उनसे जो

Page No.88

(श्री पी. के. चौधरी)

इम्प्रेशन गेदर किये हैं उनसे महसूस होता है कि इन इन्डस्ट्रियल एस्टेटों को जिन्होंने लिया, कारखाने लगाये या कारखाने लगाने के नाम से लिया है; large majority of them are not doing full justice to the facillty provided to them. जयपुर में बहुत सों ने जो उनको लोहे वगैरह का कोटा माल बनाने के लिये मिला, उस माल को और कोटे को बाजार में ब्लैक से बेच दिया और बेचते हैं। तो इसको रोकने के लिये यह फंक्शनल एस्टेट का तरीका ठीक है। जब सरकार की तरफ से इतनी फेसीलिटी दी जाती है तो यह भी देखा जाना चाहिये कि उन फेसीलिटीज़ का लोग मिसयूज़ नहीं कर पावें। गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि रेडियो का एक इन्डस्ट्रियल फंक्शनल एस्टेट, यहां पर नियत किया जावेगा। मैं चाहूँगा रेडियो है, साइकिल है या इस प्रकार के यूनिट्स हैं; जो बड़े कारखाने में होते हैं, पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट में स्माल स्केल में एक एक इन्डि-विजुअल या उद्योगपति हैं, एक एक पार्ट बनाते हैं, पर एक एस्टेट में मान लीजिये पन्द्रह–बीस फैक्ट्रीज़ होती हैं वे सारी मिलकर एक रेडियो सैट बनाते हैं, इसको फंक्शनल एस्टेट कहते हैं। यह जो किया है, इससे जितने इन्डस्ट्रियल एस्टेट हैं उनको फंक्शनल एस्टेट का रूप दे दिया जाना चाहिये और इनको ही प्रोत्साहन देना चाहिये। इससे यह होगा कि वे किसी आर्टिकल का ब्लैक नहीं कर पावेंगे और इसको कोई गुंजाइश नहीं रह पावेगी, सबके फंक्शन्स का चैकिंग होता रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष ने पार्टिक्युलर पार्ट लगाने का कारखाना बनाया और हरएक व्यक्ति को एक पार्ट बनाने का काम दे दिया तो अगर उनमें से एक भी काम नहीं करेगा तो बाकी वाले उनको चैक कर लेंगे और सब मिलकर चूंकि एक रेडियो सैट या एक मशीन बनती है तो उस एक के पुर्जे के तैयार नहीं होने से सबकी निगाह उस पर लगेगी और उसको भी सबके साथ उस पुर्जे का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो एन्टायर रेडियो सैट का काम विथ्होल्ड हो जावेगा। तो इस तरह से ब्लैक मार्केट और ब्लैकमैल भी डिडक्ट हो जाती है। इसलिए every individual member of the industrial estate is thus checked from mis-using the facility. मैं तो चाहूँगा कि साइकिलों के लिए हो, रेडियो के लिए हो, क्लोक्स यानी घड़ियाल के लिए हो; वह होना चाहिए फंक्शनल इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिए।

दूसरे, मैं असिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में कहूँगा। इसका भी मैं बहुत वैलकम करता हूँ। मैं तो चाहता था कि ऐसा ही पहले होना चाहिए। किसी इन्डस्ट्री में किसी को एक्सपीरियेन्स है या खुद का आइडिया है और वह काम करना चाहता है, उसको आप असिस्ट करते हैं तो उसके अन्दर it will lesser finance and with lesser Government commitment we can have larger amount of work done, larger amount of industries established. तो मैं चाहूँगा कि जो असिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट की योजना है उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाये क्योंकि इससे हमको काफी फायदा हो सकता है।

दूसरी बात सभापति महोदय, यहां मैं पर नई इन्डस्ट्रीज़ के खोलने के बारे में कही गई।

28/2/61

(श्री पी. के. चौधरी)

लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में जहां तक इन्डस्ट्रीज़ खोलने का सवाल है उसमें ऐसा लगता है कि हैवी इन्डस्ट्रीज़ खोलने के लिए इन्डस्ट्रियलिस्ट के पास जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होती है तब तक इन्डस्ट्री कोई भी खोलने के लिए तैयार नहीं होता है। लोकनाथन बताते हैं कि हमारे यहां राजस्थान में कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज़ का स्कोप है, लेकिन केवल इतना ही बता देने से कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट अपनी इन्डस्ट्री नहीं लगायेगा। किस चीज का रॉ मैटीरियल हमारे यहां पर है, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ेगा, वह राजस्थान में दूसरे प्रान्तों से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा; ये सब बातें जब तक मालूम नहीं होती हैं, तब तक कोई भी यहां पर लार्ज-स्केल इन्डस्ट्री नहीं लगायेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर लार्ज स्केल इन्डस्ट्री अपने यहां पर आप लगवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट बड़ा कारखाना लगाये तो पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर सोडा एश का कारखाना चालू करने के लिए हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी ने कोशिश की थी, परन्तु उसके लिए काफी फाइनेन्स की जरूरत होती है, इसलिये इसको हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी भी चालू नहीं कर पाई जिसके पास कि काफी फाइनेन्स था। तो इतनी बड़ी कम्पनी, कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट हमारे कहने से चालू नहीं कर देगा जब तक कि हम उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार की जो सिलेक्टेड इन्डस्ट्रीज़ हैं उनके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर एक इन्डस्ट्री के लिए बनाई जानी चाहिए।

श्री सभापति : Five minutes more.

श्री पी० के० चौधरी : I shall do it in between.

श्री सभापति : Only in a minute.

श्री पी० के० चौधरी : तो सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के लिए पहले राज्य सरकार को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में जो भी खर्चा हो वह जो भी व्यक्ति इस इन्डस्ट्री को चलाने का काम लेगा उससे रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ इन्डस्ट्रियल सर्वे से ही काम नहीं हो सकता है।

इसके बाद सभापति महोदय, तीसरी बात जिसका मैं स्वागत करता हूँ वह यह है कि हाली और सागड़ी के सिस्टम को जो एबोलिश कर दिया है वह सरकार ने बहुत अच्छा किया।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं राजस्थान की स्टेट इन्कम के बारे में कहना चाहता हूँ। स्टेट इन्कम का राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पैरा २८ में जिक्र किया गया है। नेशनल कौन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक्स रिसर्च ने स्टेट इन्कम को असेस किया है। फर्स्ट फाइव इयर प्लान के एण्ड तक यह ४५०.३० करोड़ और सेकिण्ड फाइव इयर प्लान के एण्ड तक ५४६.६५ करोड़ के लगभग स्टेट इन्कम हो जायेगी। लेकिन सभापति महोदय, इसमें एक

Page No.90

(श्री पी. के. चौधरी)

बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बेसिस पर यह स्टेट इन्कम एस्टेब्लिश की गई है वह बेसिस मुझे कुछ इनइफेक्टिव स्टेटिस्टिक्स के आधार पर किया हुआ महसूस होता है। उन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत डिराइव्ड स्टेटिस्टिक्स और गैस वर्क से असेस किया है और यह हमारी स्टेट की इन्कम की राइट पिक्चर नहीं देता है। हमको कोई भी प्लान बनाने के पहले उसका एक्युरेट स्टेट इन्कम असेस करना चाहिए जिससे मालूम हो सके कि सही पिक्चर यह है। जब तक कोई बेसिस करेक्ट नहीं होता तब तक यह कहना मुश्किल होता है। इस स्टेट इन्कम में भी फिगर्स जहां से लिये हैं वे करेक्ट नहीं हैं जिनको कि हम बेसलेस कह सकते है। जो फिगर्स एनिमल हस्बेन्डरी से लिये हैं और जो स्टेट इन्कम का हिस्सा स्माल स्केल इन्डस्ट्री से लिया है इस प्रकार से बहुत सी स्टेट इन्कम में एड किया है, जिसके कोई करेक्ट स्टेटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, सिवाय एक–दो विभाग के। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम करेक्ट पोज़ीशन मालूम नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ कि स्टेट इन्कम के जो फिगर्स हैं वे डिस्प्यूटेबल हैं और उसी के ऊपर हम डिपेण्ड करें तो we may be deceived even.

दूसरी बात सभापति महोदय, जिसका जिक्र गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है वह यह है कि फाइव इयर प्लान में टेक्नीकल मीन्स को मीट–विथ करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ की ट्रेनिंग की व्यवस्था के बारे में है। मैं मानता हूँ कि हमारे प्लान के एग्ज़ीक्यूशन में जो डिले होती है वह सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से नहीं होती है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि डिले तो इसलिए होती है कि रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स–अप नहीं कर पाते हैं। भाखरा का चेम्बर टूट गया किसी के ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स–अप नहीं हुई, चम्बल में शीटपाइल बेकार हो गई, उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स–अप नहीं कर पाये। आज किसी डिपार्टमेंट में लौस होता है या कोई रोग पर्चेज़ हो जाती है, किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है, तो किसी के ऊपर भी रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप नहीं कर पाते है। You will find that it is very difficult, almost impossible to fix up responsibility. आज जिस काम के लिये कहें कि इतना काम होना चाहिये, इतनी रोड्स बननी चाहिये, लेकिन नहीं बनीं, किसको गलती से नहीं बनीं, यह फिक्स-अप नहीं कर पाते। जहां गवर्नमेंट मशीनरी इस प्रकार की हो कि वह किसी व्यक्ति विशेष पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप नहीं कर पाती तो वह मशीनरी किस काम की ? यदि रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप नहीं कर पाते तो why should I put my best ? Why should I try to do the job within the fixed time? वह ढिलाई ह्यूमन नेचर में है, ऑटोमेटिकली आ जाती है।

थर्ड फाइव इयर प्लान को प्रोपरली और एफिशियेन्टली एग्ज़ीक्यूट करना चाहें तो उसके लिये ट्रेनिंग फेसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप करने का तरीका हमको निकालना चाहिये, यदि नहीं निकाल पायेंगे तो सेकन्ड फाइव इयर प्लान में जो दिक्कत आई है वही थर्ड फाइव इयर प्लान में आयेगी।

28/2/61

(श्री पी. के. चौधरी)

अब सभापति महोदय, रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप करने में नहीं आती है, इसकी एक छोटी सी मिसाल बता दूं। भाषण में भी इसका जिक्र है। फोडर स्केयरसिटी इस समय हमारे यहां है। इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास तब आती है जब कैटल का काफी माइग्रेशन हो जाता है। यह रिपोर्ट फोडर स्केयरसिटी के साथ साथ आनी चाहिये थी, लेकिन काफी लोगों को तकलीफ होने के बाद आती है, काफी मवेशी के माइग्रेट होने के बाद आती है। इसके लिये यदि किसी पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप करना हो तो किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर या एस. डी. ओ. पर रेस्पोन्सिबिलिटी आती है, इसको टेक अप कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की मशीनरी ऐसी नहीं है कि किसी पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप कर सके। कागजों की फायल आती है तो उसको फाइल कर देते हैं और कह देते हैं कि no body has been found responsible. यदि रेस्पोन्सिबिलिटी किसी पर डालते हैं तो किसी चपरासी या बाबू पर डाल देते हैं। तो smallest man in the ladder is found respousible, but not the higher-up. हायर ऑफिसर्स पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ?

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : चेयरमैन महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करती हुई अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहती हूँ।

मैं मानती हूँ कि पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में चहुंमुखी विकास हुआ है, जीवन के हर क्षेत्र में राजस्थान ने प्रगति की है। कई मध्यम सिंचाई योजनाएं और एक बड़ी सिंचाई योजना चंबल बैरेज की पूर्ण हो चुकी हैं, उनसे सिंचाई का काम शुरू हो चुका है। हमको मानना होगा कि शिक्षा, उद्योग, सिंचाई सभी क्षेत्रों में हमने प्रगति की है। एक तरफ दिल बहुत खुश होता है कि विकास हो रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं पूर्ण हो रही हैं, लेकिन इन योजनाओं के साथ मुझे वह बात याद आती है जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था। काफी जगहों पर सिंचाई की योजनाएं पूरी हुई हैं लेकिन झुंझुनू जिले की सिंचाई की योजना की ओर ख्याल भी नहीं किया गया है। मैं यह जानती हूँ कि वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था कि वहां पर ट्यूब वेल्स खोदे जायं, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने इस तरफ कोई ख्याल नहीं किया और परीक्षण के तौर पर भी एक वेल भी नहीं खोदा।

जहां तक कृषि का सवाल है, हमारा जो उत्पादन का लक्ष्य था उस टार्गेट को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते पूरा कर लेंगे, बल्कि आगे बढ़ जायेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ सहकारिता को हमारे जीवन की प्रणाली बनाना होगा, जीवन का मूल मंत्र बनाना होगा, क्योंकि समाजवादी समाज की बात जो हम करते है वह बिना सहकारिता के संभव नहीं है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया राज्य सरकार की गारन्टी पर सहकारी समितियों को लोन देती है लेकिन वह लोन समय पर नहीं मिलता। मई–जून में मिलना चाहिये, लेकिन कई दफा तो अक्टूबर या

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

नवम्बर में मिलता है, इसलिये किसान लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। इसमें दूसरी कमी यह है कि लोन देते समय लोगों को यह नहीं बताया जाता कि तुमको लोन वापिस देना पड़ेगा। इसका नतीजा यह होता है कि ओवर ड्यूज़ हो जाते हैं और ये ओवर ड्यूज़ इतने बढ़ गये है कि कई जिलों को रिजर्व बैंक ने लोन देना बन्द कर दिया है। इन सहकारी समितियों को लोन केश में नहीं मिलना चाहिये, बल्कि काइन्ड में मिलना चाहिये। यदि उनको सीड या खाद की आवश्यकता हो तो सीड या खाद ही मिलना चाहिये ताकि पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। इसी प्रकार का लोन वापिस दें तब भी काइन्ड में देना चाहिये ताकि किसानों को अनाज बेचने की तकलीफ नहीं उठानी पड़े। साथ ही साथ जितने कस्बे एक जिले में हैं उन सब में वेयर हाउसेज़ स्थापित करने चाहिये, जहां पर कि किसान अपना अनाज सुरक्षित रख सके और उसके साथ ही साथ अच्छे भाव की इन्तजारी कर सके और जब बाजार में अच्छा भाव हो उस समय अनाज बेच सके।

एक बात और है। सहकारी समितियां जिस तेजी से बनाई जा रही हैं उसी तेजी से लिक्वीडेशन का नजारा भी बढ़ रहा है। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और कई जगह एम्बेज़लमेन्ट होता है। सहकारी विभाग कुछ करने को सोचता भी है तो वहां पर पुलिस विभाग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि एक सहकारी समिति के पदाधिकारी ने समिति के रुपये उड़ाये और सहकारी विभाग के सामने उन्होंने स्पष्ट तौर से मंजूर किया कि अमुक समय में रुपये वापिस लौटा दूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने अदम वकुआ कह कर मामला खारिज कर दिया। इससे यह मानना पड़ेगा कि या तो राजस्थान पुलिस व्यक्ति विशेष से डरती है या उस पर मेहरबान है।

हाथ–कर्घा और खादी–उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार ने जो दिलचस्पी लेकर प्रगति की है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ।

टैक्निकल शिक्षा में भी तरक्की की है, उसके लिये भी काफी संतोष है ?

सड़कों के कार्य में पहली पंचवर्षीय योजना में काफी तरक्की हुई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। लेकिन एक बात जो मैं सदन में जरूर कहना चाहती हूँ और वह यह है कि जहां सड़कें बन जाती हैं वहां उनकी मेन्टीनेन्स नहीं की जाती। जयपुर से जो सड़क नीम का थाना होती हुई झुन्झुनू तक जाती है उसकी ऐसी हालत है कि यदि मन्त्री जी को वहां जाना पड़े तो उनको पता लगेगा कि उसमें एक एक हाथ के गड्ढे हैं। इसके साथ ही बड़े दुःख के साथ मुझे आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे इसलिये कि १९४७ से अब तक झुन्झुनूं जिले में कुल २३८ मील सड़क बनी हैं जब कि उदयपुर जिले में १९९८ मील बनी है और जोधपुर में १०२९ मील बनी हैं। मैं यह भी मान लूं कि ये जिले झुन्झुनूं से बड़े हैं। लेकिन जो जिले झुन्झुनूं से

Page No.93

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

आबादी और क्षेत्रफल में छोटे हैं उनमें भी; जैसे बूंदी में ५०१ मील सड़क बनी है, डूंगरपुर में ३६८ मील और टोंक में ३३८ मील सड़क बनी है....

श्री परसराम (आसीन) : जोधपुर में मरम्मत हुई है, आपको शायद गलतफहमी हुई है।

श्रीमती सुमित्रा देवी : राजस्थान की बेसिक स्टेटिस्टिक्स १९६० की है, उसमें मैं आपको बता सकती हूँ। आप उसको देख लें।

श्री सभापति (श्री विशंभरनाथ जोशी):

(अश्रव्य)

श्रीमती सुमित्रा देवी : मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार को कम से कम इस प्रकार से जिलों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिये।

(४ म० प०)

चेयरमैन महोदय, राज्यपाल महोदय ने लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण पर बड़ा संतोष प्रकट किया है। वास्तव में इस दिशा में राजस्थान ने समस्त भारत के प्रान्तों का मार्ग-दर्शन किया है इसलिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु हाल ही में हुए पंचायत चुनावों से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम पर भोले, निर्दोष और अबोध ग्रामीणों के साथ एक मखौल किया गया है। चुनाव अधिकारियों ने जिस प्रकार मनमाने ढंग से मनोनयन–पत्रों को खारिज किया है उसका एक उदाहरण बतलाना चाहती हूँ। पोलिंग पार्टीज ने बैलट–पत्र लेकर चुनाव चिन्ह अंकित कर दिये और बैलट बॉक्स में डाल दिये। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि भांवता गांव कुचामन सिटी की पंचायत समिति में है, जहां पर एक आदमी गंगाराम है, उसने सरपंच का मनोनयन–पत्र भर कर दिया। उसको यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वह लंगड़ा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब लंगड़ा व्यक्ति राज्य की सेवा में नियुक्त हो सकता है, लंगड़ा व्यक्ति एम. एल. ए. बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, तो वह सरपंच क्यों नहीं बन सकता है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): मंत्री बन सकता है।

श्रीमती सुमित्रा देवी : चेयरमैन महोदय, विधि एवं न्याय की व्यवस्था पर राज्यपाल महोदय ने संतोष प्रगट किया है। मैं स्वयं मानती हूँ कि कुछ डाकू दलों का सफाया हुआ है, कुछ डाकुओं को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ ने आत्मसमर्पण भी किया है। चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि पिछले नौ महीनों के अन्दर झुंझुनूं जिले में, जिसकी मुझे जानकारी है, १९ हत्यायें हुई हैं। एक जिले में नौ महीने के समय में एक साथ १९ हत्यायें होना इस बात का सूचक है कि हमारी पुलिस इनएफीशियेंट और इनएक्टिव है। एक केस में कातिल ने एक साथ १४ हत्यायें कर दीं और जिस मामले में १४ व्यक्तियों की निर्मम हत्यायें की हैं उसका पता लगाने की सरकार ने कोशिश नहीं की।

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

हम चाहते हैं और जनता यह मांग करती है कि इस केस में जुडिशियल एन्क्वायरी बैठाई जाय, जिससे मूल कारण का पता लगे, मूल तह तक पहुँचा जा सके कि उस आदमी ने एक साथ १४ आदमियों की निर्मम हत्या आखिर क्यों की ?

चेयरमैन महोदय, अकाल सहायता का कार्य तथा राजस्व वसूली का काम जब तक पंचायतों को नहीं सौंपा जाता है तब तक सही मायने में पंचायत राज्य कायम नहीं हो सकता है।

चेयरमैन महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बड़े गर्व के साथ यह कहा है कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना लोक स्तर पर निर्मित की गई है। परन्तु मैं बड़े विनम्र शब्दों में सच्चाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और वह यह है कि योजना बन जाने के बाद केवल लोक स्तर पर राय मांगी गई थी और जो राय अथवा सुझाव दिये गये उनमें से एक को भी योजना में शामिल नहीं किया गया।

चेयरमैन महोदय, सरकार के इस निर्णय के लिए राज्य सरकार को बधाई देना चाहती हूँ जिसमें राज्य के टैक्निकल, वैज्ञानिक, व्यावसायिक सेवाओं तथा महत्वपूर्ण अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को १५०) रु०, १००) रु० और ५०) रु० विशेष योग्यता वेतन देने का निर्णय लिया गया है।

चेयरमैन महोदय, भाखरा से जो बिजली हमको १९५६ में मिल जानी चाहिये थी वह राज्य सरकार की सुस्ती और ढिलाई के कारण चार साल बाद यानी १९६० में हमको प्राप्त हो सकी। बड़े दुःख की बात है कि झुंझुनू जिले को कतिपय सड़कों और कस्बों में यह रोशनी जरूर हो गई है, लेकिन आज तक गांवों के अन्दर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बिजली की एक यूनिट भी नहीं दी गई है। झुंझुनू के कलेक्टर, एस. पी. आदि के बंगले रोशनी से जगमगाने लग गये हैं, लेकिन कृषि के लिए बार बार बिजली मांगने के बावजूद भी एक यूनिट न दिया जाना इस बात का द्योतक है कि हम समाजवाद का नारा झूठा लगाते हैं। गतवर्ष जब मंत्रि-मंडल की बैठक झुंझुनू में हुई थी तब राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जो बिजली की लाइन पिलानी से झुंझुनू आयेगी उसमें सड़क के पास जितने भी कुंए पड़ते हैं उनको प्रयोग के रूप में बिजली दी जायगी। परन्तु बार बार उनकी मांग आने के बाद भी उनको बिजली नहीं दी गई। मुझे कोई एतराज नहीं इस बात से कि सरकार अपने कर्मचारियों को आवास गृहों पर उनके लिए एश और आराम के साधन जुटाये, बिजली से उनके आवास गृहों पर चाहे रोजाना दिवाली मनाई जाये, परन्तु जो मेहनतकश किसान हैं, जो उत्पादन बढ़ाने के लिये, देश को समृद्ध बनाने के लिए कठोर परिश्रम करके रात–दिन पृथ्वी का पेट फाड़ते हैं, उन किसानों को बिजली न देना कहां तक उचित है ?

चेयरमैन महोदय, मैं एक बार पुनः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करती हूँ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : चेयरमैन महोदय........

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल ।

श्री किशनाराम : अच्छा ।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु०) : माननीय सभापति महोदय, श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वादविवाद के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसके विरोध में मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर तीसरे पैरे में कहा है कि हमारे राजस्थान के अन्दर ८० प्रतिशत काश्तकार अपना जीवन निर्वाह पशु-पालन और खेती से करते हैं। यह बिल्कुल सही है, लेकिन जो बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के मुतल्लिक कही है कि हमने सिंचाई और कृषि में सिंचाई के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा किया है, मैं तो उसको सही न मान कर यह कहूँगा कि राज्यपाल महोदय ने अपना यह भाषण हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ही रखा है। सिंचाई के लिये मैं निवेदन करूं, मैं जयपुर जिले के लिए कह रहा हूँ, कि यहां सिंचाई के लिए सैकड फाइव इयर प्लान में राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य हुए हैं वे आपके सामने हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूँ सदन को, सभापति महोदय, आपके द्वारा कि सिंचाई के लिए कौन सा नया बांध या तालाब यहां जयपुर जिले के अन्दर बनाया गया है। मैं लालसोट का ही उदाहरण देता हूँ, वहां एक मोरेल का बांध बना हुआ है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसका पानी उसी बांध के अन्दर पड़ा रहता है। माननीय सभापति महोदय, यह देखियेगा कि उस पानी को अगर किसी सिंचाई के काम में लिया जाय तो राज्य सरकार को भी उससे काफी इन्कम हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार न जाने क्यों नहीं सोचती है कि मोरेल बांध से नहर निकाली जाय और उसके पानी का उपयोग किया जाय। बांध का पानी लेवल के ऊपर आ जाने से किसानों के कच्चे झोंपे में पानी ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से वे गिर जाते हैं और नये नये झोंपे उनको प्रत्येक वर्ष खोदने पड़ते हैं। मैं निवेदन करूं कि सरकार इस बांध के पानी का उपयोग करे तो काफी इन्कम भी हो सकती है और काश्तकारों का काफी भला हो सकता है।

दूसरे निवेदन में मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक राहूवास बांध है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस बांध को राज्य सरकार ने बना कर क्या किया ? उसमें से कितना पानी सिंचाई के लिये लिया गया; कितनी सिंचाई हुई, क्या इन्कम हुई और कितने काश्तकारों को पानी उस बांध से दिया ? मैं राज्य सरकार से पूछता हूँ कि उसके अन्दर राज्य सरकार का कितना रुपया लगा तथा सरकार को उस धन-राशि का क्या लाभ हुआ ?

तीसरा यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहां सिर्फ सिंचाई के लिए जयपुर जिले में जमुआ रामगढ़ का बांध है, उसके अलावा कोई बांध नहीं है। उसके लिये राज्य सरकार के सामने यह विचार-धारा आती जा रही है कि उसका पानी जयपुर शहर को दिया जाय। सिंचाई के लिए तहसील दौसा के गांवों को तथा जमुआ रामगढ़ के गांवों को पानी मिलता है, उसको बन्द कर दिया जाय। मैं आपके जरिये, सभापति महोदय,

(श्री नाथूलाल करोल)

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर उस बांध का पानी देना अगली साल से बन्द कर दिया गया तो राज्य सरकार को कितना घाटा होगा तथा कितने काश्तकारों को उससे नुकसान होगा, इसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। अगर राज्य सरकार बांध का पानी काश्तकारों को न देकर जयपुर शहर के लिए देने का विचार रखती है तो किसानों के लिए ट्यूब वैल बना कर सिंचाई के साधन जुटाने चाहिये और उनकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिये।

मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सैकन्ड फाइव इयर प्लान में जयपुर जिले की सिंचाई के लिये कौनसा बांध बना, जिसके लिये (सिंचाई के लिये) राज्यपाल महोदय ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि सिंचाई के बारे में हमने बहुत कुछ किया है ? तीन साल पहले चाकसू तहसील में श्यामपुरा बांध के लिये तय हुआ; सर्वे, नक्शे वगैरह सारी कार्यवाही सरकार की ओर से हो गई पर सरकार के दिमाग में न मालूम क्या आ रहा है कि तीन साल से अभी तक उसको नहीं बना रही है। तहसील लालसोट के रोहवास बांध को बनाया, उसका पानी सिंचाई के लिये कहीं नहीं ले गये। फिर श्यामपुरा बांध बांधने में सरकार को क्यों हिचकिचाहट है जब कि उससे सिंचाई काफी हो सकती है और उसका रिटर्न भी ठीक बैठता है ?

तो माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो यह धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध किया जाय, वे धन्यवाद के पात्र नहीं हैं।

अब सिंचाई के अलावा दूसरी और बात के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि पशु-पालन के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि पशुपालन में पशुओं की बीमारियों को रोकने का प्रयत्न किया गया है और कई बीमारियों के इलाज निकाले हैं। पर मैं कहता हूँ कि भेड़ों में जो बीमारी फैली हुई है उसके लिये सरकार ने कुछ नहीं किया है। भेड़ों में एक इस प्रकार की बीमारी होती है कि जब वे हरा चारा चरती हैं तो उनके गले में हरा चारा उलझ जाता है और इसका भयंकर परिणाम यह होता है कि अगर किसी काश्तकार के पास १०० भेड़ें हैं तो उनमें से ७५ प्रतिशत भेड़ें मर जाती हैं। इस बीमारी के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और पशु पालन विभाग के अधिकारियों को कई बार कहा है पर अभी तक भेड़ों की बीमारी पर सरकार ने कोई काबू नहीं पाया है।

तीसरी बात है सहकारिता की, सहकारिता के बारे में मैं यह जरूर कहूँगा कि सहकारिता में प्रगति हुई है और मैं यह मानता हूँ कि दिन पर दिन सहकारिता उन्नति पर है। लेकिन एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लार्ज सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनके बारे में मैं यह समझता हूँ कि उन्हें सेवा सहकारिता में बदल दिया जाय पर सहायक रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि यह हमारे नियमों के अनुसार नहीं है। उचित तो यही होगा कि ४ पंचायतों की लार्ज सोसाइटी है तो उसको

(श्री नाथूलाल करोल)

४ हिस्सों में बांट दिया जाय और जो उन पर कर्ज है वह कर्ज प्रत्येक पंचायत अपना अपना चुकाने की कोशिश करें और इस तरह उनको सेवा सहकारी समितियों में परिणत कर दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कर सकते हैं।

श्री नाथूलाल करोल : सहायक रजिस्ट्रार साहब को पूछा तो वे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : कर सकते हैं।

श्री नाथूलाल करोल : तब तो बड़ी खुशी की बात है।

राज्यपाल महोदय ने बताया कि पुलिस ने बहुत अच्छे काम किये हैं, डाकुओं का खात्मा कर दिया है, कई डकैतों को मारा है कइयों का सफाया किया है; पर मैं कहता हूँ कि आज आये दिन छोटी चोरियां होती हैं, कहीं ताला तोड़ कर ५,०००) रु० ले गये तो कहीं ताला तोड़ कर १०,०००) रुपया ले गये, इनके सम्बन्ध में क्या इन्तजाम किया है? पुलिस वाले बराबर मिल कर चोरियां करवाते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। सांगानेर यहां से ८ मील पर ही है। वहां १० दिन में १५ ताले टूटे हैं। इसके लिये क्या इन्तजाम किया है? जो इन्तजाम करने वाले हैं उनसे कहते हैं तो जवाब देते हैं कि तफतीश कर रहे हैं जांच कर रहे हैं। पर चोरियों का कोई पता नहीं चलता। डाकुओं को तो मार दिया पर चोरियों के मुतल्लिक सरकार ध्यान नहीं देती। इसलिये मैं कहूँगा कि पुलिस का जो काम हो रहा है वह ठीक तरह से नहीं हो रहा है और जो पुलिस का रवैया है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिये मैं तो कहूँगा कि राज्यपाल महोदय बिल्कुल धन्यवाद के पात्र नहीं हैं।

राजस्थान सरकार ने डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन चलाया है। यहां, मैं तो यही कहूँगा कि यह डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन चलने का नहीं क्योंकि पंचायत समितियों के मुतल्लिक मेरी यह राय है कि मैं दो–तीन पंचायत समितियों (चाकसू, लालसोट और सांगानेर) का असोसियेटेड सदस्य हूँ, सांगानेर में पहले तो आपस में लड़ाइयां चलती रहीं, आपस में मनमुटाव चलता रहा। एक साल के अर्से में कुछ भी काम नहीं हुआ, एक भी काम पूर्ण नहीं हुआ; तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह राज्य सरकार का पैसा क्यों फालतू ही पानी की तरह बहाया जाता है, जब कि इसका कोई भी उपयोग नहीं है?

चाकसू के अन्दर भी साल भर से पंचायत समिति काम कर रही है, वहां लड़ाई–झगड़ा तो नहीं हुआ, पर वहां क्या हुआ कि अभी हाल ही में ऑडिट हुआ है, ऑडिट की रिपोर्ट देखें तो वहां का घोटाला राजस्थान सरकार के सामने आ जायगा कि वहां कितना घोटाला हुआ है। राजस्थान सरकार ऑडिट करवाते समय यह भी तो ध्यान में रखे कि कुआं, बेरियों और नाडियों के बनाने में तकावियां दी जाती हैं तो इस पैसे का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। काम एक भी पूर्ण नहीं होता है। पहले तहसील डेवलपमेंट

(श्री नाथूलाल करोल

कमेटियां थीं। उस समय कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में डांटता था और काम चाहता था, पर अब कोई कहने वाला नहीं है, काम बिल्कुल बन्द है। उस वक्त जिलाधीश कहते थे कि काम नहीं किया, पैसा नहीं मिलेगा, पर अब तो कोई पूछने वाला नहीं है बिल्कुल वही हो रहा है :

"अन्धेर नगरी अनबूझ राजा,
टके सेर भाजी टके सेर खाजा।"

यह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन है। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सरकार कामयाब नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, जो हाल है वह यह है कि पंचायतों के हाल ही में इलेक्शन्स हुए। उसमें इतनी बुरी तरह से पक्षपात किया गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से ऐसे चुनाव अधिकारी भेजे गये जिन्होंने यहां तक किया कि जो कोई भी सत्तारूढ़ दल के विरोध में खड़ा हुआ था और उसने कोई भी यदि शिकायत की तो उसका ध्यान नहीं दिया, शिकायतें नहीं सुनी और मनमानी की। जैसे मान लें कि पोलिंग चल रहा है। लोग शिकायत करते हैं कि वोटरों के साथ ज्यादती की जाती है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। करते क्या हैं कि जो लोग वोट देने के लिये जाते हैं उनके पीछे चपरासी को भेज देते हैं, जो वोटर का पीछा करता है और देखता है कि वह निशान किस निशान पर लगाता है। यह चीज़ तो बहुत गलत है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इलेक्शन निष्पक्ष रूप से क्यों नहीं कराये जावें? चुनावों में भी पक्षपात क्यों किया जाता है? चुनाव निष्पक्ष होना बहुत जरूरी चीज़ है।

अब माननीय सभापति महोदय, मैं सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत ढिलाई बरती गई है। आज ५ साल से चाकसू-कोटखावदा की सड़क की मंजूरी हो चुकी है मगर अभी तक वह नहीं पूरी हो सकती है। अब यह सड़क तीसरी पंचवर्षीय योजना में बने तो बने। इसमें भी अगर राज्य सरकार बनाना चाहेगी तो बनेगी। इसके अलावा एक सड़क और है जो फागी से चाकसू को आती है। २ या २॥ मील का टुकड़ा है। मगर अभी तक वह भी पूरा नहीं हो पाया है। इसलिये मैं तो यह कहूँगा कि राज्यपाल महोदय धन्यवाद के पात्र नहीं हो सकते।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होकर तीसरी पंचवर्षीय योजना सामने आ रही है, उसमें जो कार्य किया जावेगा उसमें तो आशा करते हैं कि निष्पक्ष होकर जनता का उपकार किया जावे तो सबसे अच्छी बात होगी।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन के सामने दिया है और उसके लिये ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। राज्यपाल महोदय का यह भाषण राजस्थान

(श्री सम्पतराज जैन)

सरकार की दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक प्रकार से लेखा–जोखा है। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है तो यह लेखा–जोखा उनको रखना ही चाहिये था। असल में राज्यपाल महोदय ने कुछ कामयाबियों का वर्णन इसमें किया है और वास्तव में वे कामयाबियां राजस्थान सरकार को मिली हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखें तो आपको मालूम होगा कि यह बात ठीक है। भूमि–सुधार में देखें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान में भूमि सुधार में काफी सुधार हुआ है और कई कानून जनता के हित के लिये बनाये गये हैं जिससे मध्यम वर्ग को सहूलियतें मिली हैं और इस तरह से खेती और जमीन उसके असली मालिक को सौंप दी है जो खुद काश्त करता है।

इसके साथ साथ शिक्षा की ओर देखें तो राजस्थान सरकार ने आशातीत उन्नति की है। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है और हम उस पर गर्व कर सकते हैं कि राजस्थान इसमें अग्रगणी रहेगा।

इसी तरह से विकेन्द्रीकरण का प्रयोग आन्ध्र और राजस्थान सरकार ने ही सबसे पहले शुरू किया और वे ही बधाई के पात्र हैं। इसमें राजस्थान सरकार को कामयाबी मिली है। उसका वर्णन इस भाषण में है और इसके लिये अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा, मगर कुछ बातों की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आपके जरिये आकर्षित करना चाहूँगा। कृषि के मामलों में निश्चित ही हमने तरक्की की है और पैदावार भी बढ़ाई है और जो आंकड़े राज्य सरकार ने दिये हैं उतनी पैदावार नहीं बढ़ी है, फिर भी निश्चित तौर से पैदावार बढ़ी है। फिर भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि किसी भी राज्य की खुशहाली के लिये कृषि और उद्योग को बढ़ाना जरूरी है। इससे देश की बेकारी दूर होती है और देश की खुशहाली बढ़ती है। इसलिये इन दोनों पर जोर नहीं दें, तो देश की उन्नति, जितनी करना चाहते हैं नहीं हो सकती है। इसलिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर जोर देना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि वे कौनसी बातें हैं जो कृषि के मामले में करनी चाहिये। आज राजस्थान में कोटा डिविज़न है, उसमें काफी जमीन काबिल काश्त पड़ी हुई है। मैं सदन का ध्यान आपके जरिये उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर समय समय पर दिलाता रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर कुछ किया जाता तो लोगों को बहुतसी जमीनें काश्त के लिये मिल सकती थीं। मगर यह मामला अभी तक विभागीय झगड़ों में अटका हुआ है। इसलिये इस अड़चन को दूर किया जावे। मामला क्यों अटका हुआ है ? मैं यह कहूँगा कि वह जमीन काबिल काश्त थी। लोग काश्त करते थे, मगर बाद में अकाल हो जाने के कारण वहां की जनसंख्या कम हो गई और वह भाग जंगलात को दे दिया गया। आज फोरेस्ट विभाग उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। यह करीब ३० तथा ५० हजार बीघा एरिया होगा। झालावाड़ में भी २० हजार बीघा जमीन पड़ी हुई है। ४०–५० हजार बीघा जमीन पड़ी रहे और वह सिर्फ फोरेस्ट–रेवेन्यू विभाग के

(श्री सम्पतराज जैन)

अधिकारियों के झगड़े में ही पड़ी रहे और फोरेस्ट मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर या राजस्व सचिव या अन्य कोई अधिकारी उसको ठीक नहीं कर सकता है तो हमारे लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर इस तरह से चलता रहा तो हम लाखों टन उपज से महरूम रह जावेंगे। जितनी सुस्ती हमारे यहां की जाती है, बाहर दूसरे देशों में इतनी सुस्ती नहीं की जाती है। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान नवभारत टाइम्स की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें रूस में श्री ख्रुश्चेव ने कृषि मंत्री द्वारा की गई सुस्ती के बारे में क्या किया, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। कृषि के मामलों में एम० एल० एज़० ने सिफारिश भेजी, मगर उस पर काफी समय तक अमल नहीं हुआ। इस पर प्रश्न पूछा गया कि कृषि मंत्री ने उनकी सिफारिशों पर अमल किया है या नहीं? इस पर श्री ख्रुश्चेव ने पूछा कि आपने कब सिफारिशें भेजी थीं तो एम० एल० एज़० ने बताया कि उन्होंने जुलाई-अगस्त में भेजी थीं। उस रिपोर्ट को पेश होने में ६ या ७ महीने का समय लग गया। जब श्रीख्रुश्चेव ने कृषि मंत्री से पूछा कि आपने रिपोर्ट कब पेश की तो उन्होंने बताया कि फरवरी–मार्च में कृषि मंत्री को ६ या ७ महीने लग जाते हैं रिपोर्ट पेश करने में। इस सुस्ती के लिये श्री ख्रुश्चेव ने क्या किया, उससे सब को सबक लेना चाहिये। श्रीख्रुश्चेव ने कृषि मंत्री को पद–च्युत करके साइबेरिया भेज दिया।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): कोरम मिनिस्टर को बुलाओ।

श्री सम्पतराज जैन : इतनी सी गलती पर रूस में कृषि मंत्री को पद–च्युत करके साइबेरिया भेज दिया। इससे हमारी सरकार को सबक लेना चाहिये। हमारे यहां ये जमीन के मामले जिससे पैदावार बढ़ सकती है रेवेन्यू और फोरेस्ट अधिकारियों के बीच में इतने लम्बे अर्से से अटके हुए हैं। मैं समझता हूँ कि....

एक माननीय सदस्य : उनको काले पानी भेज दिया जावे।

एक अन्य माननीय सदस्य : काले पानी तो किसी के काम ऐसे होंगे तो अपने आप चले जावेंगे।

श्री सम्पतराज जैन : मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जैसी स्थिति आज हमारे यहां राजस्थान में है उससे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम रूस और चीन की बातें करते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं की बातें करते हैं। अगर हमको उन्नति करनी है तो हमें ढिलाई और लापरवाही को दूर करना होगा। यह समाचार आज के नवभारत टाइम्स में है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह आप राजस्थान के ख्रुश्चेव को भेज दें।

श्री सभापति : No direct references please.

श्री सम्पतराज जैन : मैं यह निवेदन

(श्री सम्पतराज जैन)

करूंगा कि बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं राजस्थान सरकार चला रही हैं, मगर आज तक कोई घोषित नीति नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, दूसरी भी समाप्त हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। मैं समझता हूँ कि जो कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में रह गये थे वे दूसरी पंचवर्षीय योजना से भी समाप्त नहीं हुए और मैं समझता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी पूरे नहीं होंगे। मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड़ में दो मध्यम वर्ग के बांध भीमसागर और कालीसिंध दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए। दूसरी योजना में पूरे नहीं हुए और मैं समझता हूँ कि अब तीसरी योजना में पूरे होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब लाखों रुपये खर्च होते हैं और पैदावार नहीं बढ़ती तो फिर उस सिंचाई योजना से क्या फायदा ? अगर सरकार इसके बजाय, मध्यम् और बड़ी सिंचाई योजनाओं के अलावा, छोटी छोटी सिंचाई योजनायें बनाती, छोटे छोटे बांध बनाती, लाख-पचास हजार रुपयों के छोटे छोटे बांध बनाती और कुंए बनाना तो दूर रहा लेकिन यदि कुंए बनाने के लिए लोन भी पूरी तरह से किसानों को दे देती तो किस प्रकार से हमारे प्रदेश की अधिक पैदावार बढ़ सकती थी और उससे कृषकों की भी बेकारी दूर होती, साथ ही साथ सरकार को लगान की भी अधिक आमदनी होती।

पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी सरकार ने कुंओं की उपेक्षा की। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है और यदि कुंओं की अब भी उपेक्षा की गई और काश्तकारों को पर्याप्त लोन नहीं दिया गया क्योंकि एक–दो महीनों में ही काश्तकार कुंआ तैयार कर लेते हैं जिनसे सिंचाई होकर प्रदेश का उत्पादन भी बढ़ सकता है, तो हम इससे भी महरूम रह जावेंगे। मैं यह नहीं कहता कि कुंओं के लिए छोटी सिंचाई के लिए लोन दिया ही नहीं गया हो, ऐसा नहीं है। लोन दिया है पहली पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, लेकिन वह इतना कम था कि जिससे पूरा नहीं पड़ सका। इससे राजस्थान को आज यह स्थिति भुगतनी पड़ रही है। सिंचाई योजनाओं में लाखों रुपया लगाते हैं जब कि इसमें पर्याप्त रूप से लोगों को लोन मिले और इन सिंचाई योजनाओं की ओर सरकार की पूरी चेष्टा और तवज्जोह हो तो काफी पैदावार बढ़ सकती है। यह नहीं है कि यह लोन बेकार जाता है, यह तो उल्टा अधिक कारगर होता है। किश्तों से लोन वापिस मय ब्याज के शीघ्र ही वसूल हो जाता है और इसका फायदा भी अधिक से अधिक और शीघ्र ही देश को मिलने लगता है। जब इनके द्वारा जमीनों की सिंचाई शुरु होती है तो उससे लगान की दर बढ़ा कर आप अधिक आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। जब सिंचाई होने लगे तो ४),५), व ६) रु०) बीघा के हिसाब से आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमको आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुंओं की उपेक्षा नहीं की जावेगी और काश्तकारों को लोन नहीं मिला है या मिल रहा है, इस प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यह तो सरकार को आगे बढ़ कर कहना चाहिये कि कुंए खोदिये; सरकार लोन, पैसा देने के लिए तैयार है। कोटा डिविजन के लिए तो यह सरकार का सरासर

(श्री सम्पतराज जैन)

अन्याय है कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए, कुओं के लिए पैसा नहीं दिया गया ।

खेती के सुधरे तरीकों के लिए भी कहा गया। कागजों में ये जरूर रहे होंगे । जनता तक नहीं पहुंचे हैं । आम तौर पर ये काश्तकारों के पास नहीं पहुंचे हैं और उनका पहुंचना नितान्त आवश्यक है । मैं आपको एक बात बताऊं कि नदियों में बड़े बड़े देह मौजूद हैं, कोटा डिविजन में और अन्य डिविजनों में हैं । उनमें करोड़ों घनफीट पानी पड़ा हुआ है । उनका किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं होता है । यदि नदियों के किनारों पर सिंचाई कराई जाय तो उससे हमारे यहां की पैदावार में भी काफी वृद्धि हो सकती हैं । लेकिन इस ओर सरकार का खयाल नहीं है और तीन–चार हजार फीट नीचे से पानी निकाल कर सरकार सिंचाई कराना चाहती है । यह महज गलती है । जब यह मसला राजस्थान सरकार के सामने लाया गया तो कहा गया कि यह तो आप लोग जनता के लोगों से ही कराइये । जो काम राजस्थान सरकार के करने के होते हैं वे तो वह जनता पर डाल देती है । यदि सरकार उस पानी का उपयोग कराये तो तीन–चार हजार फीट नीचे से पानी निकाल कर सिंचाई करने का खर्चा है। उसके खर्चे के मुकाबले में यह बिल्कुल भी नोमिनल होगा और इससे हजारों बीघा जमीन को सिंचाई आसानी से हो सकेगी । उससे राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी ।

पम्पिंग सेट के लिए लाखों रुपया काश्तकार मांगते हैं लेकिन पूरा नहीं पड़ता । मैं यह इसलिए जोर दे रहा हूँ कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाना हमारे यहां अत्यावश्यक है । हमारे प्रिय नेता जवाहरलालजी नेहरू कहते हैं कि हमारे देश की तरक्की के लिए यह अत्यावश्यक है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय और देश में उद्योगों को तेजी से बढ़ाया जाय । इन दोनों के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती । राजस्थान सरकार इसको तरजीह नहीं देती है और इस प्रश्न को टालती रहती है और चलाती रहती है । इस तरह से काम नहीं चलने वाला है । मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देगी और पर्याप्त लोन कुओं और इन छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए देगी ।

अब मैं सहकारिता के लिए निवेदन करूंगा । यह कहा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के सम्बन्ध में हमने तरक्की की, काफी रुपया काश्तकारों को दिया गया; लेकिन आज जो राजस्थान में सहकारी समितियों की संस्थाओं की स्थिति है उसका नजर–अन्दाज नहीं किया जा सकता । मि० आयंगर हैं, उन्होंने भी विदर्भ सहकारी समिति का उद्घाटन करते हुए कहा कि १४ सहकारी समितियां तो (क) और (ख) श्रेणी में हैं, ६४ (ग) और (घ) श्रेणी में चली गई हैं और बाकी जो सहकारी समितियां हैं उनका पैसा डूबत में रहेगा । आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे जरूर देखना चाहिये । सहकारी समितियां की क्या स्थिति हो रही है ? पैसा लेकर बैठ गई हैं और वापिस वसूली नहीं हो रही है । पंचायत और पंचायत समितियों के जरिये वोट लेने जावेंगे । पैसा आखिर किसी प्रकार से उनसे वसूल तो करना

(श्री सम्पतराज जैन)

होगा । सख्ती करेंगे, किसी की जायदाद से वसूल करेंगे, मैं समझता हूँ कि इससे सहकारी आन्दोलन फैल नहीं होगा, यदि यह अन्देशा हो कि इस प्रकार करने से सहकारी आन्दोलन फेल हो जायगा । आज कई बैंकों का पैसा वसूल न होने से स्थिति डांवाडोल हो गई है, कई नई सहकारी समितियां बन गई हैं । पुरानों से रुपया वसूल नहीं हो रहा है । सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक को एपेक्स बैंक से कर्जा नहीं मिल रहा है क्योंकि साख में थोड़ा बट्टा लगा है । ऐसी स्थिति में इसके मूल में क्या खराबी है, यह हमको देखना होगा । आज सहकारी समितियों में अनुभवी कार्य–कर्त्ताओं की आवश्यकता है । विशिष्ट कार्य–कर्त्ताओं की नियुक्ति से इनकी स्थिति में विशेष रूप से सुधार हो सकता है और यह आन्दोलन अधिक प्रगति कर सकता है ।

राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली का काफी उत्पादन होगा, यह बताया गया है । लेकिन उसको पहुंचाने में जो पहले से ही कमी रखी गई है उसका नतीजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है । वह नतीजा क्या है, मैं निवेदन करूं कि गांधी सागर डेम का जनवरी में माननीय पं० जवाहरलालजी नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया । इससे जो बिजली उत्पन्न होगी उसमें से सरकार २६ हजार किलोवाट बिजली ही खपत कर सकेगी । इससे अधिक क्यों नहीं? यह बिजली मन्त्री की कार्य क्षमता का नमूना कहा जा सकता है । गांधी सागर डेम से ७६ हजार किलोवाट बिजली मिलेगी और १८ हजार दूसरे से मिलेगी । ६० हजार में से २६ हजार किलोवाट बिजली ही काम में ले सकेंगे; इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि आपने लाइन डालने का काम पहले से ही शुरू नहीं किया । साथ ही साथ देहातों में बिजली देने की जो नीति होनी चाहिये वह नीति निर्धारित नहीं की ।

अब यह कहा जा रहा है कि गांवों को कुछ अंश में बिजली देंगे । बजट में काश्तकारों से यह कह कर पैसा लिया गया कि चम्बल योजना से जो बिजली आवेगी वह देहातों को दी जावेगी । आज कहते हैं कि सी अंश में बिजली देंगे । क्यों देंगे ? क्या अहसान कर रहे हैं देहातों के ऊपर, देहातों में रहने वाले काश्तकारों पर ? आज गांवों में ८० प्रतिशत किसान रहते हैं । उन गांवों में रहने वाले ८० प्रतिशत काश्तकारों को तो बिजली आप थोड़ी मात्रा में, अंश में देते हैं और शहरों में रहने वाली २० प्रतिशत जनता को पूरी मात्रा में देते हैं । वे उसको नहीं खपा सकते हैं । देहातों में तो एग्रीकल्चर और छोटे छोटे उद्योगों के लिए बिजली खर्च हो सकेगी । इसलिए सरकार को तुरन्त ही इस सम्बन्धी नीति निर्धारित करनी चाहिये । पहले नीति निर्धारित नहीं करने के कारण गांधी सागर से जो बिजली पैदा हो रही है और उसको नहीं खपा पा रहे हैं और उससे जो नुक्सान उठाना पड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी राजस्थान और मध्यभारत दोनों सरकारों पर है ।

सरकार को देहातों में एग्रीकल्चर और छोटे छोटे उद्योगों की तरक्की के लिए तरजीह देनी चाहिये । अब तक यह होता रहा है कि जहां पोलिटिकल फायदा होता है वहां तो बिजली दी जाती है और जिस क्षेत्र से मत

(श्री सम्पतराज जैन)

भेद होता है उस क्षेत्र को बिजली से वंचित रख दिया जाता है । यह हालत हो रही है आज हमारे राजस्थान में । हो सकता है आप बदला ले लें, लेकिन आप देश का नुकसान कर रहे हैं । इस बिजली से जहां उत्पादन बढ़ने वाला है, सिंचाई होने वाली है, देहाती क्षेत्रों में उद्योग चलने वाले हैं, उन सबसे राजस्थान महरूम रह जायगा । इसलिए बिजली मन्त्री को तुरन्त नीति निश्चित करनी चाहिये और अभी की जो नीति है उसको बदलना चाहिये और यह होना चाहिये कि बिजली अधिकांश रूप में गांवों को दी जावेगी और एग्रीकल्चर और छोटे उद्योगों के पर्पज के लिए दी जायगी ।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ । लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण से यह निश्चित है कि राजस्थान के गांवों के अन्दर इससे जागरण पैदा हुआ है । लोगों ने अपने अपने अधिकारों को पहिचाना है । गांवों में भी काम करने का मौका आया है इसलिये इसकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता । इससे राजस्थान तथा और अन्य जगहों पर जहां यह होगा देश को निश्चित तौर से फायदा मिलेगा; लेकिन सभापति महोदय, इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जिसको नजर–अन्दाज नहीं किया जाना चाहिये। समय थोड़ा ही है, फिर भी मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा । इसके अलावा जो कुछ बातें रह जायंगी फिर समय मिलने पर निवेदन करूंगा । दो–तीन बातें ऐसी हैं जिन पर तुरन्त विचार नहीं किया गया तो और इसी तरह की राजस्थान की नकल अन्य जगहों पर हो पायी तो निश्चित तौर से अन्य प्रान्तों के अन्दर उससे नुकसान पहुंचेगा । पं० जवाहरलालजी नेहरू जब कोटा में पधारे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने इस तस्वीर का एक पहेलू देखा है; इसका दूसरा पहलू भी है क्या ? क्योंकि हम इसकी नकल दूसरे प्रान्तों में भी करना चाहते हैं, अगर यह बिल्कुल ठीक है तो हम दूसरे प्रान्तों में भी इसकी नकल करना चाहते हैं । मगर वहां पर उस समय किसी डर की वजह से इस तसवीर का दूसरा पहलू नहीं बताया गया । मैं इस बारे में पूरा विवरण दे सकता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है इस समय, तो केवल दो–चार बातों की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगा ।

सर्व प्रथम मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण जो हुआ है उसकी जो चुनाव प्रणाली रखी गई है वह लोगों में फूट पैदा करने वाली और तकली फदेह है । इसमें सारा प्रान्त उलझ गया है । अगर इसी प्रकार की नकल अन्य प्रान्तों में की गई तो हमने जो नुकसान उठाया है वहां भी इससे नुकसान पहुंचे बगैर नहीं रहेगा । कहने को तो यह पंचायत समिति के चुनाव है । लेकिन सब लोगों को यह मालूम है कि इसी एक चुनाव के अन्दर बारह चुनाव एक साथ हैं और वह भी तीन महीनों के अन्दर पूरे करने होते हैं । ये बारह चुनाव इस प्रकार से हैं; पंचायतों का चुनाव, फिर पंचों का चुनाव, सरपंचों का चुनाव उसके बाद को–ऑप्शन; दूसरी मर्तबा, न्याय पंचायतों का चुनाव, फिर एक पंच का चुनाव, न्याय पंचायत के चेयरमैन का चुनाव, पंचायत समिति में को–ऑप्शन, पंचायत

(श्री सम्पतराज जैन)

समिति के प्रधान का चुनाव, पंचायत समिति के उप प्रधान का चुनाव, उसके बाद स्टेंडिंग कमिटियों का चुनाव, जिला परिषद् के लिये को-ऑप्शन जिला, परिषद् के प्रमुख का चुनाव और फिर स्टेंडिंग कमेटियों का चुनाव। इस प्रकार से ये बारह चुनाव होते हैं जो सब इसके अन्तर्गत हैं और ये चुनाव तीन महीने तक लम्बे चलते हैं। इनमें निश्चित तौर पर १२ मर्तबा परेशान किया जाता है। एक तरफ तो सरकारी मशीनरी को परेशानी उठानी पड़ती है और दूसरी तरफ जो लोग इनसे सम्बन्धित होते हैं उनको परेशानी उठानी पड़ती है। इन परेशानियों को कम करना पड़ेगा। यदि हम कम नहीं करते हैं तो चुनाव का तरीका बदलना होगा। अगर यह नहीं होता है तो निश्चित तौर से नुकसान होगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी कहा गया कि ये चुनाव सन्तोषजनक हो गये। इसके लिये जनता बधाई की पात्र है। पंच, सरपंच और प्रशासन भी उसके लिये बधाई का पात्र है, लेकिन जो चुनाव में कार्यवाहियाँ हुई हैं उससे फूट पैदा हुई और इस फूट से निश्चित तौर से नुकसान हुआ है। चुनाव पद्धति में तरमीम की जा सकती है और जो चुनाव होते हैं उनमें कमी की जानी चाहिये। १२ दिन तक लगातार इसमें लगे रहना, पंचों और सरपंचों को बार बार आना, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसको हम चार मर्तबा के चुनाव में सम्पन्न कर सकते हैं और करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं इस बारे में और भी निवेदन करना चाहता हूँ; लेकिन देखता हूँ आप घंटी बजाने वाले हैं, फिर भी मैं कुछ निवेदन किये बिना नहीं रह सकता। इन पंचायतों के चुनाव से निश्चित तौर से कई बातें सामने आई हैं, ज्यादा तो मैं बजट के समय निवेदन करूंगा। इसका जो रूप सामने आया है उसको देखने से मालूम पड़ता है निश्चित तौर से। यदि इसी प्रकार से कार्य हुआ तो इससे प्रान्त को और देश को बहुत नुकसान होने वाला है। जिस तरह से पंचों और सरपंचों को धमकाया गया, जिस तरह से उनको तालों में बन्द रखा गया, जिस प्रकार से सरकारी अफसरों को बुला कर उनसे उन पंचों को दबवाया गया धमकाया गया, कलेक्टर और एस० डी० ओ० बनाकर लाये जाते हैं: जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग इन चुनावों में किया उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं दे सकता हूँ। इसका निवारण नहीं किया गया तो निश्चित तौर से जनतन्त्र के प्रति लोगों की आस्था डिग जायगी। आज जिस प्रकार की चीजें और हथकन्डे इन पंचायतों के चुनाव में अपनाये गये हैं वे यदि इसी प्रकार से जारी रहे तो आज जहां हम जनतन्त्र की नींव डालने जा रहे हैं इस प्रकार के कार्यों से जनता की आस्था जनतन्त्र से कम हो जायगी। इसकी मिसाल हमारा झालावाड़ जिला भी रहा है। उसके डिटेल्स में तो मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां के चुनावों के बारे में रिट हमने सैशन्स जजी में की है। उस समय सब चीजें सामने आ जायेंगी। इस प्रकार की जो चीजें हुई हैं उससे आम जनता की जनतन्त्र के प्रति कद्र कम हुई है। पंचायतें बनीं, लेकिन लोग सरपंचों के गुलाम नहीं बने। झालावाड़ जिले में एक विधायक के साथ जो बातें हुईं वे मैं साबित करने के लिये तैयार हूँ। वहां पर एक मंत्री महोदय ने जो कुछ किया वह भी चुनाव याचिका के समय सामने आ जायगा। मैं इस

Page No.106

(श्री सम्पतराज जैन)

बारे में यहां ज्यादा जिक्र करना नहीं चाहता....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : किस मिनिस्टर साहब ने किया है, उनका नाम बतलाइये।

श्री दिलीपसिंह (बारां) : कोटा में तो ऐसा नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : जब तक आप नाम नहीं बताते यह तो एक प्रकार से वेग एलीगेशन हुआ।

श्री सम्पतराज जैन : मामला कोर्ट में चला गया है, मैं इस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता।

श्री सभापति : The Hon'ble member has not made any definite allegation.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि एक मंत्री ने ऐसा किया। किसी खास मंत्री का नाम नहीं बतलाया; केवल मंत्री कह देने से कोई मामला नहीं बन सकता। मंत्री जो भी हैं पहले वे सदन के सदस्य हैं और उसके बाद मंत्री हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जिन माननीय सदस्य पर इल्जाम लगाया है उनका नाम सदन में बतावें, नहीं तो यह सदन के सदस्यों का अपमान है। जिस किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है उसके नाम को निश्चित रूप से सदन में बताया जाना चाहिये।

श्री सभापति : No speech Please. I have understood the point. It is open to the Hon'ble Member to disclose the name of the Minister or not, it is a matter within his discretion. He cannot be compelled for it.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a Point of Order, Sir, the Hon'ble Member just stated that this issue is pending before the Court. Is the Hon'ble member allowed to speak on the floor of the House on a matter which is already sub-judice ?

श्री सभापति : It is absolutely clear from the Rules that a matter which is sub-judice should not ordinarily be referred to.

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble member has already made a reference of the issue which is sub-judice

श्री सभापति : He has only made a passing reference. I will now call upon him to drop the matter which is sub-judice.

श्री सम्पतराज जैन : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, ऐसी जगहों पर भी यदि करप्शन नहीं रोका गया तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि लोगों की आस्था इस जनतन्त्र से हटती जायगी। यह जो विकेन्द्रीकरण आया है वह केवल चन्द लोगों के लिये आया है, ऐसा लोग मानने लगे हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर तुरन्त ध्यान देकर इसमें जो कुछ खामियां हैं उनको दूर करने का

(श्री सम्पतराज जैन)

प्रयत्न करें। इसके बारे में डिटेल्स में फिर मौका आयगा तब निवेदन करूंगा।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद–विवाद का दूसरा दिन करीब चल रहा है और उसमें मुझे जो बोलने का समय मिला है उसके लिये मैं माननीय सभापति महोदय का आभारी हूँ।

अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो हमारे राजस्थान की प्रगति का विवरण एक साल का किया है वह हर साल की तरह परम्परा के अनुसार सदन में प्रस्तुत किया गया है और उसके 'फर्स्ट' पेज में ही बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किये गये हैं। उनमें से कुछ पर मैं अपने विचार प्रगट करके सदन को यह बताना चाहूँगा कि जो पशु–पालन और सहकारिता के बारे में बताया गया है और जो इस बारे में प्लान बताई जा रही है वह देश के हित में हो सकती है, पर जब तक उसको सही तरीके से और जो नीति है उसको उस नीति के तरीके से नहीं लिया जावेगा तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कामयाबी प्राप्त नहीं हो सकती। आज कृषि और पशु–पालन के नाम पर पंचायत समिति वाइज़ २० हजार का बजट है। इसके द्वारा बीस गायें अच्छी नस्ल की लेना और एक दूध की डेयरी बनाना है और इसके लिये काफी रकम भी अलॉट कर दी। पर मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में काफी समितियां हैं। जयपुर जिले में १६–१७ हैं, पर नाम मात्र भी एक भी ऐसी पंचायत समिति नहीं है जो यह महसूस करती हो और जो इस धन का सदुपयोग करती हो। पर सत्ताधारी उस धन को लेकर हर साल हड़प कर जाते हैं और इसका शुद्ध उपयोग नहीं हो पाता है।

इसी तरह कृषि की उपज के बारे में हैं। कहते हैं, खाद्य उत्पादन बढ़ा। पर उधर भाव बढ़ते ही जाते हैं। जो ज्यादा पैदा होती है वह चीज़ सस्ती होनी चाहिये। पर ड्योढ़ा पैदा होने पर भी अन्न के भाव सस्ते नहीं हो रहे हैं, यह अफसोस की बात है।

श्री दिलीपसिंह (बारां) : खाने वाले भी बढ़ रहे हैं।

श्री लादूराम सुलाणियां : यह तो जनगणना हो रही है, उससे मालूम हो जावेगा। क्योंकि मुझे तो समय शायद छः तारीख को मिलेगा इसलिये आज थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहूँगा।

श्री सभापति : यथासम्भव आज ही समाप्त कर दें।

श्री लादूराम सुलाणिया : यदि तीस मिनिट मिल जावें तो हो सकता है।

अनुच्छेद २४ में अनुसूचित जातियों का जिक्र किया है और उसमें बताया है कि इसमें सरकार ने बहुत सन्तोषजनक प्रगति की है। मुझे बड़े अफसोस के साथ आपके द्वारा सभापति महोदय, सदन को यह बताना पड़ेगा कि उनको सन्तोष हो अवश्य; पर उनको सन्तोष क्यों है, इसलिये कि डिपार्टमेंट रिपोर्ट तैयार करके राज्यपाल महोदय के सामने रख देता है और उसी रिपोर्ट को छपवा कर सदन में पेश कर देते हैं। इसमें राज्यपाल का दोष नहीं,

(श्री लादूराम सुलाणिया)

दोष है हमारी जनता के विधायक बनकर यहां बैठते हैं उनका। क्योंकि सही मार्ग उनको नहीं बता सकते हैं इसलिये सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहां परिगणित जाति के लोगों की स्थिति सन्तोषजनक बताई जाती है वहां वह सन्तोषजनक नहीं है। इसके बारे में एक छोटा सा हवाला देना चाहूँगा। हमारे यहां जयपुर के पड़ोस में जिला सीकर में नीम का थाना के पास गढ़ गणेश नामक तीर्थ स्थान है। उसमें हमारे यहां के हरिजन जो कहलाते हैं, जो राजस्थान की पचास प्रतिशत जनता है उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसकी छोटी सी नजीर रखना चाहूँगा। आज से करीब एक साल पहले की बात है। वहां हरिजनों को नहाने का अधिकार नहीं है। पर चूंकि वह एक माना हुआ तीर्थ है, हरिजनों ने दस रोज पहले सरकारी अधिकारियों को नोटिस दिया कि जिस प्रकार समाज कल्याण सप्ताह मनाते हैं उस तरह सप्ताह मनाने की कार्यवाही की और एस० पी० सीकर और सरकारी अधिकारियों को नोटिस दिया कि हम ठीक फलां तारीख को जाकर स्नान करेंगे वहां। इस पर वहां के सवर्ण हमारे पर अत्याचार न करें, इसकी आप व्यवस्था करने की कृपा करें; इसका ध्यान रखें। मैं निवेदन करूं कि कोई भी अफसर उस दिन मौके पर नहीं पहुंचा बल्कि इस बात की कोशिश की गई कि लोगों को दबा कर वहां के अत्याचार करने वालों को प्रोत्साहन दिया और २२–४–६० को स्नान करने गये और डूंगर के चारों तरफ से हजारों लोग जिनमें अधिकांश सवर्ण लोग और शिडयूल्ड ट्राइब मीणा जाति के लोग, शामिल होकर हरिजनों पर अत्याचार किये और लाठीचार्ज किया। जिसमें सैकड़ों आदमियों के सिर फूटे, पैर टूटे, माथे फूटे, खून आया और कई अस्पतालों में भरती हुए। जयपुर के मानसिंह अस्पताल में भी भरती हुए और इसके बाद तमाम अधिकारियों को इस बात की इत्तला दी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वे सब जनसंघ के होंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया : कार्यकर्त्ता नहाने ले गये थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे।

डॉ० बहादुरसिंह : तो जरूर जनसंघ होंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया : तो ऐसी स्थिति में सरकार का यह कहना कि हमने काफी प्रगति की है, ठीक नहीं लगता। मैं निवेदन करूं कि यह दिखावा मात्र करने से हमें सन्तोष नहीं हो सकता; जब कि आज से २१ वर्ष पहले ३६ में जब कि कांग्रेस का राज्य नहीं था, देशी राजा थे उस जमाने में हरिजनों की ओर से मैं निवेदन करूं एक प्रतिवेदन राजाओं को दिया गया कि उनकी बेगार और छूआछूत बन्द की जावे। इस तरह का एक प्रार्थना–पत्र पेश किया और उसके ऊपर उन राजा लोगों ने जिनमें मुख्य जयपुर नरेश, बूंदी नरेश और झालावाड़ नरेश के पत्र सख्या जो २० आर० डी० ३१–३–४३ का बैरवा महासभा को प्राप्त हुआ कि हम आदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ कोई छुआछूत नहीं बरती जावेगी और हर प्रकार की सुविधाओं से जैसे राज्य के और नागरिक लोग रहते हैं आप भी रह सकेंगे। इसी तरह एक बूंदी

(श्री लादूराम मुलाणिया)

राज्य के महाराजा का पत्र नम्बर ६०३८ एम० डी० २०–४–४६ का प्राप्त हुआ और इसमें भी आदेश था कि तुमसे किसी प्रकार की छूआछूत नहीं करेंगे। इसी प्रकार निवेदन करूं कि हमारे जयपुर नरेश का एक पत्र संख्या १८१६ एम. बी. तारीख ३१–१०–४६ का प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की व्यवस्था तो उस जमाने में ही हो गई थी। आज सरकार दिखावा करती है कि हम अत्याचार को मिटावेंगे और छूआछूत नहीं करने देंगे; तो सरकार के इस दावे के लिये यह गणेशेश्वर का उदाहरण काफी है। इसके साक्षी राजस्थान सरकार के सामने बड़े बड़े अखबार हैं, हिन्दुस्तान टाइम्स है, नवभारत टाइम्स है और बताऊं नाम साप्ताहिक का "सोशलिस्ट समाचार" और इस बात का मेमोरेन्डम पत्र मन्त्रियों को पेश किया गया, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसी प्रकार का सन्तोष ये आज नहीं देते, न किसी मिनिस्टर ने आज तक इस बात का आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ जो अत्याचार हुए हैं उनका निवारण करके इन लोगों पर पाबन्दी लगावेंगे। आज समाज कल्याण विभाग कानून की किताब निकालता है और लिखता है कि ५००) रु० जुर्माना और ६ महीने की सख्त सजा हरिजन, हरिजनों पर अत्याचार करने वालों को छूआछूत करने वालों को मिलेगा और यह सजा एक शब्द कहने पर मिलेगी कि तुम नीच हो....

श्री सभापति : क्या माननीय सदस्य अपना भाषण पांच–छः मिनिट में समाप्त कर देंगे ?

श्री लादूराम मुलाणिया : मैं अर्ज करूंगा कि और माननीय सदस्यों को आध घंटा, घंटा भर का समय मिला है तो मुझे तो कम से कम डेढ़ घंटा मिलना चाहिये। विरोधी हरिजन सदस्यों में मैं ही पहला हूँ।

श्री सभापति : शेष टाइम आपको अब आइन्दा मिलेगा। The House now stands adjourned till 11 A. M. of 6th. March, 1961.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ४-५७ बजे दिनांक ६ मार्च, १९६१ के म०पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ४६१

ग्राम सुरसुरा में भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि को चारागाह में शामिल किया जाना।

रेग्युलर ट्यूटोरियल क्लास सिस्टम।

समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर द्वारा सिलाई की मशीनों की खरीद।

मचकुन्ड तीर्थ, धौलपुर का विकास।

थानागाजी के मुआफीदारान को मुआवजा।

राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निजी सम्पत्ति का ब्योरा पेश करने सम्बन्धी आदेश।

समस्त राज्य कार्य हिन्दी भाषा में किया जाना।

भरतपुर जिले की आइरन फैक्ट्रीज़।

ग्राम चिरडाणी (जोधपुर) में की गई कन्सोलिडेशन की कार्यवाही।

उच्च योग्यता वाले अध्यापकों की उच्च विद्यालयों में नियुक्ति।

जिलों, ऐतिहासिक स्थानों तथा किलों का पृथक् पृथक् इतिहास छपाने की योजना।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहकारी समितियों के हिस्से खरीदने हेतु आर्थिक सहायता।

ललित कला अकादमी द्वारा कलाकार छात्रों को प्रशिक्षण सम्बन्धी दी गई स्कॉलरशिप।

संस्कृत कॉलेज के लेक्चरार्स का ग्रेड।

जिला बीकानेर के काश्तकारों के शिष्ट मण्डल द्वारा जिलाधीश को प्रस्तुत की गई समस्याओं का समाधान।

जयपुर जिले के स्कूल्स में अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति।

गुढाएन्दला व कानलाव में मीणा जाति की बस्ती का विकास।

स्कम्भ स्कम्भ

पावटा ट्रेनिंग स्कूल।

गंगा थियेटर, बीकानेर।

अवकाश प्राप्त आई० ए० एस० व आर० ए० एस० अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति।

मेनरोड पावटा कोट से कल्याणपुरा खुर्द होती हुई मोहन-पुरा की खानों तक के सड़क के टुकड़े का निर्माण।

प्राथमिक कन्या पाठशाला, फागी का भवन।

सूरजमल सुनार, निवासी नोहर को भूमि का नाजायज़ आवंटन।

पलाना कोयला खान।

कोटपुतली से नारेडा-डाबला सड़क की मरम्मत।

रोहट के ग्रामीणों से एकत्रित चन्दे की रकम को वापिस दिलवाना।

मल्टीपर्पज़ हायर सैकन्डरी स्कूल, डूंगरपुर।

सदन की मेज पर रखे गए पत्र ५५५

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, मन्त्री पंचायत विभाग ने निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखीं:—

(१) पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० ४ (एल० जे०) २५। (१४), दिनांक ५ अक्टूबर, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एव न्याय पंचायत निर्वाचन नियम १९५० प्रकाशित किए गए हैं।

(२) पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना—

(क) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) ।२५। (१४), दिनांक ११ अक्टूबर, १९६०,

(ख) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) ।२५। (१४), ६६००४, दिनांक १८ अक्टूबर, १९६०,

(ग) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) ।२५। (१४), दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६०,

(घ) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) ।२५। (१४), दिनांक २३ नवम्बर, १९६०,

Page No.112

स्कम्भ

(ङ) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) ।२५। (१४), दिनांक २४ नवम्बर, १९६०,

(च) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) ।२५। (१४), दिनांक २८ नवम्बर, १९६०,

(छ) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) पी. डी. एन. ।६०—१ दिनांक २३ दिसम्बर, १९६०,

(ज) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) ।२५। (१४), दिनांक २ जनवरी, १९६१ तथा

(झ) संख्या एफ. ४ (एल. जे.) ।२५। (१४), दिनांक ४ जनवरी, १९६१

जिनके द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत निर्वाचन नियम, १९६० में संशोधन किए गए हैं।

(३) पंचायत एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ४ (एल. जे.) रूल्स । ६०, दिनांक १८ अक्टूबर, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (रिमूवल ऑफ प्रधान एण्ड उप-प्रधान) नियम, १९६० प्रकाशित किए गए हैं।

स्कम्भ

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५५८

श्री पी. के. चौधरी, सदस्य, प्राक्कलन समिति, राजस्थान विधान सभा ने प्राक्कलन समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का, जो विकास विभाग (सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड) से सम्बन्धित है, उपस्थापन किया।

प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि ५५८

निम्नांकित विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के हेतु नियत समय को दिनांक १७ मार्च, १९६१ तक बढ़ा दिया गया:—

(१) राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६०,

(२) राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, १९५८ तथा

(३) राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद ५६१

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक २४ फरवरी, १९६१ को श्री बृजमोहनलाल शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद-प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद–विवाद किया गया जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री लक्ष्मीचन्द

(२) श्री शंकरलाल

(३) श्री मुरलीधर व्यास

(४) श्रीमती प्रभा मिश्रा

(५) श्री हरिप्रसाद यादव

(६) श्री दयाकृष्ण विजय

(७) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(८) श्री मोगजी भाई

(९) श्री पी. के. चौधरी

(१०) श्रीमती सुमित्रा देवी

(११) श्री नाथूलाल करोल

(१२) श्री सम्पतराज।

श्री लादूराम सुलाणिया बोल रहे थे कि सदन की बैठक म. प. ४.५७ बजे दिनांक ६ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक ६ मार्च, १९६१ की कार्य–सूची

(१) कार्य सलाहकार समिति के १९ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(२) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद–विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११८ का उत्तर देखिये)

Tutorial Classes have been introduced in the following Colleges.

Name of the College.

1. R. R. College, Alwar.
2. Dungar College, Bikaner.
3. Government College, Ganganagar.
4. S. K. College, Sikar.
5. Lohia College, Churu.
6. S. D. Government College, Beawar.
7. Girls College, Kotah.
8. Maharaja's College, Jaipur.
9. Jaswant College, Jodhpur.
10. M. S. J. College, Bharatpur.
11. Government College, Kotah.
12. Government College, Jhalawar.
13. M. B. College, Udaipur.
14. S. M. K. College, Jodhpur.
15. Rajasthan College, Jaipur.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२४ का उत्तर देखिये)

तालिका जिसमें भरतपुर जिले में आयरन फैक्टरियों को आयरन का कोटा व लोन दिया गया

आयरन फैक्टरी का नाम	स्थान	समय जब से चालू है: प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनानुसार ।	आयरन का कोटा जो दिया गया टनों में.	लोन जो दिया गया	अभियुक्ति
१	२	३	४	५	६
(प्रथम ४ के लिये कृपया मूल उत्तर देखिये)					
५. मैं० राजस्थान आयरन वर्क्स,	भरतपुर	१९४९	१८		
६. ,, ओरियन्ट आयरन इन्डस्ट्रीज	,,	१९५९	६		
७. ,, जयहिन्द आयरन इन्डस्ट्रीज	,,	१३:२:५७	२१		
८. ,, राजस्थान कृषि कल कारखाना	,,	१:४:५९	—		
९. ,, पंजाब आयरन वर्क्स	,,	१९६०	—		
१०. ,, लक्ष्मी साइकिल इन्डस्ट्रीज	,,	१९५८	१३		
११. ,, हनुमान षक्ट फेक्टरी	,,	सितम्बर, ५९	२९		इस फैक्टरी में सिर्फ प्लान्ट अभी लगा है, काम शुरू नहीं हुआ ।
१२. ,, भारत इन्जिनियरिंग वर्क्स	,,	१९५४	—		

	१	२	३	४	५	६
१३.	मै० थूडकल भटोतीराम	डीग	१९५०	१६		
१४.	,, सांवलदास रामचन्द्र	डीग	१९५०	१२॥		
१५.	,, राजस्थान आयरन एन्ड-स्टील कॉर्पोरेशन	धौलपुर	अप्रेल, १९५९	३५		
१६.	,, बृज इन्डस्ट्रीज,	,,	फरवरी, ६०	—		
१७.	,, अमर इन्जिनियरिंग वर्क्स	भरतपुर	५.७.५८	—		
१८.	,, नेशनल आयरन वर्क्स	,,	१९५०	—		
१९.	,, जमीदार कृषिकल कारखाना	,,	१९४७	१६॥		
२०.	,, गुप्ता आयरन वर्क्स	,,	१९५०	८		
२१.	,, चित्रा इन्जिनियरिंग वर्क्स	,,	१९४७	०		
२२.	,, रमना आयरन एन्ड स्टील कं०	,,	३१:१२:५०	१८॥		
२३.	,, सुरेश आयरन एन्ड स्टील वर्क्स	,,	मार्च, १९५९	२०		
२४.	,, जैन आयरन स्टील इन्डस्ट्रीज	,,	जुलाई, ५९	५		
२५.	,, गनेश आयरन फैक्टरी	,,	१.११.४८	१६॥		
२६.	,, मोहन आयरन एन्ड स्टील वर्क्स	,,	जनवरी, ६०			
२७.	,, बाबूलाल राधेश्याम,	डीग	१९५५	१२॥		
२८.	,, दामोदरलाल दाऊदयाल	,,	१९५६	१६॥		
२९.	,, फूलचन्द गिरराज प्रसाद	,,	१९५०	१८॥	१,०००	२८:३:५७

१	२	३	४	५	६
३०. मै० कुन्दनलाल गिरराज-प्रसाद	डीग	१९६०	१२॥		
३१. ,, भारत आयरन वर्क्स,	,,	१९५०	३		
३२. ,, भींमाराम रामजीलाल	,,	१९५०	३॥	२,०००	२८:३:५७
३३. ,, भगवानदास नारायणदास	,,	१९५०	१९॥	१,५००	,,
३४. ,, रामप्रसाद ज्वालाप्रसाद	,,	१९५०	१४॥	२,०००	३१:३:५९
३५. ,, अलाइड स्टील इन्डस्ट्रीज	धौलपुर	१५:६:५९	१३		
३६. ,, नेशनल इन्डस्ट्रीज	,,	जून, १९५९	—		
३७. ,, अजय इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन	,,	१९५८	२७		
३८. ,, सुरेन्द्र आयरन इन्डस्ट्रीज	,,	१९५९	२		
३९. ,, श्यामलाल टीकमचन्द	भरतपुर	१:४:४७	७॥		
४०. ,, शर्मा आयरन वर्क्स	,,	५९	४.		
४१. ,, भानूराम मदनमोहन	,,	१९५४	३॥		
४२. ,, कालूराम छोटूलाल	डीग	१९५०	१२॥		
४३. ,, फूलचन्द राजेन्द्रप्रसाद	,,	१९५५	१४		
४४. ,, मुन्नालाल मदनलाल	,,	१९५५	१२॥		
४५. ,, बाबूलाल विशम्भरदयाल	,,	१९५९	५		
४५. ,, हरिशंकर ब्रदर्स एन्ड कम्पनी	कुम्हेर	१:३:५६	७		
४७. ,, हरि उद्योग शाला	भरतपुर	मई, ५९	—		
४८. ,, नारायणदास एन्ड कम्पनी	कुम्हेर	११:२:५६	६		

१	२	३	४	५	६
४६. मै० आदर्श इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन	धौलपुर	जुलाई, ५६	३		
५०. ,, किशोर मैटल कॉटेज इन्डस्ट्रीज	,,	१.१.६०	—		
५१. ,, अग्रवाल आयरन इन्डस्ट्रीज	भरतपुर	१६५६	४		
५२. ,, जमना आयरन वर्क्स	,,	१६५८	—		
५३. ,, माधोप्रसाद एन्ड सन्स	,,	१६५०	७॥		
५४. ,, शिवहरे आयरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज	,,	१७:७:५६	—		
५५. ,, भारत आयरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज	,,	१६५६	३॥		
५६. ,, महावीर इन्जिनियरिंग वर्क्स	,,	१८:८:५६	३		
५७. ,, किशनलाल श्यामलाल	,,	१६५१	७॥		
५८. ,, राकेश इम्पलीमेंट वर्क्स	,,	१६५६	३		
५६. ,, वर्मा आयरन फैक्टरी	,,	१६५६	—	३,०००	२३:३:५६
६०. ,, विजय आयरन इन्डस्ट्रीज	,,	१६५०	—		
६१. ,, रामचन्द्र गुप्ता	बयाना	१६५६	—		
६२. ,, गनी आयरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज	,,	१६५६	—		
६३. ,, भुसावर आयरन वर्क्स	भुसावर	२५:६:५६	—		
६४. ,, हनुमान इन्डस्ट्रीज,	डीग	१६५६			
६५. ,, भारतीय इन्डस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन	भरतपुर	१६५८			

१	२	३	४	५	६
६६. मै० जय आयरन एन्ड स्टील वर्क्स	भरतपुर	१९५२			
६७. ,, राइजिंग ट्रेडर्स	,,	१६.७.५६			
६८. ,, खन्डेलवाल ट्रेडिंग कं०	,,	१९५८			
६९. ,, जोगेन्द्र आयरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज	,,	१:७:५६			
७०. ,, सतीश इन्जिनियरिंग वर्क्स	,,	मई, ५६			
७१. ,, गनेश आयरन वर्क्स	,,	अप्रेल, ५६	२१		
७२. ,, आइरिश आयरन फैक्टरी	,,	१९५८			
७३. ,, अशोक आयरन इन्डस्ट्रीज	,,	१९५६	४		
७४. ,, सेन्ट्रल इन्डियन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं०	,,		२००		
७५. ,, भारत आयरन स्टोर्स	,,		१८		
७६. ,, नेशनल आयरन वर्क्स	,,		१४॥		
७७. ,, खन्डेलवाल आयरन वर्क्स	,,		१०		
७८. ,, जवाहरलाल एन्ड कं०	,,		२		
७९. ,, भूरमल मटोटीमल	डीग		२		
८०. ,, जवाहरलाल एन्ड कं० ट्रंक फैक्टरी	भरतपुर		१२		
८१. ,, हरिशंकर एन्ड कं०	,,		१		

१	२	३	४	५	६
८२. मै० श्री कीपरन जैन राज आयरन एन्ड स्टील कॉर्पोरेशन	धौलपुर		१०		
८३. ,, रामलाल मोतीलाल	भरतपुर (बस्ती मथुरा)		१		

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३१ का उत्तर देखिये)

COPY OF LETTER NO. F. 12 (184) REV. B/53 DATED 23. 11. 60 FROM THE ASSTT. SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF RAJASTHAN REVENUE (B) DEPTT., JAIPUR, TO THE COMMISSIONER, BIKANER.

Sub:—Tawan.

Ref:—This Deptt. letter No. D. 1815/F. 12(184) Rev. B/53 dated the 21st. April, 1960 and your letter No. F. 54 (122) R/55/8943 dated the 2nd. May, 1960.

I am directed to say that the Tawan imposed before the commenement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, should be realised according to the tenor of the relevant orders.

2. As regards the Tawan imposed after the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, if any person files objections, such objections may be decided on merits, but cases already decided need not be re-opened.

3. As regards the status of the persons who cultivated the land without permission and from whom Tawan was charged the charging of Tawan or peanalty itself shows that they were trespassers. Each year they cultivated the land without permission and Tawan or penalty was imposed. Rent, if charged, was in addition to penalty. The definition of 'Tawan' given in the Rajasthan Tenency Act, 1955, specifically excludes a trespasser, and a 'trespasser' is defined as a person inter-alia who takes or retains possession of land without proper authority. In the circumstances, such persons were trespassers at the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, and they continued to remain as trespassers, and khatedari rights did not accrue to them under sub-section (1) of section 15 of the Rajasthan Tenancy Act. They should continue to be treated as trespassers. They need not be actually ejected but they should not be recorded as khatedar tenants.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF VACANT POSTS UNDER THE INSPFCTORATE, JAIPUR-EAST.

S. No.	Name of Institution	Post	Subject in which posts are vacant and upto what date
	2	3	4
JAIPUR EAST			
		Upto July, 1960	
1.	Maharaja M. P. H. S. S., Jaipur.	Senior Teacher	Economics, Chemistry, Biology, Drawing and Music.
2.	B. S. STC. School, Sanganer	Trained Graduate Assistant Teacher.	History, English, Maths., Craft and P. T. I.
3.	H. S. Bandikui	Trained Graduate	Biology and Maths.
4.	H. S. Basua	do	Maths.
5.	H. S. Geejgarh	do	
6.	H. S. S. Bhanderaj	Graduate Trained Graduate	Geography, Sanskrit, Gen. Sc., Politics and P. T. I.
7.	B. S. T. C. Goner	Asstt. Teacher	
8.	H. S. S. Toonga	Trained Graduate	Hindi, Gen. Eng. and sanskrit
9.	H. S. S. Bagru	do	P. T. I. and Craft Teacher.
10.	H. S. S. Bassi	do	P. T. I.

1	2	3	4
	JAIPUR WEST		
11.	M. P. H. S. S Amerser	5 posts 2 Sr. Teacher 3 Trd. Gradu.	 Hindi and Maths. Commerce, English Litueratare. Science with Biology
12.	M. P. H. S. S- Jobner	4 posts 2 Sr. Teacher 1 Sr. teacher 1 do	 Agriculture Economics. Saience and Maths.
13.	H. S. S. Paota	2 posts Trained graduate	 Seience and Maths.
14.	H. S. S. Banethi	2 Senior Teachers	Gen. Sc. and English Literature.
15.	H. S. S. Khejroli	2 Senior Teachers 2 Trained Graduate	Gen. Sc. and Social Studies. B. Sc. Maths. Eng. Lit.
16.	H. S. S. Radawas	2 Senior Teachers 1 Trained Graduate	Gen. Sc. and Eco. B. Sc. Maths.
17.	H. S. S. Jamwaramgarh	2 Senior Teachers 1 Junior Teacher	Philosophy, Gen. Sc. Sc. and Maths.
18.	H. S. S. Bichoon	1 Trained Graduate	B. Sc., Maths.
19.	H. S. S. Bhaislana	do	do
20.	G. H. S. Ranwal	do	do
21.	H. S. Kotputli	do	do
22.	H. S. Bairath	do	do
23.	H. S. Naraina	2 Trained Graduate	B. Sc., History. and Maths.
24.	H. S. Sambhar	1 Trained Graduate	Eng. Lit.

1	2	3	4
25.	H. S. Shahpura	2 Trained Graduate	B. Sc. Maths., Eng.-Lit.
		Upto August. 1960	
JAIPUR EAST			
1.	H. S. Dausa.	Trained Graduate	Science
2.	H. S. Motikatla	do	Gen. Sc.
JAIPUR WEST			
3.	M. P. H. S. S. Amerser	2 Trained Graduate	Maths. and Biology
4.	M. P. H. S. S. Jobner	2 Sr. Teachers	Agriculture
3.	H. S. S. Paota	1 Senior Teacher	Sc. and Maths.
4.	H. S. S. Banethi	2 Senior Teachers	Gen. Sc. and Eng. Lit.
5.	H. S. S. Khejroli	1 Trained Graduate	English Lit.
6.	H. S. S. Radawas	1 Trained Graduate 1 Sr. Teacher	Hindi Economics.
7.	H. S. S. Jamwaramgarh	1 Senior teacher	Philosophy
8.	H. S. S. Bhaislana	1 Trained Graduate	B. Sc. Maths.
9.	G. H. S. Ranwal	do	do
13.	H. S. Naraina	1 Trained Graduate	History
		Upto September, 1960	
JAIPUR WEST			
1.	H. S. S. Amerser	1 Trained Graduate	B. Sc. Biology
2.	H. S. S Jobner	2 Sr. Teachers	Agricuture
3.	H. S. S. Paota	1 Trained Graduate	Maths.

1	2	3	4
4.	H. S. S. Khejroli	1 Trained Graduate	Eng. Lit.
5.	H. S. S. Radawas	1 Senior Teacher	Economics.
		1 Trained Graduate	Hindi.
6.	H. S. S. Jamwaramgarh	1 Senior Teacher	Philosophy
7.	H. S. S. Bhaislana	1 Trained Graduate	Sc. Maths.
8.	H. S. S. Rainwal	1 Trained Graduate	Eng. Lit.
9.	H. S. Kotputli	1 Trained Graduate	History.
10.	H. S. Bairath	1 Trained Graduate	Sc. Maths.

UPTO OCTOBER, 1960

JAIPUR EAST

1.	Maharaja's H. S. S., Jaipur	Graduate	Maths. Gen. Sc., Economics and Music.
2.	H. S. S.	Senior Teacher	Social Study
		Trained Graduate	Maths. and English.

JAIPUR WEST

3.	H. S. S. Amerser	1 Trained Graduate	Eng. Lit.
4.	H. S. S. Jobner	2 Sr. Teacher	Agriculture
5.	H. S. S. Paota	1 Trained Graduate	Sc. Maths.
6.	H. S.S. Khejroli	do	Eng. Lit.
7.	H. S. S. Radawas	1 Sr. Teacher	Economics.
		1 Trained Graduate	Hindi
8.	H. S. S. Jamwaramgarh	1 Trained Graduate	Gen. Sc.
9.	H. S. S. Bhaislana	1 Trained Graduate	Sc. Maths.
10.	H. S. Rainwal	1 Trained Graduate	Social Studies.
11.	H. S. Bairath	do	Sc. Maths.
12.	H. S. Naraina	do	Eng. Lit.

1	2	3	4

UPTO NOVEMBER, 1960

JAIPUR WEST

1.	H. S. S. Jobner	2 Senior Teacher	Agriculture
2.	H. S. S. Paota	1 Trained Graduate	Sc. Maths.
3.	H. S. S. Khejroli	do	Eng. Lit.
4.	H. S. S. Radawas	1 Sr. Teacher 1 Trained Graduate	Economics. Hindi
5.	H. S. S. Jamwaramgarh	1 Trained Graduate	Gen. Sc.
6.	H. S. S. Bhaislana	1 Trained Graduate	Sc. Maths.
7.	H. S. Rainwal	do	Social Studies.
8.	H. S. Bairath	do	Sc. Maths.
9.	H. S. Naraina	do	Eng. Lit.

UPTO DECEMEBR, 1960

JAIPUR WEST

1.	H. S. S Amerser	1 Senior Teacher	M. Sc.
2.	H. S. S. Jobner	3 posts 1 Sr. Teacher 2 do	 Physics. Agriculture
3.	H. S. S. Paota	1 Trained Graduate	Sc. Maths.
4.	H. S. S. Radawas	1 Senior Teacher 1 Trained Graduate	Economics. Hindi.
5.	H. S. S. Jamwaramgarh	1 Trained Graduate	Gen. Sc.
6.	H. S. Bhaislana	do	B. Sc. Maths.
7.	H. S. Rainwal	do	Social Studies.
8.	H. S. Bairath	do	Sc. Maths.

1	2	3	4

UPTO JANUARY, 1961

JAIPUR WEST

1.	H. S. S. Amerser	1 Senior Teacher	M. Sc.
2.	H. S. S. Jobner	1 Sr. Teacher	Physics.
		2 Sr. Teachers	Agriculture.
3.	H. S. S. Paota	1 Trained Graduate	Sc. Maths.
4.	H. S. S. Radawas	1 Sr. Teacher	Economics.
		1 Trained Graduate	Hindi.
5.	H. S. S. Jamwaramgarh	1 Trained Graduate	Gen. Sc.
6.	H. S. Rainwal	1 Trained Graduate	Sooial Studies.
7.	R. S. Bairath	--do--	Sc. Maths.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३६ का उत्तर देखिये)

RETIRED I. A. S. OFFICERS WHO HAVE RE-EMPLOYED DURING THE YEARS 1958 TO 1960

S. No.	Name	Old Post.	New Post	Pay on re-employment.	Age (Date of birth)	Qualifications.	Home Distt.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Shri Laxmilal Joshi.	Jagir Commissioner	Member R.P.S.C. from 1. 3. 57. Chairman, R.P.S.C. from 4. 12. 58 Member, R.P.S.C. from 1. 8. 60.	Rs. 2,000/- Rs. 2,250/- Rs- 2,000/-	21-11-1901	M. A.,LL. B. I.A.S.(Retd)	Udaipur.	
2.	Shri Shantilal Ahuja.	Commissioner for Depart-	Member, R.P.S.C. from 1. 12. 59.	Rs. 2,000/-	18-11-1904	M. A.,LL. B. I.A.S. (Retd)	Punjab.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		mental Enquiries;						
3.	Shri Hetu Dan Ujwal.	Commissioner Jodhpur.	1. Principal, Officers Training School, Jodhpur from July, 57 to 14. 9. 58.	Rs. 1,600/- plus Pension.	1. 11. 1900	M. A.,LL. B. I.A.S. (Retd).	Jodhpur.	
			2. Chairman, Panchayat Samiti & Zila Parishad Service Selection Commission from 15. 11. 59 to 14. 11. 60.	Rs. 1,000/- plus pension.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Shri B. N. Tankha.	Director of Printing & Stationery.	O.S.D. Jagir Resumption, Revenue Deptt. from 26. 8. 57 to 6. 7. 60.	Rs. 1,120/- plus Rs. 150/- Spl. pay minus pension.	8-10-1901	I.A.S. (Retd).	Jaipur.	

परिशिष्ट

RETIRED R. A. S. OFFICERS WHO HAVE BEEN RE-EMPLOYED DURING THE YEARS 1958 to 1960

S. No.	Name	Old post.	New post.	Pay on Re-employment.	Age.	Qualifications.	Home Distt.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Shri Altaf Ahmad Kherie.	Principal Private Secy. to Chief Minister.	O.S.D., Revenue Deptt. from 29. 4. 53.	Rs. 1,300/-minus pension.	20-11-1903	R. A. S. (Retd).	Jaipur.	
2.	Shri P. N. Kaul	Settlement Commissioner	O. S.D., Irrigation (O. E's Office) from 19. 9. 57 to.........	Rs. 1,450/-	2-12-1902	Matric R. A. S. (Retd)	Jaipur.	Now not in servics.
3.	Shri R. N. Hukku.	Settlement Officer, Nagaur.	Dy. Director, Colonisation Rajasthan Canal	—	2. 1. 1905	R. A. S. (Retd)	Jodhpur.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Project, Bikaner. from Feb.,1960.					
4.	Shri Jai Singh.	S. D. O., Jaisalmer.	S. D. O., Phalodi.	Minimum pay of the scale of Rs. 250-25-500-EB-25-750 plus one increment for each year of service which the officer has rendered before retirement in the post not lower than that in which he was re-employed.	4-3-1904	M. A., LL.B. R.A.S.(Ratd)	Jaipur.	For one year Now not in service.
5.	Shri Ramchandra Sharma.	Asstt. Commer., E & T.	Asstt. Collr., & Magistrate.		2-10-1904	M.A.,LL.B. R.A.S. (Retd)	Bikaner.	
6.	Shri K. L. Sharama.	Dy. Secretary Raj. Legislative Assembly.	Railway Magistrate.		1-9-1904	—do—	Jaipur.	
7.	Shri Shyamlal.	Land Acquisition Officer.	Asstt. Collector & Masistsate.		30-7-1903	B.A., R.A.S. (Retd)	Jodhpur.	
8.	Shri Harish Chandra Chaturvedi.	Addl. Collr. & A. D. M.	Land Acq. Officer.		30-1-1905	B.A., LL. B. R.A.S.(Retd).	Kotah.	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४४ का उत्तर देखिये)

फर्नीचर की सूचि

१.	कुर्सियां	२००
२.	डेस्क	२००
३.	बैंच (चार सीटेड)	३८
४.	डेस्क (चार सीटेड).	३८

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४६५	२८	(परिशिष्ट	(कृपया परिशिष्ट
४६६	६	वे है	जो है
५००	१६	टेन्टर्स	टेन्डर्स
५०४	२	मशीनां	मशीनों
५०८	१०	अलग प्रश्न ।	अलग प्रश्न है ।
५१२	७	प्रात	प्राप्त
५१३	४	हमें सब को	हम सबको
५१८	१	श्री रिखबचन्द	श्री रिखबचन्द
५२७	शीर्ष	श्री पूनमचन्म	श्री पूनमचन्द
५२८	शीर्षक	श्रद्धालिञ्जयां	तारांकित प्रश्नोत्तर
५३०	अन्तिम पंक्ति	भारले प्राइमरी स्कूल	भार तो प्राइमरी स्कूल
५३१	२४	लडके	लड़के
५३७	शीर्ष	(पूनमचन्द बिश्नोई)	(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
५३८	शीर्षक	वाद-विवा	वाद-विवाद
५३३	२२	दो जानी चाहिये	दी जानी चाहिये
५३४	६	पुर्ग्रहीत	पुनर्ग्रहीत
५४२	२१	व्यक्तिय	व्यक्तियों
५४३	५	निमाण मन्त्री	निर्माण मन्त्री
५४६	२	मुतबिक	मुताबिक
,,	१७-१८	(कोटापूतली)	(कोटपूतली)
५५०	४	सर्वजनिक	सार्वजनिक
५५५	६	सिफ्ट	शिफ्ट
५५७	४	तेयार	तैयार
५५६	शीर्ष	(श्री हरिभाऊ उपाध्यय)	(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
५५८	अन्तिम से५	अधिसूचन	अधिसूचनाएं
५६०	२५	भिक्षा वत्ति	भिक्षा वृत्ति
५६१	११	(प्रवर समिति के प्रतिवेदन)	(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)
५६२	६	परिषद् जिला	जिला परिषद्
५६२	शीर्षक	विधेयक वाद-विवाद	अभिभाषण पर
५६५	४	Kowledge	Knowledge

१	२	३	४
५७०,५७६, ५६६,६०२, ६०६	शीर्षक	सामान्य पर वाद–विवाद	पर सामान्य वाद–विवाद
५७०	१८	लगता रहे	लगाता रहे
५७१	शीर्षक	राज्दपाल	राज्यपाल
५७५	,,	राज्वपाल	राज्यपाल
५८६	१	टैकिनकल	टैक्निकल
५९०	२०	स्टेनिंडग	स्टेन्डिंग
५९१	शीर्षक	अत्रिभाषण	अभिभाषण
५९२	२७	मंदिर	मन्दिर
५९३	१६	ही रहा है	हो रहा है
५९४	३०	मक था	मन था
५९६	२१	नहों है	नही है
६०६	१६	समय–समाति	समय-समाप्ति
६०९	शीर्क	राज्यपाल महोदय	राज्यपाल महोदय
६१४	२	(वल्लभनगर मु.)	(वल्लभनगर–मु.)
६२१	शीर्ष	(श्री दयाकृष्ण विजय)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
६२३–६२४–	शीर्षक	२८ फरवरी ६०	२८ फरवरी, ६१
६२३	,,	(श्री दयाकुष्ण विजय)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
६३१	१४	clarificoticn	clarification
६३७	शीर्षक	मरोदय	महोदय
६४५–६४६	,,	धरवरी	फरवरी
६४९	२३	Mogbji Bhai	Mogji Bhai
६५१	१	औौर किया	ओर किया
६५९	१५	स्टेटिसटिक्स	स्टेटिस्टिक्स
६६०	अन्तिम सेर	electirrifiatfon	electrification
६६२	शीर्षक	षर सामान्य	पर सामान्य
६६३	शीर्ष	(श्री पी. के. चौधर	(श्री पी. के. चौधरी)
६६५	५	facillty	facility
६६६	अन्तिम सेर	यहां मैं पर	यहां पर
६७५	शीर्षक	महोदय को	महोदय के
६८१	शीर्ष	करेल	करोल
६९०	१६	श्री सम्तराज	श्री सम्पतराज
६९५	शीर्षक	मपोदय	महोदय

१	२	३	४
७०६	१० व १४	सूलाणिया	सुलाणिया
७११	४	मल्टीर्पपज़	मल्टीपर्पज़
७१४	२०	विधेयक	विधेयक
७२५	२–३	INSPFCTORATE	INSPECTORATE
७२६	कॉलम ४ पंक्ति ३	Litueraturе	Literature
,,	कॉलम ४, पंक्ति ८	Sei ence	Science
७२६	१२–१३	Studies. B Sc. Maths	Studies. B. Sc. Maths.
७२६	१२	DECEMEBR	DECEMBER
७३०	कॉलम ४, पंक्ति ८	Sooial Studies	Social Studies
७३५	कॉलम ७, पंक्ति २	(Ratd)	(Retd)